गुरूवार, २५ नवंबर १९५४

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक-सभा

गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सशस्त्र बलों में हिन्दी

*३५२. **श्री एम०एल० द्विवेदी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बलों की आज्ञाओं आदि के शब्दों के हिंदी रूप बनाने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इन शब्दों की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) एक समिति ने, जो शिक्षा मंत्रालय ने बनाई थी और जो वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावलि बोर्ड के अधीन काम करती है, आज्ञाओं के कुछ हिन्दी शब्द बनाये हैं, जिन की परीक्षा की जा रही है ।

(ख) जी हां, जब उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि आज्ञाओं के कुछ शब्द निर्माण किये जा चुके हैं, यदि हां, तो उसमें क्या तरक्की हो रही है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने अभी निवेदन किया कि बोर्ड आफ साइंटिफिक टरमिनालाजी की एक सब कमेटी ने कुछ शब्दों की सूची तैयार की है और वह सूची कमांडर्स इन चीफ की मीटिंग में रखी जाने वाली है । आशा की जाती है कि शायद एक महीने में यह सूची स्वीकृत हो जायेगी और यह भी आशा है कि २६ जनवरी की परेड में शायद हिन्दी शब्दों का ही उपयोग हो ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि आज़ाद हिन्द फौज में जो हिन्दी की आज्ञायें उपयुक्त होती थीं और जिनका सारे भारतवर्ष में प्रचार था, क्या उनको भी भारत सरकार ने देखा है कि वे आर्मी के योग्य हैं या नहीं ?

श्री सतीश चन्द्र : इस कमेटी में तीन हिन्दी के विद्वान् हैं और तीनों सरविसेज के आफिसर्स हैं । मैं समझता हूं उन्होंने ज़रूर इन सब बातों को देखा होगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : श्रीमान्, मैं सुझाव देता हूं कि प्रश्न संख्या ३९३, ३५३ के साथ ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति न हो ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा

*३५३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा सम्बन्धी द्वितीय पुनरीक्षण समिति की कितनी सिफारिशें मान ली गई हैं ; और

(ख) उन में से कितनी सिफ़ारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख): वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के प्रशासकीय निकाय ने प्रतिवेदन की परीक्षा करने और प्रशासकीय निकाय की अगली बैठक में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा

*३९३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा की द्वितीय पुनरीक्षण समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थाओं के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धों पर आगे और विचार किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के०डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के प्रशासकीयनिकायने प्रतिवेदन की परीक्षा करने और प्रासकीय निकाय की अगली बैठक में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की है ।

श्री कृष्णाचार्यजोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि ये संस्थायें विज्ञान तथा उद्योगों के किन किन मुख्य विषयों पर गवेषणा कर रही हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप कोई सारभूत लाभ प्राप्त हुये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इनकी एक लम्बी सूची है । वर्ष भर बहुत सी गवेषणायें होती रहती हैं और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इन से या तो स्वयं अथवा ग़ैर-सरकारी उद्योगों के द्वारा लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहा है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : सन् १९५३ में विश्वविद्यालयों तथा गवेषणा संस्थाओं ने कितनी गवेषणा योजनाओं पर काम आरम्भ किया ?

श्री के० डी० मालवीय : विश्वविद्यालयों ने बहुत सी गवेषणा योजनायें स्वयं आरम्भ की हुई हैं और विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् से वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता मांगती हैं । सारी गवेषणा योजनाओं पर उनके गुणावगुण के अनुसार विचार किया जाता है और तब परिषद् उनकी सहायता के लिये धन राशि निर्धारित कर देती है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकारी विभाग गवेषणा के परिणामों का उपयोग करके उद्योगों के लिये एक उदाहरण रखें, और यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस विषय की ओर दिलाया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । हम इस महत्वपूर्ण विषय पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं । परन्तु प्रयोगशाला के प्रयोगों तथा उनके परिणामों के वास्तविक उपयोग के मध्य प्रयोगात्मक संयंत्र की अवस्था आती है और अब सरकार ने हाल ही में एक राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम स्थापित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन प्रयोगशालाओं की गवेषणाओं को योगात्मक योजनाओं का रूप देना है । एक बार प्रयोगात्मक योजनायें स्थापित होने पर, सरकारी विभागों द्वारा अथवा गैर सरकारी उद्योग रा इनका व्यापारिक ोग होने लगता है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या समिति की इस सिफारिश पर कि नक्षत्र विद्या सम्बन्धी गवेषणा के लिये अतिरिक्त सहायता दी जाये, विचार किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह ऐसा प्रश्न है जिस के लिये मुझे इस विषय का आगे और अध्ययन करना पड़ेगा ।

दिल्ली में बच्चों का अपहरण

***३५५. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में और १९५४ में अक्टूबर तक दिल्ली में कितने बच्चों का अपहरण हुआ ;

(ख) उनमें लड़कियां कितनी थीं ;

(ग) इस अवधि में कितने अपहृत बच्चे पुनः मिल गये ;

(घ) कितने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और वह कार्यवाही किस प्रकार की थी ; और

(ङ) क्या यह सच है कि इन अपहृत बच्चों में से बहुत सों के अंगों को भीख मंगवाने के लिये जान बूझ कर काटा या विकृत कर दिया जाता है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १९५३ और १९५४ में (अक्टूबर के अन्त तक) अपहृत बच्चों की संख्या क्रमशः १२३ और १७२ थी ।

	१९५३	१९५
(ख)	९१	५५
(ग)	९८	६३

(घ) (१) उन व्यक्तियों की संख्या जिनका चालान किया गया :—

	६६	६२

(२) उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी ोष सिद्धियां हुई :—

	३२	१३

(ङ) जी नहीं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : अपहरण करने वालों के अपराध करने का तरीका क्या है और क्या ऐसे उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है जिससे बच्चों को यह शिक्षा दे दी जाये—कि वे इन अपहरण-कर्त्ताओं के पंजों में फंसने से बच सकें और इन से सतर्क रहें ?

श्री दातार : सरकार जो कुछ भी संभव है इन अपराधों की रोकथाम के लिए कर रही है । जहां तक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है —सरकार की अभिरक्षा में दक्षिण गृहों के अन्दर बहुत सी लड़कियां हैं, जहां उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या इन बुराइयों को रोकने के लिये सरकार का कोई विशेष अभिकरण है ?

श्री दातार : सरकार के पास सामान्य अभिकरण है जो इस योजन के लिये पर्याप्त है ।

श्रीमती जयश्री : क्या यह सच है कि च्चों को स्वार्थ के लिये गलत रूप से प्र ोग करने के लिये अनाथालय चलाये जा रहे हैं ?

श्री दातार : कभी कभी ऐसी शिकायतें भी सरकार के पास आई हैं ।

श्रीमती जय श्री : क्या सरकार का इन अनाथालयों के लिये अनुज्ञप्तियां देने के निमित्त कोई विधि बनाने का विचार है ?

श्री दातार: एक माननीय सदस्य का विधेयक सभा के सामने है और यह वि य लोक-सभा के विचाराधीन है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या किसी ऐसे अन्तर्राज्य गिरोह का पता चला है जो इन चीज़ों में चि लेता है और ऐसे अधिकांश अपराध करता है ?

श्री दातार : इस सम्बन्ध में किसी अन्तर्राज्य गिरोह का पता नहीं चला है, यद्यपि यह सच है कि यहां पर आस पास के राज्यों से लड़कियां आती हैं ।

औद्योगिक विनियोग निगम

*३५६. **डा० राम सुभग सिंह :** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विनियोग निगम की स्थापना सम्बन्धी योजनायें अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह निगम संभवत: कब से कार्य करना आरम्भ करेगा ;

(ग) इसकी आरम्भिक पूंजी कितनी होगी ; और

(घ) यह पूंजी किन स्रोतों से प्राप्त होगी

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (घ) : भावी पूंजी विनियोजकों, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक तथा सरकार में ब्योरे को निश्चित करने की जो बातचीत गत मास वाशिंगटन में आरंभ हुई थी, वह अब समाप्त होने को है । इसलिये उसके बाद ही पूरी जानकारी दी जा सकेगी । आरम्भ में अधिकृत एवं प्रार्थित पूंजी क्रमश: २५ करोड़ तथा ५ करोड़ रुपये सोची गई थी । प्रार्थित पूंजी में से ३ १/२ करोड़ रुपया तो भारत में ही मिलने की आशा है और शेष इगलैंड तथा अमेरिका से ।

डा० राम सुभग सिंह : यह निगम किस प्रकार के उद्योगों को धन देगा और किस आधार पर देगा ?

श्री सी० डी० देशमुख: जो उद्योग पूर्णतया सरकार के होंगे , अथवा जिनके नियंत्रण और विनियमन में सरकार की विशेष रुचि होगी उन्हें छोड़ कर शेष सब उद्योगों को जिन्हें हम "बुनियादी उद्योग" कह देंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : भारत सरकार इस निगम में कितनी पूंजी लगायेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह सभी बात सभा के सामने उस समय आ चुकी है जब इसके लिये कुछ समय पहले एक अनुपूरक मांग रखी गई थी । सरकार की इसमें कोई पूंजी नहीं होगी, परन्तु १ करोड़ ५० लाख डालरों के रुपये अर्थात् ७ १/२ करोड़ रुपये, जो कि भारत-अमेरिका टेकनिकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त लोहे तथा इस्पात के विक्रय से प्राप्त होंगे, इस निगम को बिना किसी ब्याज के अग्रिम धन के रूप में दे दिये जायेंगे ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या विश्व बैंक का इस निगम पर नियंत्रण उसी प्रकार का होगा, जैसा कि मैक्सिको जैसे देशों में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय समवाय योजना के अन्तर्गत संगठित संगठनों पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह विदित है कि मैक्सिको का अनुभव उत्साहजनक नहीं है ?

श्री सी० डी० देशमुख : बैंक का इस निगम के साथ कोई अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय समवाय का सा सम्बन्ध नहीं होगा । परन्तु बैंक द्वारा इस निगम को ऋण देने के लिये बातचीत चल रही है । विश्व बैंक का इस पर नियंत्रण उससे अधिक नहीं होगा, जितना कि सामान्यतः उन बैंकों का होता है, जो सरकार को या गैर-सरकारी अभिकरणों को रुपया उधार देते हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या औद्योगिक वित्त निगम तथा औद्योगिक विनियोग निगम में कोई सम्बन्ध होगा, और इस संगठन की स्थापना के क्या कारण थे जब कि देश में एक औद्योगिक वित्त निगम कार्य कर रहा था ?

श्री सी० डी० देशमुख : इन में कोई सम्पर्क तो नहीं होगा, किन्तु दोनो निगमों की कार्यवाहियों में एक प्रकार से सामान्य समन्वय होगा । दोनों निगम भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। औद्योगिक वित्त निगम में ४० प्रति शत सरकारी या रक्षित बैंक का हित है और शेष अंश बैंकों, बीमा कम्पनियों, विनियोजन संस्थाओं आदि के हैं । इसका क्षेत्र सीमित है। विशेष कर यह अंशों का लेन-देन नहीं करता । यह निगम मुख्यतया एक गैर-सरकारी निगम होगा ।

लाल किले में टिकटों का पुनर्विक्रय

***३५७. ठाकुर लक्ष्मणसिंह चरक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाल किले पर दर्शकों के हाथ प्रवेश पत्रों का पुनर्विक्रय करते हुये पुलिस द्वारा पकड़े गये व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) कथित अपराधी को न्यायालय ने संदेह लाभ देकर छोड़ दिया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

समवायों के आंकड़े

***३६०. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के समवायों के नवीन आंकड़े इकट्ठे करने के लिये निदेश दिये हैं जैसा कि १९४८ में किया गया था ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : एक सुझाव दिया गया था, किन्तु रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इससे पहले ही ३१ दिसम्बर, १९५३ को भारत के विदेशी दायित्वों तथा आस्तियों की गणना का कार्य आरम्भ कर दिया था । गणना की रिपोट शीघ्र ही तैयार होने वाली है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इसमें उन कम्पनियों की पूंजी तथा लाभ भी सम्मिलित होगा जिनका निर्माण भारत के बाहर हुआ और जो भारत में कार्य कर रही ह ?

श्री बी० आर० भगतः यह बड़ी विशाद रिपोर्ट होगी और मैं समझता हूं कि इसमें इसे भी सम्मिलित किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गिडवानी ।

श्री गिडवानी : ३६२, श्रीमान् ।

श्री विभूति मिश्र : मेरे क्वेशचन (३६१) का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदयः वह दूसरे दिन के लिये ट्रान्सफर हो गया है ।

भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम

*३६२. **श्री गिडवानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम में संशोधन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जी हां, यथाशीघ्र ।

(ग) जी हां ।

श्री गिडवानी : किन किन राज्यों ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं और किन-किन राज्यों ने नहीं भेजी हैं ?

श्री दातार : अधिकांश राज्यों ने इस विधान का स्वागत किया है ।

श्री गिडवानी : किन-किन राज्यों ने अभी तक अपनी सिफारिश नहीं भेजी हैं ?

श्री दातार : हमें अभी कुछ राज्यों का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है । उन राज्यों के नाम बताना उचित नहीं होगा ।

श्री गिडवानी : मैं तो नाम जानना चाहता हूं ।

श्री दातार : कुछ राज्यों का उत्तर अभी नहीं प्राप्त हुआ है । इसलिये मैं कह रहा हूं कि कुछ राज्यों ने अभी उत्तर नहीं भेजा है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि बम्बई तथा मद्रास ने अभी तक उत्तर नहीं भेजा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उन राज्यों के नाम जानना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं भेजा है ।

श्री दातार : यहां राज्यों के नाम बताना उचित नहीं होगा ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या सम्पूर्ण भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम में संशोधन करने के लिये मन्त्रालय द्वारा उन सम्मतियों के अतिरिक्त कोई अन्य सम्मति भी अलग से मांगी गई थी जो कि इस सभा के निदेश से मांगी गई थी ?

श्री दातार : जी हां, इस सभा में व्यक्त की गई सम्मति को दृष्टि में रख कर हमने राज्यों से सम्मतियां मांगी थीं । कुछ राज्यों ने कहा है कि उन्हें कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है । कुछ अन्य राज्यों ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं । सरकार इन सब दृष्टिकोणों पर विचार कर रही है ।

आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये राज्य

*३६३. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के पहाड़ी आदिम जातियों के छः जिलों के लिये एक अलग भाग क राज्य की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सब पहाड़ियों के आदिम जाति के लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) खसी , जयन्तिया तथा गारो की पहाड़ी जिलों के प्रतिनिधियों के पिछले अक्टूबर में तूरा में हुये सम्मेलन में तैयार किये गये ज्ञापन की एक प्रति प्रधान मंत्री को प्राप्त हुई थी। इसकी एक प्रति राज्य पुनर्गठन आयोग को भेजी गई थी

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या ये आदिम जातियां स्वयं ही ऐसी मांग कर रही हैं अथवा इसके पीछे कोई और एजेंसी कार्य कर रही है ?

श्री दातार : एक सम्मेलन बुलाया गया था और उसमें पारित संकल्प प्रधान मंत्री

तथा राज्य पुनर्गठन आयोग के पास भेज दिया गया है ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या सरकार को यह विदित है कि कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों तथा वहां के कुछ अन्य नेताओं का हाथ इस सुझाव के पीछे है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): सभी प्रकार की टीका टिप्पणियां तथा सूचनायें प्राप्त होती हैं, किन्तु इस सूचना की पुष्टि करना संभव नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : जिस सम्मेलन में यह मांग की गई थी, वह किसके तत्वावधान में बुलाया गया था ?

डा० काटजू : यह कुछ नागाओं की ओर से किया गया था ।

बीमा पालिसियों का व्यपगत होना

*३६४. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून १९५३ से जून, १९५४ तक कितने व्यक्तियों की बीमा पालिसियां सामयिक किस्तें न दिये जाने के कारण व्यपगत हुईं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है । बीमा की वार्षिक पुस्तक में पालिसियों के काल के अनुसार प्रत्येक पत्री वर्ष के नये व्यापार के सम्बन्ध में व्यपगत पालिसियों के प्रतिशत (बीमा कराई गई राशि) के आंकड़े दिये हुये हैं, किन्तु जो नवीनतम सूचना प्रकाशित हुई है वह १९५२ के सम्बन्ध में है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या जो बीमा पालिसियां लैप्स हो जाती हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है या इसमें इंश्योरेंस कम्पनियों की कोई गलती है ?

श्री एम० सी० शाह : मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि यही कारण है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

*३६५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदानों के व्यय की देख भाल करने के लिये बनाये गयेनिरीक्षक एकक ने उक्त अनुदानों के उचित उपयोग के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : जी हां ।

श्री झूलन सिंह : क्या इस निरीक्षक एकक ने इस कार्य के लिये दिये गये अनुदानों के उपयोग में त्रुटियां निकाली हैं ?

डा० एम० एम० दास : निरीक्षक पक्ष का प्रतिवेदन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के विचाराधीन है ।

सरदार ए० एस० सहगल : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा अब तक कितने निरीक्षण किये गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : २०१.

श्री झूलन सिंह : सरकार इस प्रतिवेदन पर कब से सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

डा० एम० एम० दास : मैं समझता हूं कि यह प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है ।

औद्योगिक प्रशासन तथा व्यापार प्रबन्ध

*३६६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रशासन तथा व्यापार प्रबन्ध के अध्ययन के लिये सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था करने वाली योजना को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) ऐसे पाठ्यक्रमों की किन-किन संस्थाओं में व्यवस्था की जा रही है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की (१) सरकारी क्षेत्र तथा (२) गैर-सरकारी क्षेत्र में वास्तविक आवश्यकता का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो यह क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४].

श्री के० सी० सोधिया : क्या इन में से किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये कुछ वृत्तिका अथवा छात्र वृत्तियां भी मिल सकती हैं ?

डा० एम० एम० दास : अभ्यर्थी उद्योग, व्यापार अथवा अन्य किसी की ओर से भेजे जायेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें छात्र वृत्ति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के लिये औद्योगिक तथा व्यापार प्रबन्ध की आवश्यकता पर विचार किया है ?

डा० एम० एम० दास : सरकारी क्षेत्र तो होगा ही ।

श्री के० सी० सोधिया : सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

डा० एम० एम०दास : प्रबन्ध सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्र के लोगों के लिय किया गया है ।

श्री के० सी० सोधिया : सरकारी नौकरों के इस पाठयक्रम से लाभ उठाने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि विवरण से ज्ञात होता है इसमें थोड़े समय तथा पूरे समय दोनों प्रकार के पाठयक्रम हैं जो लोग नौकरी नहीं करते हैं वे पूरे समय वाले पाठयक्रम से लाभ उठा सकते हैं थोड़े समय वाला पाठ्यक्रम गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिये रखा गया है ।

नौयुद्धकला प्रशिक्षण

***३६७. श्री इब्राहीम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में नौयुद्ध कला प्रशिक्षण के कितने स्कूल हैं ; और

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अभी कितने ऐसे स्कूल और खोले जान वाले हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) कोचीन में एक नौयुद्ध कला प्रशिक्षण स्कूल है ।

(ख) कोई नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या जितने प्रशिक्षण जहाज़ों की आवश्यकता है उतने जहाज़ न मिल सकने के कारण कुछ सीमा तक किसी स्कूल के लिये कुछ रुकावट पड़ती है ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग प्रतिवेदन

***३६८. श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक स्कूलों को पांच वर्ष की कालावधि में आत्म निर्भर बनाने के लिये उन्हें दिये जाने वाले अनुदानों में उत्तरोत्तर कमी करने के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : सरकार समय समय पर सार्वजनिक स्कूलों को अनुदान दने की प्रस्थापनाओं पर विचार करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखती है ।

श्री एन० एम० लिंगम : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार को यह प्रतिवेदन प्राप्त हुये कि एक वर्ष से अधिक हो गया है, क्या सरकार ने अनुदानों की मात्रा को कम करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं, और यदि हां, तो क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : इन स्कूलों के प्रशासन और वित्त व्यवस्था की जांच करने के लिये शिक्षाशास्त्रियों और अन्य लोगों की समितियां नियुक्त की जाती हैं, और वे सरकार को उन साधनों का सुझाव देती हैं जो इन स्कूलों को उपयुक्त प्रशासन और वित्त व्यवस्था के लिये अपनाने चाहियें ।

श्री एन० एम० लिंगम : भारत में सार्वजनिक स्कूलों को कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया और लवडेल और सनावर के दो स्कूलों को कितनी राशि दी गई ?

डा० एम० एम० दास : चालू वर्ष में अथवा गत दो या तीन वर्षों में ?

श्री एन० एम० लिंगम : अन्तिम वर्ष में जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं ।

डा० एम० एम० दास : १९५२–५३ में मयो कालेज, अजमेर को ५०,००० रुपये दिये गये थे और १९५३-५४ में इसे ५०,००० रुपये दिय गये थे । १९५३-५४ में एम० जी० डी० लड़कियों के सार्वजनिक स्कूल जयपुर को २२,००० रुपये दिये गये थे । चालू वर्ष में दून स्कूल, देहरादून को २५,००० रुपये दिय गये थे । माननीय सदस्य ने जिन का उल्लेख किया है उन दो लारेंस स्कूलों को इकट्ठे १९५२-५३ में ७,२०,६०० रुपये और १९५३-५४ म ७,०३,४०० रुपये दिये गये थे ।

श्री एन० एम० लिंगम : इस बात को देखते हुये कि इन दो स्कूलों को अनुदानों का सब से अधिक भाग मिलता है मैं जान सकता हूं कि इन के प्रति विशेष कृपा का व्यवहार क्यों किया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : ये सीधे सरकार के प्रशासन के अधीन चलते हैं । व्यवहायतः सरकार ने इन्हें अपने हाथ में ले लिया है, परन्तु इनका संचालन प्रशासनिक बोर्ड और शासी निकाय करते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इन स्कूलों को भी दूसरे स्कूलों की पद्धति पर क्यों नहीं चलाती और इनका व्यय कम कर के इन्हें आत्म निर्भर क्यों नही बनाती ।

डा० एम० एम० दास : सरकार इन स्कूलों पर व्यय कम करने का प्रयत्न कर रही है ।

श्री वीरस्वामी उठे—

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

पाकिस्तान को भुगतान का ढंग

*३६९. **श्री तुलसीदास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान को निर्यात और वहां से आयात के लिये भुगतान किस मुद्रा में किया जाता है ;

(ख) क्या पहले कभी ये भुगतान स्टर्लिंग में किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) भारत और पाकिस्तान के

बीच वित्तीय लेन देन भारत के या पाकिस्तान के रुपयों में किया जाता है। इस में आयात और निर्यात के भुगतान भी सम्मिलित हैं। आय को यथा स्थिति वहां न रहने वालों के रुपये के लेखों में जमा कर दिया जाता है जो लेखे दोनों देशों के केन्द्रीय बैंक एक दूसरे के साथ रखते हैं और इन लेखों के शेष को किसी समय भी स्टर्लिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। २६ फरवरी, १९५१ के भारत पाकिस्तान व्यापार तथा वित्तीय क़रार के बाद से यही स्थिति है।

(ख) नहीं श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री तुलसीदास : क्या पाकिस्तान से हाल में खरीदे गये चावल का भुगतान स्टर्लिंग में किया गया था ?

श्री बी० आर० भगत : यद्यपि १९५३ के बाद से व्यापार क़रार की अवधि आगे नहीं बढ़ायी गयी और लिखित क़रार नहीं रहा, परन्तु उसका भाव अभी बना हुआ है और जो शर्तें पहले थीं वही अब भी हैं।

श्री तुलसीदास : मैं यह जानना चाहता था कि क्या खरीदे गये चावल का भुगतान स्टर्लिंग में किया गया था अथवा नहीं।

श्री बी० आर० भगत : यह भुगतान न रहने वालों के लेखे में रुपयों में किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या भुगतान स्टर्लिंग में किया गया था अथवा नहीं ?

श्री बी० आर० भगत : यह रुपयों में किया जायेगा।

श्री तुलसीदास : मुझे खेद है कि मैं तो यह जानकारी चाहता था कि क्या हाल में भारत में आयात किये गये चावल के खरीदने पर भुगतान स्टर्लिंग में किया गया था। संविदायें तो स्टर्लिंग में की गई थीं।

श्री बी० आर० भगत : यदि इसमें कुछ ग़लती हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, मेरा यह कहना है कि वही क़रार चल रहा है और भुगतान किये जाते हैं....

अध्यक्ष महोदय : यह बात अब बहुत स्पष्ट है। सम्भवतः खाद्य मंत्री बता सकें।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : यह भुगतान रुपयों में किया जायेगा। हमें जिस अभ्यंश की अनुमति दी गई है हम ने अभी उसका आयात नहीं किया है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या गत पांच या छः वर्षों में कभी व्यापार के लेखों के निबटारे में भारत और पाकिस्तान के इंगलैंड में रक्षित स्टर्लिंग द्वारा लेखों के समायोजन का आश्रय लिया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य का रक्षित स्टर्लिंग से क्या अभिप्राय है, परन्तु हम ने बताया है कि इन लेखों के शेष को कभी भी स्टर्लिंग में परिवर्तित किया जा सकता है और स्टर्लिंग दोनों देशों के धन में से आता है।

कोलम्बो योजना और जापान

***३७०. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान को कोलम्बो योजना का सदस्य नामनिर्दिष्ट कर देने के पश्चात् भारत को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत जापान से कोई सहायता मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो भारत को कितनी शिल्पिक और सहायता मिलेगी; और

(ग) जापान को बदले में यदि कोई सहायता दी जायेगी तो वह किस प्रकार की होगी ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत): (क) से (ग) . जापान कोलम्बो योजना में अभी सम्मिलित हुआ है और क्योंकि इस योजना के अधीन सारी सहायता द्विपक्षीय आधार पर होती है अतः जापान द्वारा दी जाने वाली सहायता तथा बदले में ली जाने वाली सहायता पारस्परिक बातचीत से तय हो सकती है। अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। शिल्पिक सहायता में अपने अंशदान के सम्बन्ध में जापान को अभी कोलम्बो योजना परामर्शदात्री समिति की शिल्पिक सहायता परिषद् के समक्ष घोषणा करनी है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या भारत और जापान सरकार के बीच बातचीत होने की सम्भावना है ?

श्री बी० आर० भगत: यह बातचीत जापान के शिल्पिक सहायता निधि में अपने अंशदान की घोषणा के पश्चात् ही होगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या इस बात की कोई सम्भावना है कि अमरीका जापान के द्वारा कोलम्बो योजना को और सहायता दे ?

श्री बी० आर० भगत: मैं नहीं जानता। मैं इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): प्रक्रिया यह है कि उन विभिन्न देशों की योजनाओं का जो इसके सदस्य हैं, इन वार्षिक बैठकों में पुनरावलोकन किया जाता है। इस के पश्चात् वे सदस्य देश जो प्रायः सहायता देने के इच्छुक होते हैं किसी विशेष देश को सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं और तब बातचीत आरम्भ होती है। अतएव ऐसे मामलों में कोई सामान्य वक्तव्य नहीं दिया जा सकता. क्योंकि यह हर प्रभावी अवस्था में से द्विपक्षीय रूप से गुजरता है।

अमरीका से वित्तीय सहायता

***३७१. श्री यू० सी० पटनायक:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त मंत्री के हाल में अमरीका जाने का क्या प्रयोजन था;

(ख) भारत को वित्तीय तथा अन्य सहायता के सम्बन्ध में उन्होंने अमरीका सरकार से किस प्रकार की बातचीत की थी; और

(ग) यदि इस चर्चा का कोई परिणाम निकला है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) मेरा अमरीका जाने का प्रयोजन भारत के गवर्नर के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड की वार्षिक बैठक में सम्मिलित होना था।

(ख) मैं ने अमरीका सरकार के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं की।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि मैं आशा करता हूं कि अगले कुछ दिन में विश्व बैंक तथा कोष की बैठक के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रख सकूंगा।

श्री यू० सी० पटनायक: क्या माननीय मंत्री ने भारत को वित्तीय तथा अन्य सहाय-

ताओं के सम्बन्ध में अमरीका सरकार से कोई बातचीत की थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं अमरीका सरकार के कतिपय अधिकारियों से अवश्य मिला था, परन्तु भारत की सामान्य आर्थिक स्थिति और योजना की प्रगति के बारे में ही विचार विनिमय हुआ था ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या सरकार उस विवरण को देते समय जिसका वचन दिया गया है, उस में इस पर भी टिप्पणी देने को तैयार है ?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं, श्रीमान् । सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरणों में ऐसी ग़ैरसरकारी बातचीत का सारांश प्रायः नहीं दिया जाता है ।

नौसेना के अभ्यास

*३७२. **श्री टी० के० चौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष ग्रेट ब्रिटेन की शाही नौसेना के सहयोग से भारतीय नौसेना के साथ साथ राष्ट्रमंडल के किन किन देशों ने ग्रीष्मकालीन सामुद्रिक अभियान तथा नौसेना के अभ्यासों में भाग लिया था ;

(ख) क्या इस शीत ऋतु में भी हमारी नौसेना को ऐसे किसी संयुक्त सामुद्रिक अभियान तथा अभ्यासों में भाग लेने के लिये भेजने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सामुद्रिक अभियानों तथा अभ्यासों में हमारे साथ कौन कौन से देश होंगे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) भारतीय नौ सेना प्रति वर्ष ग्रीष्म ऋतु में सामुद्रिक अभियान पर जाती है और अन्य नौसेनाओं की टुकड़ियों के साथ नौसैनिक अभ्यास करती है । गत ग्रीष्म ऋतु में ब्रिटेन, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान की नौसेना की टुकड़ियों ने भारतीय नौसेना को कुछ अभ्यास करने में सहयोग दिया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या कभी हमारी नौसेना, विशेषतया आजकल विश्व में बदली हुई नौसैनिक शक्तियों की स्थिति को देखते हुये हमारी अपनी नौसैनिक रक्षा की आवश्यकताओं के आधार पर——अन्य राष्ट्रों से अलग——स्वतन्त्र रूप से अभ्यास करती है ?

सरदार मजीठिया : जी हां, यह अभ्यास करती है और हाल के एक अभ्यास में प्रधान मंत्री जी तथा मेरे सहयोगी उपमंत्री जी उपस्थित थ ।

विद्यार्थियों का स्वास्थ्य

*३७३. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सुधारने की योजनाओं को क्रियान्वित करने या उन में समन्वय स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, इन कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख) विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्य सरकारों पर है, किन्तु भारत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और वह इस विषय में दो परियोजनायें क्रियान्वित करने का विचार कर रही है :

(१) लगभग १०,००० विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक सघन क्षेत्र में विद्यालय स्वास्थ्य सेना की एक अग्रिम परियोजना, और

(२) विश्व विश्वविद्यालय सेवा के साथ मिल कर दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में एक विद्यार्थी स्वास्थ्य केन्द्र ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को यह विदित है कि अब तक विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो नाममात्र के सर्वेक्षण किये गये हैं उन में बहुत अधिक विद्यार्थियों में कुपोषण के चिन्ह स्पष्ट देखे गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : सम्भव है कि यह सत्य हो ।

श्री वी० पी० नायर : कितने प्रतिशत भारतीय विद्यार्थियों का स्कूल और कालेज के दिनों में डाक्टरी सर्वेक्षण होता है ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यह मुख्यतया राज्य सरकार का काम है । अतः इस समय यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्योंकि विश्वविद्यालय की और टैक्निकल शिक्षा का विषय केन्द्र के अधीन है, अतः मैं यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय के तथा टैक्नीकल विद्यार्थियों को कोई निश्शुल्क चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें दी हुई हैं, ताकि सभी विद्यार्थियों इस शिक्षा से समान रूप से लाभ उठा सकें ?

डा० एम० एम० दास : यह धारणा कि विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा टेक्निकल शिक्षा एक केन्द्रीय विषय है सर्वथा ठीक नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : केन्द्र का उत्तरदायित्व है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

राज्य मंत्रालय की समाप्ति

***३७४. श्री केशवैयंगार :** क्या **राज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का राज्य मंत्रालय को समाप्त करके इसकी स्थापना को अन्य प्रकार के कार्य के लिये प्रयोग करने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : यह विषय विचाराधीन है ।

श्री केशवैयंगार : इस मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी कितने हैं ?

डा० काटजू : मुझे नहीं मालूम । अगर नोटिस देंगे तो बता दूंगा ।

लोक लेखा समिति का नवम प्रतिवेदन

***३७५. श्री मुरारका :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४४-४८ के अन्तर्गत शस्त्रास्त्र तथा वस्त्र निर्माण फैक्टरियों ने गैरसरकारी व्यक्तियों को जो भण्डार दिये थे, अथवा उन की जो सेवाएं की थीं, उन के कारण जो बड़ी राशि अवशेष थी, उस की प्राप्ति के लिये, जिस की लोक लेखा समिति ने अपने नवम् प्रतिवेदन में सिफारिश की थी, सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : लोक लेखा समिति के नवम प्रतिवेदन (अंक १) के अनुच्छेद ६४ में अवशेष राशि के रूप में वर्णित १२·१५१ लाख रुपये की कुल राशि में से, १ नवम्बर, १९५४ को ८·४३ लाख रुपये की राशि अवशेष थी ।

सरकार द्वारा इसे अवशेष राशि को प्राप्त करने के लिये की गई कार्यवाहियों में—

(१) देनदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार के पक्ष में दी गई डिगरियों की वसूली, और

(२) न्यायालय में या मध्यस्थों के पास निलम्बित मामलों की ज़ोरदार पैरवी, सम्मिलित हैं ।

श्री मुरारका : इस राशि के अवशेष रहने का मुख्य कारण क्या है ? यह १९४४ में दी जानी चाहिये थी, और अब दस वर्ष का समय बीत चुका है ।

श्री सतीश चन्द्र : प्रतिवेदन में वर्णित १२ लाख रुपये के लगभग राशि में से आठ लाख रुपये से अधिक राशि संभरण तथा उत्सर्जन महा निदेशक द्वारा वसूल की जानी थी और रक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं । यद्यपि इस राशि का शस्त्रास्त्र फैक्टरियों में बनाये गये चमड़े के कुछ सामान से सम्बन्ध है, परन्तु इन वस्तुओं का नियंत्रण भूतपूर्व रसद विभाग द्वारा किया जाता था, जिसका उत्तराधिकारी निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय है । माननीय सदस्य उस राशि के बारे में उस मंत्रालय से प्रश्न पूछ सकते हैं ।

रक्षा मंत्रालय द्वारा वसूल की जाने वाली, १,१६,९१६ रुपये की राशि में से जो अभी अवशेष है, एक भाग रेलवे से, अर्थात् निज़ाम के राज्य की रेलवे से वसूल करना है, जिस के लिये अब हैदराबाद सरकार के साथ पत्र व्यवहार हो रहा है, एक या दो और राशियां एक सार्थ (फर्म) से प्राप्त करनी है, जो अब रावलपिंडी में है, आदि । शेष राशि वसूल हो चुकी है ।

श्री मुरारका : किसी अकेले व्यक्ति या सार्थ से प्राप्त की जाने वाली सब से बड़ी राशि कितनी है ?

श्री सतीश चन्द्र : जहां तक रक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है ४८३७० रुपये की अकेली राशि मैसर्ज़ गुप्ता ब्रादर्स से वसूल करनी है । हमने इस सार्थ को कई शर्तें बताई हैं, परन्तु अभी इसका उत्तर नहीं हुआ है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या पिछले तीन वर्ष से कोई क़िस्त अवशेष है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह प्रश्न सन् १९४८ या उस से पहले के लेखाओं से सम्बन्ध रखता है ।

ग्रामीण शिक्षा प्रणाली का अध्ययन

*३७६. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या **शिक्षा** मंत्री २ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिये डेनमार्क भेजे गये शिक्षा विशषज्ञों का दल लौट आया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस में दी गई सिफारिशों को कार्य रूप में परिणत करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं या करने का विचार किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रतिवेदन अभी प्राप्त हूआ है और ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति द्वारा इस दल के सदस्यों के साथ इस प्रतिवेदन पर चर्चा होने के उपरान्त सरकार इस पर विचार करेगी । उसके पश्चात् यह प्रतिवेदन लोक-सभा के समक्ष रखा जायगा ।

(घ) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बी० डी० शास्त्री : यह कब तक उम्मीद की जाती है कि गवर्नमेंट इस टीम के साथ तै करके एजूकेशन के सम्बन्ध में कार्य करेगी ?

डा० एम० एम० दास: सम्भवतः ग्रामीण शिक्षा सम्बन्धी समिति आगामी जनवरी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

श्री बी० डी० शास्त्री: उन छात्रों की संख्या क्या थी जो कि इस टीम में डेनमार्क भेजे गये थे ?

डा० एम० एम० दास: उसमें १८ सदस्य थे ।

श्री गाडिलिंगन गौड़: क्या मैं आन्ध्र राज्य से भेजे गये शिक्षा विशेषज्ञों की संख्या जान सकता हूं ?

डा० एम० एम० दास: यह लम्बी सूची है, और मुझे समस्त सूची पढ़नी पड़ेगी यह इतने थोड़े समय में सम्भव नहीं है । यदि मुझे समय मिले, तो मैं इसे पढ़ कर सुना सकता हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या मैं जान सकती हूं कि डेनमार्क की ग्रामीण शिक्षा हमारे देश के लिये कैसे उपयुक्त होगी, और यह किस रूप में हमारे देश में अपनाई जा सकती है ?

डा० एम० एम० दास: इस प्रश्न पर अभी विचार करना है । इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह: खर्च किया जा चुका है ।

सशस्त्र बलों में हिन्दी

*३८१. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के अधिकांश अधिकारियों तथा सैनिकों ने, जो कि अहिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों के निवासी हैं, हिन्दी अल्पकाल में ही सीख ली है ; और

(ख) क्या सेनाओं के सैनिकों तथा अधिकारियों के हिन्दी शिक्षण के लिये प्रयुक्त की गई पुस्तकों तथा उनके लेखकों की सूची सरकार सभा पटल पर रखेगी ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) अहिंदी भाषी प्रदेशों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ अधिकारियों और व्यक्तियों ने बहुत थोड़े समय में हिन्दी सीख ली है, परन्तु यह बात सब व्यक्तियों के विषय में नहीं कही जा सकती ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ४५]

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह किताबें कोर्स के लिये प्रेस्क्राइब की जाती हैं उनके पसन्द करने का क्या तरीक़ा है, और कितने लोगों की समिति बुलायी गयी थी जिसकी सलाह से पसन्द की गयीं ?

श्री सतीश चन्द्र: यह तो मेरे लिये कहना मुश्किल होगा कि ये किस तरह से पसन्द की जाती हैं । इसमें कुछ किताबें आर्मी आफिसर्स की ही लिखी हुई हैं जैसे "माडर्न हिन्दी टीचर" जो कैप्टेन सी० एल० वासुदेव ने लिखी है । वह आर्मी एजूकेशन कोर के अफ़सर हैं । कुछ किताबें प्रोफेसर्स की लिखी हुई हैं जैसे प्रोफसर प्यारे लाल की बसिक हिन्दी रीडर है और एस० एन० शर्मा बी० ए० टी० डी० की लिखी हुई "हिन्दी ग्रामर एण्ड ट्रान्स्लेशन" है । मैं समझता हूं कि ये किताबें काफी सोच समझ कर ही रखी गयी होंगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: सेना की किस विंग ने हिन्दी सीखने में ज्यादा तरक्की की है ?

श्री सतीश चन्द्र: तीनों सरविसेज़ में काफी तरक्की हो रही है । ज़ाहिर है कि आर्मी

और एयरफोर्स में नेवी की अपेक्षा रफ्तार ज्यादा तेज है, क्योंकि नेवी के लोग अकसर समुद्र पर रहते हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फौज में हिन्दी सिखाने का कोई भिन्न तरीक़ा रखा गया है और वह तरीक़ा नहीं रखा गया है जो कि आम तौर से और जगह अख्तियार किया जा रहा है । अगर वैसा है तो क्यों ?

श्री सतीश चन्द्र : यह तो मैं ने नहीं कहा कि फौज में कोई अलग तरीक़ा अख्तियार किया जा रहा है ।

बाल साहित्य सम्बन्धी पुस्तकें

*३८२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५४ के अन्तर्गत अब तक बाल साहित्य सम्बन्धी कितनी पुस्तकों पर पारितोषक दिये गये हैं ; और

(ख) कितने व्यक्तियों ने पारितोषिक प्राप्त किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख) बाल साहित्य सम्बन्धी किसी पुस्तक पर अभी पारितोषिक नहीं दिया गया है ।

अध्यापकों के वेतन स्तर

*३८४. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **शिक्षा** मंत्री १८ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७ के सम्बन्ध में उठाये गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अध्यापकों के वेतन स्तरों की जांच करने के लिये सरकार ने कोई समिति स्थापित की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या उस दिन दिया गया उत्तर तात्कालिक उत्तर था या कोई गम्भीर उत्तर था ?

डा० एम० एम० दास : यह बहुत गम्भीर उत्तर था । यदि आप अनुमति दें, तो मैं इस सभा के समक्ष बताना चाहता हूं कि वास्तव में क्या कुछ हुआ है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार उन अध्यापकों के वेतन-स्तरों की जांच करने के लिये एक समिति बना रही है, जिन के वेतन बहुत कम हैं ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य के मन पर पड़े हुये ग़लत प्रभाव को दूर करने के लिये मैं वास्तविक स्थिति सम्बन्धी विवरण पढ़ कर सुना सकता हूं । इस वर्ष जुलाई में शिक्षा मंत्रालय ने मंत्रिमण्डल के पास एक विस्तृत टिप्पण प्रस्तुत किया था जिस में विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की प्रस्थापनायें सम्मिलित थीं । इस के सम्बन्ध में जिन बातों का सुझाव दिया गया था उनमें प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों के वेतनों को बढ़ाने की बात भी सम्मिलित है ।

तैयार किये गये प्राक्कलनों के आधार पर, माध्यमिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों के लिये ४३.६ करोड़ रुपये खर्च होंगे ऐसा अनुमान लगाया गया है । प्रारम्भिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों के लिये ३० प्रतिशत और माध्यमिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों

के लिये ५० प्रतिशत केन्द्रीय अंशदान था। इस लिये प्रारम्भिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों के लिये केन्द्रीय अंशदान के रूप में १३·१ करोड़ रुपये और माध्यमिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों के लिये केन्द्रीय अंशदान के रूप में ११·१ करोड़ का अनुमान लगाया गया था। मंत्रिमण्डल ने निर्णय किया है कि जिन प्रस्थापनाओं पर बहुत अधिक रुपया खर्च होने का अनुमान है, उन पर, करारोपण जांच आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने और उस का परीक्षण हो जाने के पश्चात्, विचार किया जाना चाहिये। इसलिये समिति नियुक्ति करने के प्रश्न पर, जिसकी केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई है, और जिस का मेरे माननीय मित्र ने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है, इसके उपरांत विचार किया जायेगा।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह: क्या सरकार को पता है कि इस मुल्क में कहीं कहीं पर टीचर्स को उन लोगों से भी कम तनख्वाह मिलती है जो पैदल डाक ले जाते हैं?

अध्यक्ष महोदय: वह जानकारी दे रही हैं।

सम्पत्ति शुल्क

*३८५. **सेठ गोविन्द दास**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की करेंगे कि ३१ सितम्बर १९५४ तक सम्पत्ति शुल्क द्वारा किस राज्य में से अधिकतम आय हुई और कितनी हुई?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): यदि माननीय सदस्य किसी अकेले मामले में सितम्बर, १९५४ के अन्त तक सम्पत्ति शुल्क के रूप में एकत्रित की गई सब से बड़ी राशि जानना चाहते हैं, तो यह बम्बई राज्य में ४,५७,३१६ रुपये है। और यदि किसी एक राज्य में प्राप्त की गई सब से बड़ी राशि जानना चाहते हैं तो यह बम्बई राज्य में १०,८०,३६६ रुपये है।

सेठ गोविन्द दास: जितने कर इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न लोगों पर लगाये गये, वह सब वसूल हो गये या सिर्फ अभी वह कर के ही रूप में हैं और वह वसूल नहीं हो सके?

श्री एम० सी० शाह: मांगें की गई हैं और वसूलियां भी हुई हैं, परन्तु जो मांगें की गई थीं, उन की पूरी वसूली नहीं हुई है।

सेठ गोविन्द दास: जो रक़म अभी वसूल नहीं हुई है उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री एम० सी० शाह: वह वसूल कर ली जायगी, क्योंकि कई बार क़िस्तें कर दी जाती हैं और वह राशि क़िस्तों में वसूल की जाती है।

सेठ गोविन्द दास: यह जो क़िस्तें मुकर्रर होती हैं यह ज्यादातर कितने सालों के लिये मुकर्रर होती हैं?

श्री एम० सी० शाह: बहुत कम क़िस्तें की जाती हैं। इसे सम्पत्ति से वसूल करना होता है और सम्पत्ति कुर्क होती है। इन राशियों की अदायगी के लिये कुछ सुविधायें दी जाती हैं।

सेठ अचल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों से कितना मृत्यु-कर एकत्र किया गया है?

श्री एम० सी० शाह: सब राज्यों से १२,२५,०१२ रुपये वसूल हुए हैं और ३०,४४,४८३ रुपये की मांग की गई थी।

लोक प्रशासन

*३८७. **श्री यू० सी० पटनायक**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री पॉल एच० एपेलबी पर, जिन्होंने भारत सरकार की लोक प्रशासन के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कितना रुपया खर्च किया गया था?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : भारत सरकार ने श्री पॉल एच० ऐपलबी पर कोई रुपया खर्च नहीं किया था । वह फोर्ड संस्थापन के खर्च पर सरकार को लोक प्रशासन सम्बन्धी मामलों पर परामर्श देने के लिय भारत आये थे ।

लोक लेखा समिति की नवीं रिपोर्ट

*३९०. **श्री मुरारका** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति द्वारा लन्दन स्थित वायु सलाहकार के सितम्बर १९४९ में कुछ विमान सम्बन्धी सामान के संभरण के लिये अपने अधिकार से बाहर जाकर स्वीकृत ठेकेदारों की सूची से बाहर की फर्म मैसर्ज़ एयरक्राफ्ट इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि० का नाम सुझाने के कार्य को, जो कि अन्त में उस काम को पूरा भी नहीं कर सकी, अनुचित बताने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) उन लोगों का जिन्होंने उक्त फर्म को आर्डर दिये थे उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). सरकार को लोकलेखा समिति की आलोचना का पूरा ज्ञान है और जैसा कि उक्त समिति ने सुझाया है, यह मामला रक्षा मंत्रालय के परामर्श के साथ निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के विचाराधीन है ।

श्री मुरारका : सरकार ने एयरक्राफ्ट इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि० को अग्रिम धन के रूप में कुल कितना रुपया दिया था और उसके प्रति कितने मूल्य का माल प्राप्त हुआ था ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास ब्योरा नहीं है ।

श्री मुरारका : क्या यह सच है कि इस कम्पनी का समापन किया जा रहा है और यह अब सरकारी अग्रिम धन वापस नहीं दे सकती ।

श्री सतीश चन्द्र : माननीय सदस्य रिपोर्ट में दी हुई जानकारी को दुहरा रहे हैं। यदि वह कोई अग्रेतर जानकारी चाहते हैं, तो मैं इसे दे सकता हूं ।

श्री डी० एन० सिंह : क्या रक्षा मंत्रालय के एक लन्दन स्थित पदाधिकारी को, जिस ने इस क्रय के लिये इस फर्म का नाम सुझाया था, उसके सेवा छोड़ जाने के बाद पुनः नियुक्त कर दिया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे उस पदाधिकारी की पुनः नियुक्ति का या उस के छोड़ जाने का कोई ज्ञान नहीं । हम निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं और अपने उच्चायुक्त से कह रहे हैं कि वह तत्काल जांच करें और सम्बन्धित पदाधिकारियों का चाहे वे निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के हैं या रक्षा मंत्रालय के, उत्तरदायित्व निश्चित करें ।

मिट्टी के बर्तन

*३९२. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने किले में दसवीं शताब्दी ई० पूर्व के चित्रकारी किये गये भूरे मिट्टी के बर्तन मिले हैं ;

(ख) क्या वे वैसे हैं, जैसे कि महाभारत के अन्य स्थानों, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र और पानीपत में पाये गये हैं ;

(ग) क्या वहां मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त और चीजें भी मिली हैं ; और

(घ) क्या सरकार का भविष्य में इस सम्बन्ध में अग्रेतर जांच करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां । इन तीन स्थानों में से केवल हस्तिनापुर को पुरातत्व विभाग द्वारा नियमित रूप से खोदा गया है; और अन्य दो स्थानों पर खोज करने से इन चित्रकारी किये हुये भूरे मिट्टी के बर्तनों का पता चला है।

(ग) जी हां । छोटे पैमाने पर खुदाई करने से जो प्राचीन वस्तुयें प्राप्त हुई हैं, उनमें से कुछ यह है : तांबा, सुर्मे की छड़ें और दरांती, मिट्टी की बनी हुई मनुष्य तथा जानवरों की मूर्तियां, हड्डी की सूइयां, शेल जैस्पर और मिट्टी के माला के दाने, छेद दार सिक्के, तथा अन्य तांबे के सिक्के, ईंट और पत्थर की बहुत सी दीवारें और एक गोल कुंआ।

(घ) जी हां ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह खुदाई किस के अधीक्षण में की गई थी ?

डा० एम० एम० दास : हमारे अपने पदाधिकारी हैं जो खुदाई के काम के प्रभारी हैं। खुदाई भारत के कई भागों में की जाती है और यह सक्षम पदाधिकारियों द्वारा की जाती है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या इन चीजों के मिलने से इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि आज कल जहां पुराना किला है वहां पहले पांडवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी ?

डा० एम० एम० दास : इस समय तक इन चित्रकारी किये हुये मिट्टी के बर्तनों और महाभारत या रामायण के बीच कोई सम्बन्ध नहीं पाया जा सका।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या इन चीज़ों से महाभारत और मौर्य साम्राज्य के बीच की अवधि की किसी लुप्त ऐतिहासिक कड़ी का पता चला है ?

डा० एम० एम० दास : इस से भारतीय पुरातत्व में लुप्त युग अर्थात उस युग का जिस के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं और जो सिंधु घाटी संस्कृति से ले कर बुद्ध के युग तक है, कुछ पता चलता है ।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था

***३९४. सेठ गोविन्द दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय शिक्षा संस्था पर वार्षिक व्यय कितना होता है और पिछले तीन वर्षों से प्रति छात्र कितना व्यय होता है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]

सेठ गोविन्द दास : उस स्टेटमेंट में इन तीन वर्षों में जो रुपया खर्च किया गया है उससे यह पता नहीं लगता कि यह रुपया जो भिन्न भिन्न महकमों पर खर्च किया गया है वह प्रति वर्ष और आगे बढ़ने की सम्भावना है या उतना ही रहेगा जितना कि इन तीन वर्षों में रहा है ?

डा० एम० एम० दास : आय व्ययक में इसके लिये राशि बढ़ाई जा रही है।

सेठ गोविन्द दास : इस वर्ष उस के कितना बढ़ने की सम्भावना है ?

डा० एम० एम० दास : अगले वर्ष अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष में इस संस्था के लिये ३,७९,०४७ रुपये की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है ?

श्री एस० सी० सामन्त : प्रति छात्र व्यय की गणना में क्या छात्रवृत्तियां को भी सम्मिलित किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : प्रति छात्र व्यय का हिसाब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि प्रशिक्षण कालेज के अतिरिक्त इस संस्था के और काम भी हैं—उदाहरणतया छोटे बच्चों का स्कूल, बुनियादी स्कूल, शिशु दिग्दर्शन केन्द्र चलाना और स्थानीय स्कूलों के लिये विस्तार सेवा चलाना ।

औद्योगिक वित्त निगम

*३९५. **श्री यू० सी० पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नियमित सेवा में श्रेणी १ और अन्य वरिष्ट पदाधिकारियों की नियुक्त के सम्बन्ध में जो नियम और विनियम हैं, वे औद्योगिक वित्त निगम के पदाधिकारियों की नियुक्ति, मनोनयन और अनुमोदन पर भी लागू होते हैं ?

वित्त मंत्री उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : निगम के पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं निगम द्वारा औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत और इस के द्वारा बनाये गये कर्मचारी विनियमों के अनुसार की जाती है और सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों तथा विनियमों के अनुसार नहीं की जाती । एक अनुविहित निकाय के नाते, निगम ने अपने 'कर्मचारी विनियम' बनाये हैं, जो कि अन्य बातों के अतिरिक्त, इसके अधीन सब श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू होते हैं। तथापि प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ९ (घ) और १० (१) (च) में निर्धारित शर्तों के अधीन की जाती है ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या प्रबन्ध संचालक भारत सरकार द्वारा मनोनीत नहीं होता और क्या वित्त निगम के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति को नियुक्ति से पहले भारत सरकार से अनुमोदित कराना पड़ता है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं पहले कह चुका हूं कि प्रबन्ध संचालक सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है । किन्तु अन्य पदाधिकारियों के लिये केन्द्रीय सरकार को निर्देश करना या उस की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति के लिये भारत सरकार द्वारा किन्हीं नियमों या विनियमों का अनुसरण किया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : जैसा कि मैं ने कहा है, यह औद्योगिक वित्त निगम की धारा ९ (घ) और १० (१) (च) के अन्तर्गत होती है ।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं यह जानना चाहता था कि भारत सरकार द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों को निगम का महा संचालक नियुक्त या मनोनीत करने के लिये योग्यता निर्धारित करने वाले या कोई अन्य नियम हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : निम्नतम *योग्यता* निर्धारित करने वाले कोई पक्के नियम तो नहीं हैं, किन्तु भारत सरकार इस बात के लिये पूरी कोशिश करती है कि उपयुक्त व्यक्ति चुना जाये ।

शराफ समिति

*३९६. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और बीमा कम्पनियों का एक संघटन स्थापित करने के लिये शराफ

समिति के सुझावों खो कार्यान्वित करने के हेतु उपायों और साधनों का सुझाव देने के लिये रिजर्व बैंक के द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या समिति ने इसके बारे में इससे सम्बद्ध कम्पनियों को कोई प्रश्न माला जारी की है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां, श्रीमान्, । समिति ने अपना प्रतिवेदन भारत के रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । समिति ने किसी प्रकार की औपचारिक प्रश्न माला जारी करने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि समिति की जांच से सम्बन्ध रखने वाली सभी आधारभूत समस्याओं के विषय में शराफ़ समिति के द्वारा पहले ही जांच हो चुकी है, और इसके सामने मुख्य कार्य यह था कि वह एक संघटन स्थापित करने के लिये विशेष सुझाव दे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति ने इस प्रस्तावित संघटन के विषय में देश के प्रतिनिधि बैंकों और बीमा कम्पनियों के मतों को प्राप्त करने की ओर ध्यान दिया है, और क्या यह सत्य है कि कुछेक बैंकों और बीमा कम्पनियों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी प्रकट किया है ?

श्री ए० सी० गुहा : समिति का प्रतिवेदन रिजर्व बैंक के सम्मख है—यह रिजर्व बैंक को ही प्रस्तुत किया गया था । मुझे ज्ञात नहीं कि इस प्रतिवेदन में क्या लिखा है, परन्तु इस समिति ने निश्चित रूप से बैंकों और बीमा कम्पनियों का परीक्षण किया होगा; क्योंकि इस संघटन की स्थापना से इन्ही संस्थाओं का ही तो सम्बन्ध है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं यह जानना चाहता था कि क्या समिति ने बैंकों और बीमा कम्पनियों से साक्ष्य प्राप्त करने का कोई विशेष ध्यान रखा है ?

श्री ए० सी० गुहा : जैसे मैंने कहा है यह समिति रिजर्व बैंक के द्वारा नामांकित की गयी थी, और इसने रिजर्व बैंक को ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । हमारे पास यह दिखाने के लिये कोई साधन नहीं कि इस समिति ने कैसे कार्य किया है, सिवाय उन निष्कर्षों के जो हम साधारण बुद्धि से निकाल सकते हैं या जो कुछ मैं ऊपर बता चुका हूं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मंत्रालय को ज्ञात है कि यह एक सर्वसम्मत प्रतिवेदन है अथवा इससे विमति-टिप्पण भी लगे हुए हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मुझे अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । इस प्रतिवेदन पर रिजर्व बैंक ६ दिसम्बर को सम्भवत: कलकत्ता में होने वाली अपनी आगामी बैठक में सोच विचार करेगा और उसके उपरान्त वह प्रतिवेदन हमें प्राप्त होगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं पूछना चाहती हूं कि क्या प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरान्त मंत्रालय इसे प्रकाशित करने का विचार रखता है, अथवा इसे गुप्त रखेगा ?

श्री ए० सी० गुहा : मैंने पहले ही कहा है कि रिजर्व बैंक ६ दिसम्बर १९५४ को इस पर विचार करेगा और तब हमें भेजेगा। यह प्रतिवेदन प्रकाशित हो या न हो—इस का निर्णय बाद में किया जायेगा।

लोक लेखा समिति का नवम् प्रतिवेदन

*३९७. **श्री मुरारका** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक लेखा समिति द्वारा उनके नवम् प्रतिवेदन में दी गई इस सिफ़ारिश की ओर दिलाया गया है कि भविष्य में रक्षा मंत्रालय में अनुदेश जारी कर दे कि रक्षा-सामान के भण्डारों में आग, चोरी आदि के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्पत्ति की सारभूत हानि अथवा नाश से सम्बन्ध रखने वाले सभी मामले जांच के लिये पुलिस को भेजे जाएं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) (क) जी हां।

(ख) लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुये कुछ सप्ताह हुये हैं। वह प्रश्न अभी विचाराधीन है। बहुत से मामलों में तो प्रतिवेदन अभी पुलिस को भेजा जाता है।

श्री मुरारका : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस आग के कारणों की और अधिक खोज करने का विचार रखती है जो नौ सेना-सामान के भण्डार में लगी थी और जिसने ऐसे अवसर पर जब कि भण्डार में लेखा परीक्षण हो रहा था, ३० लाख रुपये की क़ीमत के भण्डार को नष्ट कर दिया था ?

सरदार मजीठिया : जहां तक उस विशेष आग का सम्बन्ध है, इसकी पदाधिकारियों के एक ऐसे बोर्ड के द्वारा जांच की जा चुकी है जिसमें रीयर-एडमिरल हाल, केप्टन सोनी और कमाण्डर मुकर्जी थे। वे अति उच्च पदाधिकारी हैं और फिर वे इस नौसेना भण्डार संघ से भी कोई सम्बन्ध नहीं रखते। इसीलिये मैं समझता हूं कि यह एक पक्षपात रहित जांच थी। उन का प्रतिवेदन अत्यधिक व्यापक है और सरकार उसमें और अधिक जांच करने का कोई कारण नहीं देखती।

श्री मुरारका : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि इस जांच के प्रतिवेदन में यह उल्लिखित है कि आग का एक कारण विध्वंसक कार्यवाही भी हो सकता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में यह जानने के लिये, कि विध्वंसक कार्यवाही के लिये कौन उत्तरदायी हैं, और अधिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है ?

सरदार मजीठिया। उस प्रश्न पर बहुत कुछ कहा जा चुका है और मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि अब इस की और अधिक जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य नहीं है कि आग का ऐसे समय पर फूट निकलना, जब कि एक लेखा परीक्षक पार्टी के द्वारा लेखा-परीक्षण हो रहा था, एक पर्याप्त सन्देह पूर्ण बात है, और क्या लोक-लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह नहीं कहा है कि उन परिस्थितियों के कारण सन्देह होता है जिन में यह आग लगी थी ? क्या इस प्रतिवेदन के उपरान्त भी सरकार सन्तुष्ट है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं कह चुका हूं सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि यह आग अकस्मात् घटित है और सम्भव है कि इसका किसी ऐसी बात से कोई सम्बन्ध न हो।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ लोग स्वार्थवश लेखा-परीक्षा के समय कमियों को छुपाने के लिये इस प्रकार के अग्निकांड रच दिया करते हैं।

सरदार मजीठिया : मुझे इसके विषय में ज्ञान नहीं है, परन्तु यदि माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी जानकारी है तो मैं उसे सहर्ष प्राप्त करना चाहूंगा।

रूस से आयात की गई पुस्तकें

*३७८. **श्री संगण्णा** (**श्री सारंगधर दास** की ओर से) : क्या **वित्त** मंत्री १९४७ से १९५४ तक विदेशी भाषा-प्रकाशन गृह, मास्को के द्वारा प्रकाशित की गई और प्रति वर्ष भारत में लाई गई पुस्तकों के विक्रय कार्य को संचालित करने के लिये प्रदान किये गये विदेशीय विनिमय की राशि, रुपयों में, और इन पुस्तकों का कुल मूल्य, रुपयों में, दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (**श्री बी० आर० भगत**) : पुस्तकों के आयात के विषय में खुली अनुमति है। उनके लिये भेजे जाने वाले धन के विषय में कोई अलग अभिलेख नहीं रखा जाता, इस लिये सरकार के पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र

*३५१. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, १९५४ में पैरिस में हुई अंध कल्याण विश्व परिषद् के अधिवेशन में एक भारतीय शिष्ट मण्डल उपस्थित था ;

(ख) यदि ऐसा है, तो उनके नाम ; तथा

(ग) क्या परिषद् ने शहरों और नगरों में उन केन्द्रों को केन्द्रित करने के स्थान पर ग्रामीण अंधे व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (**डा० एम० एम० दास**) : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय अंध संस्था बम्बई के निम्न लिखित चार प्रतिनिधि ५ अगस्त से १४ अगस्त १९५४ तक पैरिस में हुई विश्व अंध सभा में उपस्थित हुये थे :—

(१) श्री अमल शाह,

(२) श्री राम चन्द्र राव कवलगिकार,

(३) श्री डी० एडवर्ड जोनाथन,

(४) केप्टन एच० जे० एम० देसाई।

(ग) जी हां।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल

*३५४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्र सेना दल (नौसेना) पक्ष के साथ सम्बद्ध यूनिटों की वर्तमान संख्या;

(ख) वे स्थान जहां पर वे स्थित हैं; तथा

(ग) उन में छात्रों की कुल संख्या ?

रक्षा उपमंत्री (**श्री सतीश चन्द्र**) : (क) इस समय राष्ट्रीय छात्र सेना दल के नौसेना पक्ष के सीनियर डिवीज़न में ५ यूनिट और जूनियर डिवीज़न में ३० यूनिट हैं।

(ख) सीनियर डिवीज़न की यूनिटें बम्बई, कोचीन, कलकत्ता, गौहाटी और पटना में हैं और जूनियर डिवीज़न की यूनिटें

कलकत्ता, मद्रास, ट्रावनकोर-कोचीन, विशाखापटनम, पटना, गौहाटी, नई दिल्ली और देहरादून में हैं।

(ग) ३०० सीनियर डिवीज़न में और ९८४ जूनियर डिवीज़न में हैं। कुल संख्या १२८४ है।

फ्रांसीसी सांस्कृतिक शिष्टमंडल

*३५८. **डा० रामा राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि अक्तूबर, १९५४ में एक प्राइवेट फ्रांसीसी सांस्कृतिक शिष्टमंडल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) यात्रा के दौरान में उन्होंने क्या कार्य किया और वे किन किन स्थानों पर गये ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इटली में भारतीय विद्यार्थियों का प्रशिक्षण

*३५९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष इटली सरकार से छात्रवृत्तियां पाने वाले भारतीय विद्यार्थी अपने अपने प्रशिक्षण केन्द्रों में दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में पहुंचे जबकि वहां का सत्र अक्तूबर में आरम्भ होता है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रशिक्षण के लिये इस वर्ष चुने गये विद्यार्थी, अपने प्रशिक्षण केन्द्रों में समय पर पहुंच गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार को इस विषय में कोई शिकायत मिली है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) दो जा चुके हैं और वे अवश्य पहुंच गये होंगे, तीसरा विद्यार्थी शीघ्र ही चला जायेगा। क्योंकि किसी को भी निश्चित पाठ्यक्रम के लिये नहीं चुना गया है इसलिये पहुंचने की तिथि का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(घ) एक विद्यार्थी का जो द्वितीय वर्ष के लिये छात्रवृत्ति चाहता था, पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

बुनियादी और सामाजिक शिक्षा

*३७७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष १९५२-५३ में कई राज्यों में बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा में शिक्षा सम्बन्धी, प्रकृष्ट विकास की एक योजना आरम्भ की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) किन राज्यों में यह योजना आरम्भ की गई थी ; और

(घ) इस योजना के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]।

त्रिपुरा के लिये सशस्त्र पुलिस

*३७९. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के लिये सशस्त्र **लिस भर्ती करने** का प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भर्ती नैपालियों में से की जायेगी ;

(ग) क्या त्रिपुरा के भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ ने इसका विरोध किया है ; और

(घ) क्या भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ ने यह मांग की है कि उनमें से भर्ती की जाये ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) और (ख). त्रिपुरा में पहले ही सशस्त्र पुलिस है, राज्य सरकार दारजीलिंग से ३० गोरखे भर्ती करके कुछ रिक्तियों को पुर करना चाहती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

नौसेना का अभ्यास

*३८०. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय नौसेना के कितने जहाज़ों ने अक्तूबर, १९५४ के प्रारम्भ में नौसेना के अभ्यास क्रम में भाग लिया ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): दस ।

सेना के पदाधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण

*३८३. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में सेना के कितने पदाधिकारी विशेष प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे गये ;

(ख) उनके कब तक वापस आने की सम्भावना है ; और

(ग) अब तक उन पर कितना व्यय किया जा चुका है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) १९५३–५४ में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये २७ पदाधिकारी और ५ जे० सी० ओ० विदेश भेजे गये थे ;

(ख) उन में से १५ वापस आ चुके हैं। १६ व्यक्ति १९५५ की समाप्ति से पूर्व और एक सितम्बर १९५७ तक वापस आ जायगा ।

(ग) अक्तूबर १९५४ की समाप्ति तक २·९४ लाख रुपया ।

कृत्रिम विटामिन 'ए'

*३८६. **डा० रामा राव:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजायनिक प्रयोगशाला में अगिया घास से विटामिन 'ए' निकालने के प्रयोग पूरे किये जा चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) तथा (ख). प्रयोग अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। प्रयोग का प्रथम क्रम, अर्थात् अगिया घास से बी-आयनोन तैयार करना, पूरा होने वाला है ।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र

*३८९. **श्री भागवत झा आज़ाद:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र बेचने के लिये अधिक सुविधायें देने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या अतिरिक्त विभागीय डाकखानों की शाखाओं के पोस्ट मास्टरों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य अभिकरणों को राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र बेचने के अधिकार देने का सरकार का विचार है ; और

(ग) क्या ऐसे प्रश्नों का निर्णय करने के लिये अक्तूबर, १९५४ के अन्तिम सप्ताह में ग्वालियर में प्रादेशिक राष्ट्रीय बचत पदाधिकारियों का कोई अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) जी हां, सरकार इसके लिये बड़ी उत्सुक है ।

(ख) जी हां, ग्रामीण अभिकर्ता नियुक्त करने की एक योजना पहले ही आरम्भ की जा चुकी है ।

(ग) जी हां ।

राज्य वित्त निगम

*३९१. **श्री एस० एन० दास:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने एक राज्य वित्त निगम संगठित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था की प्राधिकृत और प्रार्थित पूंजी क्या होगी ; और

(ग) क्या प्रबन्ध-बोर्ड संगठित कर दिया गया है और उसने काम करना प्रारम्भ कर दिया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) हां, श्रीमान् । २ नवम्बर १९५४, से बिहार सरकार ने बिहार राज्य वित्तीय निगम स्थापित कर दिया है ।

(ख) प्राधिकृत और निर्गमित पूंजियां क्रमशः २ करोड़ रुपये और ५० लाख रुपये हैं । सम्पूर्ण निर्गमित पूंजी पूर्णतया भुगतान किये गये अंशों में होगी ।

(ग) प्रबन्ध-बोर्ड का संगठन अभी नहीं हुआ है और निगम ने अभी काम करना प्रारम्भ नहीं किया है ।

भारत-मिश्र सांस्कृतिक करार

३२५. **श्री डी० सी० शर्मा :**
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में एक भारत-मिश्र सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रक्षा भंडारों का क्रय

३२७. **श्री यू० सी० पटनायक :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ से ३१ मार्च, १९५४ तक कितनी बार रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों (जिनमें रक्षा सचिवालय के अधिकारी भी सम्मिलित हैं) को रक्षा भण्डारों के क्रय की बातचीत या करार करने के लिये विदेशों में नियुक्त किया गया था;

(ख) ऐसी प्रत्येक नियुक्ति का वर्ष और मास क्या था ; और

(ग) उक्त अधिकारियों ने अपने प्रत्येक दौरे में विदेशों में किस प्रकार के कार्य का सम्पादन किया ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) और (ख). सूचना संग्रहीत की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(ग) इस सूचना को सभा में प्रकाशित करना लोक हित में नहीं होगा ।

महंगाई भत्ता

३२८. **श्री यू० सी० पटनायक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को, जो प्रत्येक राज्य में ३५० रुपये

से ५०० रुपये, ५०१ रुपये से ७५० रुपये और ७५१ रुपये से १,००० रुपये के वेतन दर पर काम कर रहे हैं, स्वीकार्य महंगाई भत्ता की राशि क्या है ; और

(ख) उसी वेतन-दर पर काम करने वाले प्रत्येक राज्य के अधिकारियों को कितना महंगाई भत्ता स्वीकार्य है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) सभी राज्यों में अखिल भारतीय सेवा के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों, जिनके सम्बन्ध में पूछा गया है, को स्वीकार्य महंगाई भत्ता की दरें इस प्रकार हैं :—

विवाहित अधिकारी

वेतन	महंगाई भत्ता
३५०—५०० रुपये	७० रुपये प्रति मास
५०१—७५० रुपये	८५ ,,
७५१—१,००० रुपये	१०० ,,

अविवाहित अधिकारी

वेतन	महंगाई भत्ता
३५०—१,०००	वेतन का १० प्रतिशत, न्यूनतम ४० रुपये और अधिकतम ७५ रुपये प्रतिमास ।

(ख) सूचना, राज्यों से संग्रहीत की जा रही है और ज्यों ही उपलब्ध हो जायगी सभा-पटल पर रखी जायगी ।

नागा पहाड़ियों की सीमा पर मुठभेड़

३२९. श्री गिडवानी : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में नागा पहाड़ियों की सीमा पर माओ स्थान पर पुलिस के एक दल और नागाओं के बीच मुठभेड़ हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो पुलिस दल में मारे गये लोगों की संख्या क्या है ; और

(ग) मुठभेड़ के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग) मनीपुर के मुख्यायुक्त से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जायगी ।

सहकारी संस्थाएं

३३०. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री बिहार राज्य द्वारा बिहार के आदिम जाति-क्षत्रों में सहकारी आन्दोलन के विकास हेतु भेजी हुई विस्तृत योजना का एक विवरण रखने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]

कलाकारों के लिये सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

३३१. श्री के० एस० राव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन ४९ उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिये, जिन्हें भारत सरकार की नवयुवक कलाकारों को सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां देने की योजना के अन्तर्गत प्रथम पारितोषिक देने के लिये चुना गया है, किन्हीं संस्थाओं या व्यक्तियों की सिफारिश की गयी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : इन छात्रवृत्तियों के जारी करने के सम्बन्ध में जैसा कि २६ सितम्बर, १९५३ को सरकार द्वारा निकाली गयी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था, योजना के अधीन पारितोषिक के लिये चुने गये सभी उम्मीदवारों से सरकार की स्वीकृति के लिये पूछा गया है कि वह किन मान्यता प्राप्त संस्थाओं या विशेषज्ञों से अग्रेतर प्रशिक्षण लेना पसन्द करेंगे । तदनुसार प्रथम पारितोषिक के लिये चने गये ४९ उम्मीदवारों से उनकी पसन्द पूछी गयी है और उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पुस्तकें

३३२. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन तमाम पुस्तकों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी जो कि शिक्षा मंत्रालय ने जमायत-उल-उलेमा, वर्धा की एक संस्था तथा हिन्दुस्तानी कल्चर अकादमी आदि से लिखवाईं अथवा खरीदीं ;

(ख) इन पुस्तकों पर कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ग) क्या यह सच है कि प्रकाशन, कागज़ और पारिश्रमिक के मूल्य को ध्यान में रखते हुये, अधिकांश पुस्तकें जो निजी तौर पर प्रकाशित होती हैं अपेक्षाकृत कम मूल्य पर मिल सकती हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ऐसी कोई पुस्तक अमायत-उल-उलमा, वर्धा की किसी संस्था अथवा हिन्दुस्तानी कल्चर अकादमी से लिखवाई या खरीदी नहीं गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

सम्पदा शुल्क

३३३. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में अक्तूबर, १९५४ के अन्त तक ऐसे कितने मामले पंजीकृत हुये हैं जिन में सम्पदा शुल्क वसूल होने की आशा है ;

(ख) अब तक कितने मामले निपटाये जा चुके हैं ;

(ग) सम्पदा शुल्क अधिनियम के लागू होने के समय से अब तक सम्पदा शुल्क के रूप में कितनी राशि संगहीत हो गयी है ;

(घ) लड़े गये (विवादास्पद) मामलों का प्रतिशत क्या है ; और

(ङ) सम्पदा शुल्क के संग्रह, निर्धारण, और पंजीयन हेतु स्थापित विभाग पर साल में कितना व्यय होता है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) राज्यों में अक्तूबर, १९५४ के अन्त तक सम्पदा शुल्क के कुल १८५५ मामले पंजीबद्ध किये गये, जिनमें से ७५५ मामलों में राज्य शुल्क वसूल होने की आशा है ।

(ख) मुक्ति प्रमाण पत्र देकर और निर्धारण द्वारा कुल ६०२ मामले निपटाये जा चके हैं ।

(ग) सम्पदा शुल्क के भुगतान के रूप में अक्तूबर, १९५४ के अन्त तक १५,४३,१४० रुपये की राशि इकट्ठी की जा चुकी है ।

(घ) अब तक कोई मामला लड़ा नहीं गया है ।

(ङ) सम्पदा शुल्क अधिनियम का प्रबन्ध आय-कर विभाग कर रहा है और इस स्थिति में यह हिसाब लगाना सम्भव

नहीं है कि आय कर विभाग के व्यय का कितना भाग प्रत्यक्ष रूप से सम्पदा शुल्क के कामों में लगाया जाता है।

सम्पूर्ण वर्ष के व्यय का हिसाब दर के अनुसार लगाया जायेगा। इस स्थिति में, ऐसे व्यय का कोई अभिभाजन करना कठिन और ग़लत होगा।

रक्षा विज्ञान सेवा

३३४. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा तथा तीनों सेवाओं के मंत्रालय में १९५४-५५ हेतु रक्षा विज्ञान सेवा के लिये आय-व्ययक में उपबन्धित राशि क्या है; और

(ख) किस ढंग से इसका व्यय किया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) २५,७७,८५० रुपये :

	रुपये
रक्षा विज्ञान संगठन	११,४७,९२२
शस्त्र-सम्भार अध्ययन संस्था	८,८४,९२८
नौ-प्रयोग शालायें	५,४५,०००
कुल योग	२५,७७,८५०

(ख) यह राशि, असैनिक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, कार्यालय और निवास-स्थानों, प्रयोग शाला सामग्री और भण्डारों, भत्ता पुस्तकों, अस्थायी कामों के यात्रा, मंहगाई भत्ता, विदेशों में वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण, बड़े कार्यों, आकस्मिक और विविध खर्चों पर व्यय की जाती है।

औद्योगिक समवाय

३३५. श्री एस० सी० सिंगल : क्या **वित्त** मंत्री निम्न सूचनाओं का एक एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में कितने नये समवाय खुले; उनकी प्राधिकृत पुंजी, प्रार्थित पूंजी और प्रदत्त पूंजी क्या है ;

(ख) उन में से कितने विदेशी समवाय थे ;

(ग) उनमें से कितने निर्माण करने वाले समवाय थे ;

(घ) उन में से वास्तव में कितने समवायों ने प्रत्येक वर्ष कार्य प्रारम्भ किया था ; और

(ङ) कितने समवायों का काम ठप हो गया या वे टूट गये ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : भाग (क), (ग) और (ङ), में पूछी गयी जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४९**]** भाग (ख) जिस रूप में है उस रूप में उसका ठीक उत्तर देना सम्भव नहीं होगा, पर जो भी उपयोगी सूचना इकट्ठी हो जायगी, उसे यथा समय सभा-पटल पर रखा जायेगा। भाग (घ) में पूछी गयी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि

**३३६. { डा० राम सुभग सिंह :
सेठ गोविन्द दास :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से भारत-वर्ष ने जनवरी, १९४८ से अब तक कुल कितना रुपया उधार लिया है ;

(ख) उधार लिये हुये धन में से कितना धन वापस किया है ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से भारतवर्ष ने जो धन उधार लिया है, उस पर ब्याज लिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो ब्याज की दर क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय उन क्रयों, अगर कोई हुए हों तो, से है, जो भारतवर्ष ने अपनी मुद्रा के बदले में अन्य सदस्य देशों से उन की मुद्रा क्रय की हैं, तो उत्तर निम्न है :—

(क) ९ करोड़ ९९ लाख ८० हजार डालर।

(ख) ४ करोड़ ६७ लाख २० हज़ार डालर के मूल्य के रुपये फिर से खरीदे हैं।

(ग) जी हां। इस प्रकार के क्रयों पर ब्याज देना होता है।

(घ) मुद्रा निधि अपने सदस्यों को जो मुद्रा बेचती है उस पर प्रभार या ब्याज लेने के सम्बन्ध में निधि ने एक अनुसूची बनाई है। मूल सूची का दो बार संशोधन हो चुका है। हमने अमरीकी डालरों का जो क्रय किया है वह क़रार की शर्तों के अनुच्छेद ५, धारा ८ (ग) के अनुसार बनाई गई प्रभार-सूची के अनुसार हुआ है जिसकी एक प्रतिलिपि संसद्-पुस्तकालय में प्राप्य है।

५ करोड़ ३२ लाख ६० हज़ार डालर की धन राशि में से जिसका कि भुगतान नहीं किया गया है, २ करोड़ ७७ लाख ६० हज़ार डालर पर, जो कि स्वर्ण विभाग के अन्तर्गत आता है, कोई प्रभार या ब्याज नहीं लिया जायगा। बाक़ी २ करोड़ ५५ लाख डालर पर भारतवर्ष आजकल ३ १/२ प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज दे रहा है। इस बाक़ी को भी मार्च १९५५ तक दुबारा से खरीदने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारी आचरण नियम

३३७. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये आचरण नियम अन्तिम रूप से तैयार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रतिलिपि पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या नियम आदि बनाने में राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया है ; और

(घ) क्या ये आचरण नियम राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम पहिले से ही लागू कर दिये गये हैं। १० सितम्बर, १९५४ को वे सभा-पटल पर रख दिये गये थे। केन्द्रीय सेवा के नियमों में उपरोक्त नियमों के आधार पर अब संशोधन हो रहा है।

(ख) जी हां, अन्तिम रूप से तैयार हो जाने के बाद पटल पर रखे जायेंगे।

(ग) अखिल भारतीय सेवा के नियम बनाने के समय राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया था। केन्द्रीय सेवा के नियम बनाने के समय उनसे परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

(घ) जी नहीं। संविधान के अनुच्छेद ३०९ के आधीन राज्य सरकारों को ही अपने कर्मचारियों के लिये नियम बनाने के अधिकार हैं।

अध्यापकों का चुनाव

३३८. सेठ गोविन्द दास : : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २०० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले स्कूलों तथा कालेजों में काम करने वाले

उन अध्यापकों की संख्या कितनी है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने सीधे अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा १९५४ में अब तक चुना ; और

(ख) क्या कोई योजना भी विचाराधीन है जिससे कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले अध्यापक अपनी दक्षता बनाये रखें ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर उचित समय पर रखी जायगी ।

(ख) सेवारत अध्यापकों की कार्य कुशलता (दक्षता) बढ़ाने के लिये जो भी सामान्य योजनायें तथा कार्यक्रम हैं वे सभी शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले अध्यापकों पर यथासम्भव लागू होते हैं ।

सम्पदा शुल्क

३३९. श्री नानादास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक (अलग अलग क्षेत्रों में) कुल कितना सम्पदा शुल्क लगाया गया है और एकत्र किया गया है; और

(ख) इससे होने वाले प्राक्कलित राजस्व की तुलना में यह एकत्र धन कितना है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). सम्पदा शुल्क के आंकड़े अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार नहीं दिये गये हैं अपितु प्रत्येक नियंत्रक के प्रकार क्षेत्रों के अनुसार दिये हुये हैं और ये क्षेत्र आयकर आयुक्त के क्षेत्र से मिलते जुलते ही हैं क्योंकि सम्पदा शुल्क के प्रयोजनार्थ आयकर-आयुक्त को ही नियंत्रक बनाया गया है । अक्तूबर, १९५४ तक कुल ३३,९२,७६१ रुपये सम्पदा शुल्क के रूप में लगाये गये हैं और १५,४३,१४० रुपये अब तक इकट्ठे किये गये हैं । प्रभार क्षेत्र में लगाये गये सम्पदा शुल्क तथा इकट्ठे किये गये शुल्क के आंकड़े निम्न हैं :—

नियंत्रक का प्रभार-क्षेत्र	अक्तूबर के अन्त तक आरोपित शुल्क	अक्तूबर के अन्त तक एकत्रित शुल्क
(१)	(२)	(३)
(१) बम्बई नगर (१)	१,९०,०५५	१,८४,४७८
(२) बम्बई नगर (२)	२८,१३,६९४	१०,६०,४५९
(३) बम्बई उत्तर	१,१५,१६१	१,१३,८५८
(४) बम्बई दक्षिण	११४	१४
(५) मद्रास	१,४८७	८२१
(६) उत्तर प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश	१६,७२८	१४,३४२
(७) हैदराबाद	शून्य	५७,१०४
(८) मैसूर	१४,९६२	शून्य
(९) पश्चिमी बंगाल	१,८१,०००	४०,०००
(१०) दिल्ली	५९,५५९	७१,९६३
(११) पंजाब	शून्य	शून्य

(१)	(२)	(३)
(१२) मध्यप्रदेश तथा भोपाल	शून्य	शून्य
(१३) बम्बई मध्य	शून्य	शून्य
(१४) आसाम	शून्य	शून्य
(१५) कलकत्ता मध्य	शून्य	शून्य
(१६) बिहार तथा उड़ीसा	शून्य	शून्य

कुछ प्रभार-क्षेत्रों में जो सम्पदा शुल्क लगाया गया है उसकी अपेक्षा एकत्र धन अधिक हो गया है ; उसका केवल यही कारण है कि कराधान अन्तिम रूप से तै हुये बिना सम्पदा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार शुल्क इकट्ठा किया गया है, यह भी है कि लेखाओं के प्रस्तुत करने के बाद उनके आधार पर "सम्पदा शुल्क के खाते" की मद में, धन एकत्र किया जा रहा है ।

इससे होने वाले प्राक्कलित राजस्व का लगभग ३·०३ प्रतिशत अब तक एकत्र हुआ है । सम्पदा शुल्क अभी नया ही कर है और इससे प्राप्त होने वाले राजस्व बहुत से अनिश्चित तथ्यों, जैसे धनी व्यक्तियों की मृत्यु, उन्होंने कितनी सम्पत्ति छोड़ी, आदि, पर निर्भर है । इसलिये इस स्थिति में निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि क्या पूरा प्राक्कलित राजस्व इस वर्ष में एकत्र किया जा सकेगा अथवा नहीं । किन्तु उन सभी बड़ी बड़ी सम्पदाओं के मामलों को, जो कि कराधान के योग्य बन गई हैं, अन्तिम रूप से तै करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जा रहा है ।

दिल्ली के उपेक्षित स्मारक

३४०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स', दिनांक २५ सितम्बर, १९५४ के पृष्ठ पांच पर प्रकाशित 'नेगलेक्टिड मान्युमेंट्स आव दिल्ली हिस्टरी" ["दिल्ली इतिहास के उपेक्षित स्मारक"] लेख की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि ये स्मारक धीरे धीरे ढह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]

दिल्ली पुलिस

३४१. **श्री भीखाभाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य में पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस के थानेदारों तथा सिपाहियों को प्रतिवर्ष कितनी वर्दियां दी जाती हैं; और

(ख) क्या उनकी आवश्यकताओं को प्रति वर्ष पूरा करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) पूरी वर्दी प्रति वर्ष नहीं दी जाती । वर्दी की कुछ चीज़ें तो प्रति वर्ष दी जाती हैं, और अन्य वस्तुएं बहुत दिनों के बाद दी जाती हैं ।

(ख) प्रति वर्ष बदलाई जाने वाली वस्तुओं के दिये जाने के बारे में उत्तर 'हां' में है ।

राजस्थान में सम्पदा शुल्क

३४२. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान में अब तक कितने मामलों का पंजीयन किया गया है ;

(ख) उनमें से कितनों को निपटा दिया गया है ; और

(ग) सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन राजस्थान में ३० सितम्बर, १९५४ तक कितना धन एकत्र हुआ है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). राजस्थान में अक्तूबर, १९५४ के अन्त तक कुल २९ मामलों का पंजीयन किया गया है, जिनमें से २ मामले निपटा दिये गये हैं ।

(ग) राजस्थान में सितम्बर, १९५४ के अन्त तक सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन कोई शुल्क अभी तक एकत्र नहीं किया गया है ।

भारतीय वायु बल

३४३. श्री के० सी० सोधिया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में भारतीय वायु बल में कुल कितने वायुयानों की वृद्धि हुई है ; और

(ख) देश में कितने वायुयान बनाये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख) . मुझे खेद है कि यह जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

बच्चों द्वारा बनाये गये चित्रों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी

३४४. श्री एन० एम० लिंगम : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों द्वारा बनाये गये चित्रों की जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जनवरी १९५४ में हुई थी, उसके लिये 'शंकर्स वीकली' नई दिल्ली को कितना धन दिया गया था ; और

(ख) उस प्रदर्शनी पर कुल कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १२,००० रुपये ।

(ख) यह एक गैर सरकारी सांस्कृतिक प्रयास है जिस पर —प्राप्त जानकारीके आधार पर—इस प्रदर्शनी का दिल्ली, कलकत्ता तथा लखनऊ में संयोजन करने में एक लाख रुपये से अधिक व्यय हुआ है :

मनोरंजन कर

३४५. श्री बी० बी० शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत सभाओं को मनोरंजन कर से मुक्त कराने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सामाजिक कल्याण बोर्ड, उड़ीसा

३४६. श्री लक्ष्मीधर जेना : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा सामाजिक कल्याण बोर्ड की सदस्यता तथा सभापति के पद के लिये किन किन व्यक्तियों का नामनिर्देशन किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : उड़ीसा राज्य के सामाजिक कल्याण परामर्शदाता बोर्ड में निम्न व्यक्ति हैं :—

श्रीमती मालती देवी चौधरी (सभापति)
श्रीमती हेमलता टेगोर (सदस्य)
श्रीमती कस्तूरीबा कुमुदिनी मंजनी देवी (सदस्य)
श्रीमती अन्नपूर्णा दास (सदस्य)
कुमारी बी० सारंगी (सदस्य)
स्वामी ज्ञानस्वरूपानन्द (सदस्य)
डा० कुमारी वीणापाणि देवी (सदस्य)
श्री जे० ए० वी० देव (सदस्य)
श्रीमती ए० लक्ष्मी बाई (सदस्य)

पाकस्तानियों का आगमन

३४७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
श्री गिडवानी :
श्री जेठा लाल जोशी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५४ के तीसरे सप्ताह में बहुत-बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मुसलमान बिना आज्ञा पत्र के कच्छ लौट आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानियों के जनसमूह के इस आगमन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) सारे अक्तूबर मास में मूलतः कच्छ के रहने वाले ३७३ जाट मुसलमान कच्छ में बसने के उद्देश्य से भारत वापस आये ।

(ख) वैध यात्रा-अभिलेखों के बिना जो व्यक्ति भारत में आते हैं उन पर भारतीय प्रवेशपत्र नियमों के अधीन अभियोग चलाया जाता है और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि वे पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं तो उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है ।

अक्तूबर में बिना आज्ञापत्र के वापस आये हुये ३७३ जाट मुसलमानों की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है । उन लोगों के मामले, जो मूलतः कच्छवासी हैं और जो ढोर सहित वापिस आये हैं, स्थानीय सरकार को सौंपे जाते हैं और आवश्यक आदेश प्राप्त होने पर उन्हें कच्छ में बसने की अनुमति दे दी जाती है ।

पाकिस्तान की प्रतिभूतियां

३४८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के सरकारी बैंक ने समस्त प्रतिभूतियों के, जिनमें भारतीय सरकार की प्रतिभूतियां भी सम्मिलित हैं, के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध के क्या परिणाम हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रतिभूतियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना विनिमय नियन्त्रण नियमों का सामान्य रूप है, और इस के फलस्वरूप किसी विशेष परिणाम की सम्भावना नहीं है ।

प्राचीन स्मारकों का संरक्षण

३४९. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्व विभाग ने १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष में अब तक राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण के सम्बन्ध में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किये हैं या आरम्भ किये हैं ;

(ख) ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों के विशेष जीर्णोद्धार पर इस काल में वास्तव में कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ग) क्या पुरातत्वीय रसायनशास्त्रियों ने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिये किन्हीं नवीन रसायनों की खोज की है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]

(ख) अक्तूबर, १९५४ के अन्त तक १,८१,२६७ रुपये ।

(ग) पुरातत्वीय प्रकाशन 'इण्डियन आर्केआलुजी' ["भारतीय पुरातत्व"] १९५३-५४ के २८ से ३२ तक के पृष्ठों पर अपेक्षित सूचना का उल्लेख है और इस प्रकाशन की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में प्राप्य है ।

बैंकों को अनुज्ञप्ति देने से इन्कार

३५०. श्री बहादुर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने १९५४ में देश के किन किन बैंकों को बैंक समवाय अधिनियम के अधीन व्यापार करने की अनुज्ञप्ति देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) इस इन्कार के क्या कारण बताये गये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जिन बैंकों को बैंक समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा २२ के अधीन भारत में महाजनी करने के लिये १९५४ में अनुज्ञप्ति देने से इन्कार किया गया है, उन के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

१. नेशनल बैंक आफ बंगाल, लि०, कलकत्ता ।

२. दीनजपुर बैंक लिमिटेड, कलकत्ता ।

३. दास बैंक लिमिटेड, कलकत्ता ।

४. दुर्गा बैंक लिमिटेड, छिंदवाड़ा ।

५. आसाम बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रुगढ़ ।

६. कोयम्बटूर कमलालय बैंक लिमिटेड, कोयम्बटूर ।

७. यूनाइटेड मर्केण्टाइल बैंक (आसाम) लिमिटेड, गोलाघाट ।

८. राहत बैंक लिमिटेड, जलपायगुरी ।

९. दक्कन इण्डिस्ट्रियल बैंक, लिमिटेड, पूना ।

१०. ईस्ट एण्ड वेस्ट बैंक लिमिटेड, कलकत्ता ।

११. बैंक आफ बारसी लिमिटेड, बारसी ।

(ख) जैसा कि मैं १५-९-१९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या ९७५ के उत्तर में बता चुका हूं, इन बैंकों को एक या दोनों (क) तथा (ख) शर्तों, जिनका यथाकथित अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (३) में उल्लेख है, के पूरा न करने पर अनुज्ञप्ति देने से इन्कार कर दिया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन

३५१. श्री केशवैयंगार : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसी विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन के लिये किसी डिप्लोमा या उपाधि का पाठ्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जहां ऐसा पाठन होता है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). विदित सूचनानुसार भारत के तीन विश्वविद्यालयों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध कार्य के अध्ययन की सुविधायें हैं। सुविधाओं का सविस्तार वर्णन इस प्रकार है :—

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध कार्य के अध्यन की भारतीय विश्वविद्यालयों में प्राप्त सुविधाओं का विवरण

संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्त सुविधायें
१	इलाहाबाद	डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेशनल एफेयर्स [कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्य] में एम० ए०।
२	आन्ध्र	इंटरनेशनल रिलेशन्ज [अन्तर्राष्ट्रीय संबन्ध] में एम० ए० आनर्स।
३	अलीग	वैदेशिक-कार्य में डिप्लोमा प्राप्त करने का द्वि-वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

मनीपुर में स्कूल निरीक्षण कर्मचारी वर्ग

३५२. श्री रिशांग किशिंग : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में आजकल स्कूल निरीक्षक कर्मचारी वर्ग की संख्या क्या है ;

(ख) उनका वेतन-क्रम क्या है ;

(ग) कर्मचारियों में से कितने व्यक्तियों को आसाम में विद्यमान वेतन-क्रम दिया गया है ;

(घ) उन सब को आसाम में विद्यमान वेतन-क्रम न देने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उन्हें वह वेतन क्रम कब दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी।

भारतीय भूतत्वीय परिमाप (सामग्री)

३५३. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ (३० सितम्बर, १९५४ तक) में प्रति वर्ष विभिन्न देशों से कुल कितनी सामग्री का आयात किया गया ;

(ख) किन किन देशों से सामग्री का आयात किया गया है ;

(ग) इस कार्य के लिये उपरोक्त काल में चतुर्थसूत्री योजना तथा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कितने मूल्य की सामग्री प्राप्त हुई है ?

(घ) क्या यह सच है कि प्राप्य सामग्री देश में परिमाप-कार्य के लिये पर्याप्त नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिक सामग्री प्राप्त करने के हित सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) से (ङ). एक विवरण,

जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ५२]

श्राप समिति

३५४. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षित बैंक द्वारा बैंकों तथा बीमा समवायों की संथा बनाने के लिये श्राफ समिति के सुझावों को कार्यान्वित करने की तरकीबों तथा उपायों का सुझाव देने के निमित्त नियुक्त समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(ख) समिति के ठीक निर्देश-पद क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) श्री एस० के० हण्डू (सभापति)

(२) श्री एच० सी० कैप्टेन

(३) श्री डी० आर० थौम

(४) श्री एल० एस० वैद्यनाथन्

(५) श्री बी० के० शाह

(६) श्री प्राण लाल देवकरण नानजी

(ख) समिति के निर्देश-पद निम्नलिखित हैं :—

(१) औद्योगिक समवायों के हिस्सों तथा ऋणपत्रों के नये मामलों में, रुपया लगाने अथवा प्रत्याभूति देने के लिये संथा अथवा सिन्डिकेट बनाने के सम्बन्ध में श्राफ समिति के प्रस्तावों पर विस्तार पूर्वक विचार करना ; तथा

(२) श्राफ समिति द्वारा बताये गये प्रयोजनों के निमित्त एक संथा अथवा सिन्डिकेट बनाने के लिये विशिष्ट सिफारिशें यथा बैंकों तथा बीमा समवायों को लम्बी अवधि की औद्योगिक वित्त व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में अधिक सुविधायें देना ।

जाली नोट बनाना

३५५. **श्री माधव रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कुल कितने व्यक्ति जाली नोटों को बनाने के आरोप से गिरफ्तार किये गये ;

(ख) उनसे कुल कितने रुपयों के नोट बरामद हुए ;

(ग) कितने मामलों का निपटारा किया गया ; तथा

(घ) सरकार ऐसे मामलों को रोकने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

उड़ीसा को ऋण तथा अनुदान

३५६. **श्री सारंगधर दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९४७-४८ से वर्ष १९५३-५४ के अन्त तक प्रति वर्ष उड़ीसाकी सरकार को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये कितना ऋण अथवा अनुदान दिया गया :

(१) अधिक अन्न उपजाओ ;

(२) छोटी सिंचाई परियोजनायें ;

(३) खाद तथा उर्वरकों का वितरण ;

(४) औद्योगिक विकास ;

(५) सड़क निर्माण ;

(६) आदिम जातियों का कल्याण तथा प्रगति ;

(७) अनुसूचित जातियों का कल्याण ;

(८) भुवनेश्वर में नयी राजधानी का निर्माण ;

(९) शिक्षा सुविधाओं की वृद्धि ;

(१०) उत्कल विश्व विद्यालय में नये विभागों की स्थापना ;

(ख) क्या राज धानी की इमारतों के अनुदान में राजधानी के लिये जल-कल के निर्माण तथा संधारण व्यय भी शामिल हैं ; तथा

(क) यदि हां, तो जल-कल के दो शीर्षों के अधीन पृथक् रूप से कितना रूपया मंजूर किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग) . सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

३५७. **श्री धूसिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अनुच्छद २७५ के अधीन भारत सरकार से वर्ष १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में उपलब्ध धन से विभिन्न राज्यों ने अनुसूचित आदिम जातियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा डाक्टरी सहायता के निमित्त कुल कितना व्यय किया ;

(ख) प्रत्येक राज्य के लिये यथार्थ में कितनी राशि स्वीकृत हुई ; और

(ग) इस अवधि के लिये प्रत्येक राज्य ने क्रमशः कितनी राशि की मांग की ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) से (ग) . जानकारी एकत्र की जा रही है तथा समय पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

लोक सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८— १९५४

(१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

सेवा में

विषय सूची

खण्ड ८, अंक १ से १५--१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

अंक १--सोमवार, १५ नवम्बर, १९५४

श्री रफी अहमद किदवई तथा श्री नाडिमुत्तु पिल्ले का निधन. १-६

अंक २--मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . . ७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७-९

टिन की चादरों के धारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . ९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (१३२) / ५४, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५४ . . ९

विहित कालावधि के भीतर कतिपय दस्तावेज पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का विवरण ९

मोटर गाड़ी लीफ-स्प्रिंग उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . १०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)-टी० बी०/५४, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ . . . . १०

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ११

विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनेक बांट के बारे में याचिका ११-१२

स्थगन प्रस्ताव--आन्ध्र सरकार के बारे में . . . १२-१४

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपा गया १४-६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त . . . ६८-१०६

अंक ३—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग भारत अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ १९ . १०७–१०८

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . १०८

दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के बारे में याचिका . . १०८–१०९

सभा का कार्य—

सत्र में पुरःस्थापन के लिये— प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय . १०९–११०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिये समय नियतन . ११०–१११

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १११–१८४

अंक ४—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . १८५

सभा का कार्य—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों के लिये समय का बटवारा १८७–१८८

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १८९–२७५

सभा का कार्य २७६

अंक ५—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–२७९

सभा का कार्य २७९–२८०

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत २८०–३३४

	स्तम्भ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३३५
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३३५–३६८
विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—असमाप्त . .	३६९–३७०

अंक ६—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर की स्थिति	३७१–३७४
सभा का कार्य—	
समय नियतन	३७४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७५–४२८
चाय पर बढ़ाये गये निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	४२९–४४५
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४४५–४५६

अंक ७—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज	४५७–४५९
दिल्ली परिवहन सेवा	४५९–४६१
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	४६१–४६५
संशोधनों की ग्राह्यता	४६५–४७८
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४७४–५३८

अंक ८—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५३९–५८४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त.	५८४–६०७

स्तम्भ

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ६०७–६०८

अंक ९—गुरूवार, २५ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन, प्राधिकार (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय अधिसूचना . ६०९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . . ६०९–६१०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६१०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६१०–६७८
खण्ड २ से १५
खण्ड १६ से १९

अंक १०— शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया . . ६७९

समिति के लिये निर्वाचन—
प्राक्कलन समिति ६७९–६८०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार–असमाप्त ६८१–७१९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ७१९–७२८

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—विचार स्थगित ७२८–७३३

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५३ का रखा जाना)—
पुरःस्थापित ७३४

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ७३४–७७२

स्तम्भ

११—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध . . . ७७३–७७४

ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान क्षेत्र का उपयोग . ७७४–७७६

हायक प्रादेशिक सेना विधेयक—वापस लिया गया . . . ७७६–७७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त ७७८–८५४

खंड २०से २४ . . . . ८१९–८२०

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८२०–८५४

अंक १२—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

टल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन . . ८५५

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का प्रतिवदन ८५५–८५६

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण ८५६–८५७

लवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ८५७

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ८५७–८५८

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खडों पर विचार—असमाप्त ८५८–९३१, ९३२–९४०

नये खंड २१क, २२क और २४क ८५८–८६५

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८६५–९२१

खण्ड २६ से ३८ . . . . . ९२१–९३०, ९३२–९४०

आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरःस्थापित ९३१–९३२

१३—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

टल पर रखा गया पत्र—

साहित्य अकादमी और उस की गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण . ९४१

र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ९४१

स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारिवृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी ९४२–९४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त—

खंड २६ से ३८ . . . . . ९४४–१००९

खंड ३९ से ६० . . . . . १००९–१०१४

अंक १४—गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १०१५

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . १०१५–१०१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में मैदा की कमी १०१६–१०१७

सभा का कार्य—

सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय-नियतन . . १०१७–१०२३

दिल्ली जल तथा नाला-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित १०२३

आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत

डा० काटजू १०२३–२९, १०६०–६४

श्री पाटस्कर १०२९

श्री रामचन्द्र रेड्डी १०३०–१०३३

श्री ए० के० गोपालन १०३३–१०३९

डा० लंका सुन्दरम् १०३९–४६

श्री रघुरामैया १०४६–५०

डा० जयसूर्य १०५०–५२

श्री एस० एस० मोरे १०५२–५५

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी १०५५–५७

श्री गाडिलिंगन गौड़ १०५८

श्री राघवाचारी १०५८–५९

श्री लक्ष्मय्या १०५९

श्री यू० एम० त्रिवेदी १०५९–६०

	स्तम्भ
खंड १ से ३	१०६४–७०
संशोधित रूप में पारित—	
श्री एच० एन० मुखर्जी	१०७७–८०
डा० लंकासुन्दरम्	१०८०
पं० ठाकुर दास भार्गव	१०८०–८२
श्री जी० एच० देशपांडे	१०८३
डा० काटजू	१०८३–८८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त—	
खंड ६१ से ६५	१०८८–९८
दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१०९८–११००
अंक १५—शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन	११०१–११०८
पटल पर रखे गये पत्र—	
जिप फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प . .	११०८–११०९
चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना	११०९
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	११०९
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	१११०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—छठा प्रतिवेदन —उपस्थापित	१११०–११
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	१११९
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . .	१११९–१११२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त —	
खंड ६१ से ६५	१११२–५४

स्तम्भ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ११५४–५५

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ११५५–१२०२

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये समविहित निकाय के बारे में संकल्प—असमाप्त १२०२–१२०४

लोक-सभा

गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-५७ म० पू०

पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के बारे में अधिसूचना

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १८ टी० ए० जी० (२०) ५४ दिनांक १९ अक्तूबर, १९५४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—४२९/५४]**

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मैं, पत्र संख्या ६ और ७ की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिसमें भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर रायें दी गई हैं जो ३१ अगस्त, १९५४ तक राय जानने के लिये परिचालित किया गया था।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी १५वां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी

खंड २ से १५

अध्यक्ष महोदय : सभा अब दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खंड २ से १५ पर चर्चा का पुनरारम्भ करेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : आरम्भ में मैं खंड ३ पर बोलूंगा। मूल अधिनियम की धारा ५३९ ख में उल्लिखित है कि कोई न्यायाधीश अथवा दण्डाधीश किसी क्रम पर, अभियुक्त तथा अभियोक्ता पक्ष को उचित पूर्वसूचना देकर उस स्थान का निरीक्षण कर सकता है जहां अपराध किया गया हो।

कल कहा गया था कि दोनों पक्षों की सम्मति पर निर्भर करने से न्यायालय के कार्य को हानि पहुंच सकती है। परन्तु अब स्पष्ट हो गया है कि न्यायालय को किसी भी स्थान का निरीक्षण करने का अधिकार है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

न्यायालय अधिकतर उस स्थान पर बैठक करेगा जहां अपराध किया गया है। इसमें बड़ी कठिनाई होगी। यह कहना कि अपराध के स्थान के निकट साक्षी कम झूठ बोलेंगे, ठीक नहीं है। प्रवर संमिति ने दोनों पक्षों की सम्मति की व्यवस्था करके बड़ी बुद्धिमत्ता की है। यदि वकील को मुख्यालय के लिये नियुक्त किया गया है तो मुफस्सिल में जाने के लिये वे अधिक देय मांगेगा। इससे लोगों को बड़ा कष्ट होगा। बल्कि इस बात का निर्णय तो अभियुक्त पर छोड़ देना चाहिये, कि न्यायालय की बैठक कहां की जाये। अभियुक्त अथवा अभियोक्ता पक्ष की राय पूछने में न्यायालय की साख कम नहीं होगी। मेरे विचार में संशोधन अस्वीकृत किये जाने चाहियें और मूलधारा रखी रहनी चाहिये।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

फिर अवैतनिक दण्डाधीशों के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके पक्ष में इंग्लैण्ड का उदाहरण दिया गया परन्तु इंग्लैण्ड में अवैतनिक दण्डाधीश अपने क्षेत्राधिकार में नियुक्त नहीं किये जाते। यहां इस बात को पसन्द नहीं किया जायेगा। स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त करने का यह लाभ अवश्य होता है कि वे समझौते करा देते हैं परन्तु देश की वर्तमान परिस्थितियों को देख कर मैं इस उपबन्ध से सहमत नहीं हूं। कई अवैतनिक दण्डाधीश अच्छे भी होते हैं परन्तु इन्हें लोगों को असुविधा से बचाने के लिये नहीं बल्कि राजनैतिक प्रभावों के कारण नियुक्त किया जाता है इस आधार पर मैं इसे पसन्द नहीं करता।

इसके लिये उपयुक्त अर्हतायें भी होनी चाहियें। एक सेवा निवृत्त इंजीनियर अथवा सिविल सर्जन इस काम को बिना विधि के ज्ञान के कैसे निभायेगा। उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश, जिला दण्डाधीश और सत्र-न्यायाधीश के अधीन काम करना नहीं चाहेंगे। अतः वे उपलब्ध न होंगे। वैसे भी स्थानीय मामलों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण न्याय ठीक प्रकार न हो सकेगा। अतः जब तक हालात ठीक नहीं होते वैतनिक दण्डाधीश ही रखे जायें।

इसके अतिरिक्त खंड ६, धारा ३० के अन्तर्गत नियुक्त किये गये दण्डाधीशों ने अच्छा कार्य किया है। इस दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक से पहले भी इनकी प्रशंसा करता रहा हूं। अधिक केस सत्र-न्यायालय में जाते हैं और माननीय गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार उन में से ७५ प्रतिशत रिहा कर दिये जाते हैं। परन्तु धारा ३० के अन्तर्गत यह दण्डाधीश अधिक लोगों को दण्ड देते हैं।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या आप चाहते हैं कि अधिक दोष सिद्धियां हों ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह अवश्य चाहता हूं कि अपराधियों को न छोड़ा जाये। जांच में त्रुटियां रह जाने के कारण ही इतने लोग रिहा हो जाते हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : क्या निर्दोष व्यक्तियों को नहीं छोड़ना चाहिये ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ७५ अथवा ८३ प्रतिशत लोग जो छोड़े जाते हैं वे सब निर्दोष नहीं होते।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जांच विश्वस्त हो, पुलिस गलत बयान न लिखे और न्यायालय ठीक ठीक दृष्टि से सब देखे। मेरा अभिप्राय यह नहीं कि निर्दोष व्यक्तियों को व्यर्थ दण्ड दिया जाये।

श्री एस० एस० मोरे : परन्तु मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह निर्णय कौन करेगा कि उचित व्यक्ति को दण्ड दिया

गया या नहीं । डा० काटजू या उच्चतम न्यायालय ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस बात का निर्णय हम में से किसी को नहीं करना है । जहां अपराध होता है वहां सब लोगों को इसका पता होता है ।

धारा ३० दण्डाधीशों ने पंजाब में बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं चाहता हूं कि सारा देश इस प्रणाली को स्वीकार करे । यह दण्डाधीश प्रायः बड़े अनुभवी होते हैं और वे केसों का ठीक निर्णय बड़ी सरलता से कर सकते हैं ।

सत्र न्यायालय में सत्र केसों और गम्भीर केसों में कुछ और ही वातावरण होता है । परन्तु धारा ३० दण्डाधीश के केस नियमित रूप से चलते हैं और विलम्ब नहीं किया जाता और वारण्ट केस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है । वारण्ट केस प्रक्रिया को जारी रखना चाहिये ।

खंड २ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के दण्डाधीशों की जुर्माना करने की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं परन्तु वे एक ही अनुपात से नहीं बढ़ाई गई हैं । द्वितीय श्रेणी के दण्डाधीश की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ाई गई हैं । उन्हें एक ही स्तर पर लाना चाहिये ।

खंड १३ में मूल शब्द "रह रहे व्यक्ति" के स्थान पर "रह रहे कोई भी व्यक्ति" रखने को कहा गया है । इससे अभिप्रेत है कि गृहपति के अतिरिक्त घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सके । परन्तु मेरे विचार में गृहपति को ही उत्तरदायी ठहराया जाये क्योंकि घर में बच्चे, स्त्रियां और अतिथि सभी होते हैं । उनको व्यर्थ ही अन्तर्ग्रस्त नहीं करना चाहिये ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : विचार करने से पता चलता है कि इन खंडों का अभिप्राय अभियुक्त को उसके अधिकार से वंचित करना और कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ाना है ।

सम्मन केस का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और सत्र केसों के लिये परीक्षण का स्थान चुनने के लिये अभियोक्ता पक्ष की राय को अधिमान्यता दे दी गई है ।

मेरी राय में वारंट प्रक्रिया को थोड़े बहुत संशोधन करके ऐसे ही रहने देना चाहिये क्योंकि यह बहुत लाभदायक और न्यायशील सिद्ध हुई है ।

वर्तमान सम्मन केस प्रक्रिया अंग्रेजों द्वारा जारी की गई थी जो लोगों के बचाव का अधिकार नहीं देना चाहते थे । इसीलिये उन अपराधों के केसों को सम्मन केस बना दिया गया था जिन में छः मास का दण्ड दिया जा सकता था, यह अधिकतम सीमा ३ मास से अधिक नहीं होनी चाहिये । एक वर्ष तो बहुत ही अधिक है । प्रतिरक्षा के अधिकार की अस्वीकृति का दूसरा पक्ष खण्ड ३ में अन्तर्ग्रस्त है, जिसके अनुसार अभियोक्ता पक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि यह अभियोग के स्थान को निश्चित करने में सत्र न्यायाधीश के निर्णय को भी रद्द कर सकता है । जिला मुख्यालयों में तो अभियोक्ता और अभियुक्त दोनों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, परन्तु कई ऐसे स्थान भी हैं जो कि जिला मुख्यालयों से बहुत दूर हैं, जहां पर अभियुक्त साक्षी उपस्थित करने या और किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं करता । अतः यदि अभियुक्त की इच्छा हो, तो दोनों पक्षों की सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुये अभियोग का स्थान बदल देना चाहिए ।

इस स्थान परिवर्तन में अभियोक्ता पक्ष को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, सिवाये इसके कि जमानत से पूर्व अभियुक्त को जेल में रखने के लिए नये स्थान पर विशेष प्रबन्ध

[श्री साधन गुप्त]

करना पड़ेगा। ऐसे मामलों में सत्र न्यायाधीश स्वयं सोच विचार कर उचित कार्य करेगा।

आज तो ऐसी स्थिति है कि यदि अभियुक्त ऐसा अनुभव करे भी कि कोई एक विशेष स्थान उसके लिए उपयुक्त रहेगा, उसे वहां हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी और सत्र न्यायाधीश भी ऐसा ही अनुभव करे तो भी यदि अभियोजन इस बातसे सहमत नहीं, तो अभियोग का स्थान नहीं बदला जा सकता। यह तो एक अत्याचार है। अतः अभियुक्त को स्थान बदलने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए।

इसमें न्यायालय के मानापमान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सीधी सी बात है कि अभियुक्त पक्ष को अपनी अच्छी प्रकार से प्रतिरक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। अतः अभियोग के स्थान परिवर्तन में परामर्श अवश्य लेना चाहिए, और उनमें भी अभियुक्त का परामर्श लेना अनिवार्य होना चाहिए। इसीलिए तो हमने एक शोधन संप्रस्तुत किया है जिसके अनुसार अभियुक्त पक्ष का परामर्श लिया जाना चाहिए और अभियोक्ता पक्ष को परामर्श देने के लिए बाध्य न करना चाहिए तभी सच्चा न्याय हो सकता है।

अब मैं कार्यपालिका शक्ति की वृद्धि करने वाले दूसरे पक्षको लेता हूं जो इस प्रस्तुत विधेयक में सम्मिलित है। इसका ६ वां, ७ वां, ८ वां, ९ वां, और १३ वां खण्ड एक भयानक गलतीसे भरपूर है। कार्यपालिका और न्याय-पालिका को पृथक् पृथक् करनेकी बजाये हम फिर से धारा ३० के अधीन विशेष दण्डाधीशों की प्रणाली को व्यापक बना रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि धारा ३० के दण्डाधीशों ने सत्र न्यायाधीशों की अपेक्षा अधिक दण्ड सिद्ध किए हैं। मैं इससे सहमत नहीं। मेरा तो यह विचार है कि वास्तविक अपराधियों को तो छोड़ दिया गया होगा और बेचारे निरपराधियों को दण्ड दे दिया गया होगा।

धारा ३० के दण्डाधीशों के विषय में मुख्य विचारणीय बात यह है कि ये दंडाधीश कार्यपालिका के हाथों की पुतली बने हुए हैं। अतःउन्हें ऐसे व्यापक अधिकार देना सिद्धान्ततः गलत है जो कि सामान्यतः न्यायाधिकारियों, सत्र न्यायाधीशों अथवा सत्र उपन्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं। अतः हम इसका घोर विरोध करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कार्यपालिका को अधिक व्यापक अधिकार, और विशेषकर न्याय सम्बन्धी अधिकार दिये जायें। हम न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णरूपेण पृथक् देखना चाहते हैं। इसीलिए हमने यह संशोधन रखा है कि धारा ३० बिल्कुल ही हटा दी जानी चाहिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अनेक स्थानों पर न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् किया जा रहा है।

श्री साधन गुप्त : मुझे तो नहीं ज्ञात कि ऐसा कहां किया जा रहा है। हम तो इससे अभी दूर हैं। वे सभी अभियोग, जिनका निर्णय सत्र न्यायाधीश नहीं कर सकते, कार्य-पालिका के हाथों में दे दिये जाते हैं। इसीलिए हम इस संशोधन के द्वारा इस खण्ड को निकाल देना चाहते हैं।

यदि विरोध के उपरान्त भी आप इस खण्ड को रखना ही चाहते हैं तो इन दंडा-धीशों के अधिकार क्षेत्र को केवल पांच वर्ष के दण्ड वाले अपराधों तक ही सीमित कर दिया जाए और उनके दण्ड देने के अधिकार को केवल तीन वर्ष तक ही सीमित कर दिया जाए।

खण्ड १३, धारा ४७ को संशोधित करना चाहता हूं। धारा ४७ कुछेक व्यक्तियों के सिए

अनिवार्य बना देती है कि वे पुलिस अधिकारियों को विशेष विशेष स्थानों पर भी जाने की इजाजत दे। परन्तु हमारे देश में जहां पारिवारिक परम्पराएं बहुत कठोर हैं, बिना घर के मुखिया की आज्ञा के, घर के अन्य सदस्य किसी पुलिस अधिकारी को घर में प्रविष्ट होने की इजाजत कैसे देंगे ? अतः उस दशा में किसी अन्य सदस्य को दण्ड न देकर घर के मुखिया को ही दण्ड देना चाहिए।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस खण्ड को वापिस ले लें नहीं तो हमारे इस संशोधन संख्या १९३ को स्वीकार करें।

पंडित के० सी० शर्मा : मेरा भी यही संशोधन है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३० को पूर्णतया निकाल देना चाहिए। वास्तव में तो न्याय की इस लम्बी प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अपराधों के लिए पर्याप्त दण्ड वैसे ही प्राप्त कर लेता है। अतः मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आप जितने अधिक लोगों को कारागार भेजेंगे, उतने ही अधिक अपराधी उत्पन्न होंगे। अतः यह समाज के प्रति एक घोर अन्याय है।

भारतीय दण्ड विधान और दण्ड प्रक्रिया संहिता आदि सभी कुछ न्याय करने के लिए हैं, न कि लोगों को कारागार भेजने के लिए।

एक दंडाधीश की मनोभावना और कार्य करने का ढंग एक सत्र-न्यायाधीश की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न होता है। और न्याय में तो अभियुक्त को हर प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिएं। अतः एक अभागे अभियुक्त का निर्णय एक दंडाधीश के स्थान पर उससे अधिक योग्य एक सत्र-न्यायाधीश द्वारा होना चाहिए।

डा० काटजू : यह सभा एक निष्पक्ष न्याय चाहती है। हम सभी यह चाहते हैं कि अपराधी को दण्ड दिया जाये और निरपराधी को तंग न किया जाये। हम यह नहीं चाहते कि कोई स्थायी रूप से अपराधी बन जाये।

धारा ३० के दण्डाधिकारियों के विषय में बहुत से अपशब्द कहे गए हैं। ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति पुलिस और जिला दंडाधीशों के पंजे में फंसा हुआ है—मैं तो इसमें विश्वास नहीं रखता। यह कथन तो बड़ा विचित्र सा है कि कोई दंडाधीश २ वर्ष के लिए दण्ड दे सकने के योग्य तो है किन्तु अधिक के योग्य नहीं। तो उनके अनुसार तो प्रत्येक मामला कलकत्ता के उच्च न्यायालय के द्वारा ही निर्णीत होना चाहिए।

यदि आप यह चाहते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक् हो, तो मैं भी यही चाहता हूं। आज सारा देश बदल चुका है। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां दण्डाधीश कार्यपालिका का कार्य कर रहे हों।

यह सत्य है कि सत्र-न्यायाधीश दंडाधीशों की अपेक्षा अधिक योग्य हैं, परन्तु वे तो अपील पर मामले को सुनते हैं। अतः धारा ३० के ये दंडाधीश बड़े लाभदायक सिद्ध होते हैं। कहीं से भी इस प्रणाली के विरुद्ध शिकायत नहीं आई। अतः हमें व्यर्थ में ही इन दण्डाधीशों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए।

अवैतनिक दण्डाधीशों के विषय में यह संशोधन यह तो नहीं कहता कि प्रत्येक राज्य में ये अवश्य ही हों। यदि किसी राज्य में जनता इनसे घृणा करती है तो राज्य सरकार चाहे तो उनको नियुक्त न करे। जनता इस विषय में अपनी विधान सभाओं में बलपूर्वक अपना मत अभिव्यक्त कर सकती है; उसे ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है।

श्री वी० जी० देशपांडे : यदि सत्तारूढ़ दल चाहता है, तो वह नियुक्त कर सकता है।

डा० काटजू : यह उनके स्वविवेक पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश में, जिससे मैं भली भांति परिचित हूं, लगभग ६० प्रतिशत न्यायिक

[डा० काटजू]

कार्यवाहियों का निपटारा अवैतनिक दंडाधिकारियों द्वारा किया जाता है। कहीं कहीं गन्दे व्यक्ति भी हो सकते हैं, परन्तु वे अपना काम बहुत अच्छी तरह करते हैं। पंचों के रूप में काम करते हुए प्रथम श्रेणी के या द्वितीय श्रेणी के अवैतनिक दंडाधिकारियों की लोक सेवा की इच्छा अभिव्यक्त होती है।

श्री एस० एस० मोरे : तब आप क्यों शिकायत करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत व्यक्ति छोड़ दिये जाते हैं ?

डा० काटजू : श्री मोरे जो कुछ कह रहे हैं उसमें कोई सार नहीं है भला इसका मेरे कथन से क्या सम्बन्ध है ? केवल अन्तर्बाधा डालने के हेतु वह खड़े हो जाते हैं। इसका मुक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है ? मैंने दंडाधिकारियों के समक्ष मुक्तियों के बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। मैं तो हत्या के मामलों में होने वाली मुक्तियों की शिकायत कर रहा था।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : आपने शिकायत की थी और अब आप इसे भूल रहे हैं।

डा० काटजू : मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूं। मैं कह रहा था कि इस मामले में कोई अनिवार्यता नहीं है। उत्तर प्रदेश में—मैंने इसका हिसाब नहीं लगाया है, परन्तु मैं अनुभव करता हूं—अवैतनिक दंडाधिकारी प्रतिवर्ष लगभग ५० लाख सरकारी रुपये या सम्भवतः अधिक धन की बचत करते हैं। इसी प्रकार की बचत सब स्थानों पर होती है। पण्डित ठाकुर दास भार्गव पंजाब राज्य के हरियाना प्रदेश विषयक अपने व्यापक अनुभव के साथ, जहां उन्हें अच्छे अवैतनिक दंडाधिकारी नहीं मिले हैं, कहते हैं कि टूटीकोरन या त्रिवेन्द्रम तक समस्त भारत में कहीं भी अवैतनिक दंडाधिकारी नहीं होने चाहियें। उन्होंने कहा है कि वह उन्हें नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने पंजाब में कुछ बुरे अवैतनिक दंडाधिकारी देखे हैं। अतः हमें इसका निर्णय जनता पर छोड़ देना चाहिये।

अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या सत्र न्यायालय विभिन्न स्थानों पर जाकर कोर्ट लगाया करे या नहीं। साम्यवादी दल कहता है कि उसे पूरी स्वतन्त्रता है। यदि अभियुक्त को छूट मिलनी चाहिये, और वह इसे चाहता है तो इसे लेने दीजिये। यह कहा गया है कि वहां सब प्रकार के मामले आएंगे। सबसे पहले आपके पास कोई उपयुक्त स्थान होना चाहिये, जहां आप न्यायालय स्थापित कर सकें। यदि कोई ऐसा अभियोग (परीक्षण) आता है जिसमें लगभग सात या दस अभियुक्त अन्तर्ग्रस्त हैं, और धारा ३०२ के अधीन प्रसिद्ध डाकुओं का परीक्षण है, तो उनके लिये स्थान का प्रबन्ध करना बहुत कठिन होगा; हो सकता है गवाह दूर हों, इसलिए यह कहा जाता है जैसा कि श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा है कि वहां न्यायाधीश का उचित आदर नहीं होगा। यदि अभियोग चलाने वाले और अभियुक्त मिल कर न्यायाधीश से निवेदन करते हैं कि उनके मामले का परीक्षण अन्य स्थान पर होना चाहिये और न्यायाधीश उससे सहमत है, तो परीक्षण उस वांछित स्थान पर हो सकता है। परन्तु श्री साधन गुप्त ने इसे स्वीकार नहीं किया और वे कहते हैं कि यह रियाअत केवल अभियुक्त को ही मिलनी चाहिये क्योंकि वह वकील नहीं कर सकता। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। यह एक नवीन रीति है और हम कहते हैं कि यदि अभियोग चलाने वाला और—

श्री साधन गुप्त : माननीय मंत्री को मेरी बात का गलत अर्थ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने यह कहा था कि यह केवल अभियुक्त और सत्र-न्यायाधीश का

काम है, और सत्र-न्यायाधीश अभियोग चलाने वाले की सुविधाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं।

डा० काटजू : मैं अपने माननीय मित्र की बात को समझता हूं परन्तु उससे सहमत नहीं हूं। मैं यह कहता हूं कि बेचारा अभियोग चलाने वाला हंसी खेल नहीं कर रहा है। उसे भी उतनी ही रियायत मिलनी चाहिये जितनी कि अभियुक्त को, और सरकार को यह कहने का अवसर मिलना चाहिये कि क्या गवाहों के आवास, न्यायाधीश और वकीलों के आवास तथा प्रत्येक सम्बद्ध व्यक्ति के आवास का उचित प्रबन्ध हो सकता है या नहीं। यदि सभी सम्बद्ध व्यक्ति सहमत हैं तो परीक्षण वहां हो सकता है। यह एक नवीन परिवर्तन है, जिसे हम ला रहे हैं।

जुर्माना बढ़ाने के विषय में कुछ कहा, गया है। मैं समझता हूं कि जुर्माना बढ़ाया जाना चाहिये, क्योंकि धन का मूल्य बहुत गिर गया है। १०० रुपया या २०० रुपया जुर्माना का आज वह मूल्य नहीं रहा है जो आज से दस वर्ष पूर्व था।

श्री एस० एस० मोरे : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यदि धन का मूल्य गिर जाने के कारण जुर्माना की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो क्या धन का मूल्य बढ़ जाने पर, जुर्माना की मात्रा भी उसी अनुपात से कम कर दी जाएगी।

डा० काटजू : जब वह प्रश्न उत्पन्न होगा, तो उस पर विचार किया जायेगा।

धारा ४७ में "रहने वाले किसी व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "रहने वाले व्यक्ति" को रखने का प्रस्ताव किया गया है। पुलिस अधिकारी वारंट लेकर आता है और इसकी तामील करना चाहता है। मान लीजिये घर का स्वामी बाहर गया हुआ है, और उसके पुत्र घर पर हैं। पुलिस अधिकारी यह चाहता है कि घर में रहने वाला व्यक्ति इस बात को जान जाये। तो इसमें सद्व्यवहार, गृह-स्वामित्व या किसी व्यक्ति के परिवार के मुखिया होने का प्रश्न कहां आता है? यह तो सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन में सहायता देने का प्रश्न है। अतः मैं माननीय मित्र के इस विशेष दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

(सभापति महोदय द्वारा खण्ड २ के सम्बन्ध में श्री एस० एस० मोरे का संशोधन संख्या १६७ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ। खण्ड २ सम्बन्धी शेष सभी संशोधन स्थगित कर दिये गये।

खण्ड ३ सम्बन्धी अन्य संशोधन सभापति महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

(सभापति महोदय द्वारा खण्ड ४ सम्बन्धी अन्य संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ और खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री अमजद अली : मैं अपने संशोधन संख्या २८० पर आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २ में,

(१) पंक्तियों ३९ से ४१, में से यह निकाल दिया जाये :

"Who has, for not less than ten years exercised as a Magistrate powers not inferior to those of a Magistrate of the first class", and

["जिसने दंडाधीश की भांति कम से कम दस वर्ष तक, एक प्रथम श्रेणी से न कम स्तर के दंडाधीश की शक्तियों का प्रयोग किया हो", तथा]

[सभापति महोदय]

(२) पंक्ति ४४ के पश्चात् यह जोड़ा जाए :-

"Provided that no District Magistrate, Presidency Magistrate or Magistrate of the first class shall be invested with such powers unless he has, for not less than ten years, exercised as a Magistrate powers not inferior to those of a Magistrate of the first class."

["परन्तु किसी जिलाधीश, प्रेसीडेन्सी दंडाधीश अथवा प्रथम श्रेणी के दंडाधीश को यह शक्तियां तब तक नहीं दी जायेंगी जब तक कि उसने कम से कम दस वर्ष तक, एक प्रथम श्रेणी से न कम स्तर के दंडाधीश की शक्तियों का उपयोग न किया हो ।"]

(सभापति महोदय द्वारा खण्ड ६ सम्बन्धी तीन अन्य संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(सभापति महोदय द्वारा खण्ड ७ सम्बन्धी तीन संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(सभापति महोदय द्वारा खंड ८ सम्बन्धी सात संशोधन संख्या ४६, १८७, १८८, १८९, ९८, १९०, और १९१ मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(सभापति महोदय द्वारा खंड ९ सम्बन्धी दो संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत किये गए तथा अस्वीकृत हुए ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ९ और १० विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९ और १० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति १८ में —

"पहली बार आने वाले "*panchayat*" ["पंचायत"] शब्द के बाद "other than a judicial *panchayat*" ["न्यायिक पंचायत से भिन्न"] ये शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(सभापति महोदय द्वारा खंड ११ सम्बन्धी एक अन्य संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(सभापति महोदय द्वारा खंड १३ सम्बन्धी एक संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १४ और १५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १६ से १९

सभापति महोदय : निर्धारित समय ४ घंटे है । जो सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे कृपया टेबल आफिस को सूचना भेजें ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरे संशोधन संख्या ४१७, ४१९, ४२२ और ४२३ हैं ।

मैं सदन का ध्यान विशेष रूप से धारा १०७ की ओर दिलाना चाहता हूं । यह एक ऐसी धारा है जिसका इन दिनों कई बार राजनीतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया है । अंग्रेजों के जमाने में सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिन पर और कोई आरोप नहीं लग सकता था, इस धारा के अन्तर्गत पकड़ लिया जाता था । आजकल भी यही हो रहा है । इस धारा का प्रयोग लोगों के विचारों और विरोध को दबाने के लिए किया जाता है । मैं एक उदाहरण देता हूं । गत साधारण निर्वाचनों में इन्दौर में निर्वाचन से केवल एक दिन पहले एक विशेष दल के कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी कारण मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि यदि आप इस धारा को अवश्य रखना चाहते हैं तो ऐसा उपबन्ध करना चाहिए कि चुनाव के दिनों में, इसे तब तक लागू नहीं किया जायेगा जब तक कि जिला न्यायाधीश इस बात की मंजूरी न दे दे कि आरोपों में कुछ सचाई है । यदि १०७ की सारी धारा को हटाया नहीं जा सकता, तो जनता को और चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों को कम से कम यह सुविधा तो देनी चाहिए कि वे बिला रोक टोक निर्वाचकगण के सम्पर्क में आ सकें ।

धारा १४५ में एक और उपबन्ध है, जो जनता के हित में नहीं है । वस्तुतः वे लोग जो कार्यपालिका पदाधिकारियों और मैजिस्ट्रेटों तक पहुंच जाते हैं न केवल मुकदमा करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करा देते हैं बल्कि अपने पक्ष में निर्णय भी ले लेते हैं धारा १४६ में एक वांछनीय संशोधन किया गया है, किन्तु इसमें एक विचित्र बात है और वह यह है कि निर्णय करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को दे दिये जाने के बाद, यह न्यायालय कुछ कार्यवाही नहीं कर सकता, क्योंकि इस के द्वारा साक्ष्य ले लेने और निर्णय पर पहुंचने के बाद, आदेश देना मैजिस्ट्रेट के हाथ में होता है । मैं कहता हूं कि जब किसी नागरिक अधिकार का मामला हो, तो दीवानी न्यायालय को अपना निर्णय देना चाहिए । उसका निर्णय वापस क्यों आये और इस लम्बी प्रक्रिया का अनुसरण क्यों किया जाये ? यदि मामला एक बार दीवानी न्यायालय में चला गया है और निर्णय दीवानी न्यायालय का है, तो विधि के अनुसार कार्यवाही होने देनी चाहिए । यदि सरकार, मैजिस्ट्रेट या कार्यपालिका पदाधिकारियों को शान्ति भंग होने की शंका है, तो सम्पत्ति जब्त की जा सकती है, किन्तु विधि के अनुसार कार्यवाही जारी रहनी चाहिए; और किसी अन्य आदेश के अनुसार जो कि दीवानी न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर जारी कर सकेगा, दीवानी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की आज्ञा होनी चाहिए । हमारा उद्देश्य यह है कि कार्यवाही की दुहरी व्यवस्था न हो और मुकदमेबाजी को शीघ्र से शीघ्र समाप्त किया जाय । यदि सारे अभिलेख को वापस मैजिस्ट्रेट के पास भेजने की बजाय, दीवानी न्यायालय को स्वयं निर्णय देने का अधिकार दिया जाये और यदि उस निर्णय के विरुद्ध राज्य की उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति हो, तो मुकद्दमाबाजी समाप्त हो सकती है । ऐसे मामलों में कब्जे के सम्बन्ध में निर्णय अन्तिम निर्णय होगा ।

मेरी राय में कब्जे के प्रश्न का निर्णय मैजिस्ट्रेट के हाथ में नहीं होना चाहिए, जैसा कि मुख्य अधिनियम की धारा १४५

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

की उपधारा (६) में उपबन्ध किया गया है। वह मामला दीवानी न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है और कब्जे के प्रश्न का निर्णय दीवानी न्यायालय को ही चाहिए। किसी भी हालत में स बात का निर्णय कि कब्जा किस के पास था, मैजिस्ट्रेट के हाथ में नहीं रहने देना चाहिए और उसे यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अपनी इच्छानुसार किसी पक्ष को कब्जा दिला दे। सामान्य सिद्धान्त यही है। हानि इसलिए होती है कि मैजिस्ट्रेट को सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के मामलों का निर्णय करने की भी शक्ति है। यदि इस शक्ति को घटा दिया जाये तो धारा १४५ का उपबन्ध वैधानिक दृष्टि से बहुत लाभदायक हो सकता है।

(इसके पश्चात् श्री साधन गुप्त, श्री यू० एस० त्रिवेदी, श्री एस० वी० एल० नरसिंहम, श्री आर० डी० मिश्र, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री यू० एस० दुबे, और श्री अमजद अली ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये।)

श्री वेंकटरामन् (तंजोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५ में

पंक्ति १९ से २१ तक के स्थान पर यह रखा जाये :

"(1e) An order under this section shall be subject to any subsequent decision of a Civil Court competent jurisdiction"

["(१ङ) इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी दीवानी न्यायालय के किसी बाद के निर्णय के अधीन होंगे।"]

सभापति महोदय : ये सब संशोधन अब सभा के सामने हैं।

श्री वेंकटरामन् : धारा १४५, १४६ और १४७ के सम्बन्ध में रखे गये संशोधनों का मुख्य अभिप्राय यह है कि यथासम्भव थोड़े समय में संक्षिप्त कार्यवाही की व्यवस्था की जाय। पर यदि वास्तव में आप इन धाराओं का विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि इन संशोधित उपबन्धों द्वारा भी हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। जहां तक धारा १४५ का सम्बन्ध है, वर्तमान विधि के अनुसार यह उपबन्ध है कि दण्डाधीश सम्पत्ति पर कब्जे के बारे में दोनों पक्षों के न्याय संगत दावों का एक संक्षिप्त परीक्षण करे और यदि वह साक्ष्यों के आधार पर इस निश्चय पर पहुंच जाय कि एक विशेष समय पर वह सम्पत्ति अमुक व्यक्ति के कब्जे में थी तो वह उस सम्पत्ति को उसी व्यक्ति को दिलवा दे।

अब संयुक्त समिति द्वारा सुझाये गये संशोधन के अनुसार दण्डाधीश साक्ष्यों को भी शपथ पत्रों के रूप में ही स्वीकार करे। मैं इस से तनिक भी सन्तुष्ट नहीं हूं और मेरा विचार है कि इस प्रकार साधारण परिस्थितियों की अपेक्षा लम्बी चौड़ी जांच करनी पड़ेगी और उलझन भी पैदा होगी।

जहां तक धारा १४६ का सम्बन्ध है, मैं उसके पक्ष में हूं। विधेयक जिस रूप में रखा गया था उसमें कहा गया था कि यदि दण्डाधीश यह नहीं निश्चित कर पाता कि सम्पत्ति का दावेदार अमुक व्यक्ति नहीं है तो वह उस सम्पत्ति को कुर्क कर ले और दोनों पक्षों को व्यवहार न्यायालय में जाने का आदेश दे। यह सबसे अधिक समझदारी की बात है क्योंकि यह मामला दोनों पक्षों के व्यवहार अधिकार से सम्बन्धित है। दण्ड न्यायालय तो

केवल यह देखता है कि शान्ति भंग न हो। इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने सुझाव दिया है कि दण्डाधीश उस मामले को व्यवहार न्यायालय के पास भेजे और व्यवहार न्यायालय तथ्यों का पता लगा कर फिर उस मामले को दण्ड न्यायालय के पास भेजे और दण्ड न्यायालय उसपर अपना निर्णय दे।

संयुक्त समिति के इस सुझाव पर, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार कार्यवाहियों का आधिक्य हो जायेगा। खण्ड १९ के अनुसार भी किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति पर पुनः अपना कब्जा प्राप्त करनेका पूरा अधिकार है। अतः दण्ड न्यायालय से पराजित हो जाने पर वह व्यक्ति यदि आगे बढ़ता है तोउसे व्यवहार न्यायालय में जाना होगा और व्यवहार न्यायालय जब एक बार उस मामले के तथ्यों का पता लगाकर भेज चुका है तो दुबारा उस मामले पर विचार करते समय वह पूर्वधारणा से प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकेगा। अतः मैं इस सुझाव के पक्ष में नहीं हूं।

मुझे इस उपबन्ध पर आपत्ति है कि दण्डाधीश तभी मामलेकी जांच करके उस पक्ष को फिर कब्जा दिलायेगा जबकि केवल दो मास पूर्व उस पक्ष से कब्जा छीना गया हो। विशिष्ट सहायता अधिनियम के अधीन एक व्यक्ति कभी भी कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए वाद कर सकता है। इसी अधिनियम की धारा ९ के अनुसार एक व्यक्ति हक़ का वाद किये बिना ही कब्जे का वाद कर सकता है। हमने धारा १९ में तय किया है कि यदि आदेश की तिथि को कब्जा छिने दो मास से अधिक हो गया है तो उसे कब्जे के लिए वाद करने का अधिकार न होगा; उसे हक के आधार पर वाद करना होगा।

अब हम धारा १४५ और १४७ को देखेंगे। धारा १४५ के अन्तर्गत यदि दण्डाधीश किसी व्यक्तिको कब्जा देता है और बाद में व्यवहार न्यायालय इस निर्णय के प्रतिकूल निर्णय देता है तो व्यवहार न्यायालय का निर्णय माना जायेगा। धारा १४७ के खण्ड (४) के अधीन जिला दण्डाधीश का निर्णय भी व्यवहार न्यायालय के निर्णय के सामने रद्द समझा जायेगा। खण्ड १९ के उपबन्ध के अनुसार कब्जे से हटाया गया व्यक्ति कब्जे के आधार पर नहीं बल्कि केवल हक के आधार पर जीत सकता है। नागरिकों को सामान्य विधि के अनुसार दिये गये अधिकारों में यह एक रोड़ा बन कर रहेगा। इन दोनों प्रकार की कार्यवाहियों में बड़ा अन्तर है। इसी कारण मैंने अपना संशोधन संख्या ४२४ रखा था।

इस प्रकार दो प्रकार के मामले बनते हैं। एक कब्जे का अधिकार पाने के लिए दूसरा हक का अधिकार पाने के लिए। पर इस उपबन्ध के अन्तर्गत विशिष्ट सहायता अधिनियम की धारा ९ के अधीन सम्पत्ति पर कब्जा पाने के मामले चलाने का निषेध है। अतः यह उपबन्ध निरर्थक है। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि यह उपबन्ध निकाल दिया जाय और मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री एस० एस० मोरे : मैं सर्वप्रथम धारा १०७ को लेता हूं। खण्ड १६ के द्वारा इसका जो संशोधन किया जा रहा है वह एक प्रतिगामी संशोधन है। इससे हम लोग दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८८२ के उपबन्धों की ओर लौट रहे हैं। अब ब्रिटिश शासन काल समाप्त हो गया है अतः इसमें परिवर्तन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई कर के बढ़ा देने पर देश के कोने कोने से कृषक समुदाय आकर सत्याग्रह करेगा। उसी को दबाने के लिए सरकार इस धारा का उपयोग करेगी। १८८२ की धारा में १८८८ के संशोधन से सुधार किया गया था। इस संशोधन के द्वारा हम उस संशोधन को रद्द करके १८८२ की स्थिति

[श्री एस० एस० मोरे]

की ओर लौट रहे हैं। इस प्रकार हम पुरानी नौकरशाही की परम्परा को अपना रहे हैं।

धारा ११७ के संशोधन के अधीन सभी प्रक्रिया समन वाले मामलों की प्रक्रिया के समान होगी। उदाहरण के लिए धारा १०८ लीजिए। यह राजद्रोह सम्बन्धी मामलों के बारे में है। धारा १२४ रद्द हो गयी है। पर यह धारा भी राजद्रोह अपराध सम्बन्धी है। अब आज राजद्रोह का अर्थ वर्तमान सरकार की आलोचना करना है और देश के प्रशासन की भूलचूक या धब्बे की आलोचना करने वाला भी इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

ब्रिटिश शासन काल में शान्तिपूर्ण आन्दोलन को राजद्रोह समझा जाता था। आज कुछ व्यक्तियों का यह विचार हो सकता है कि अब हमारी सत्ता है अतः किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है पर विरोधी दल के लोग तो जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं। हमारे शान्तिपूर्ण आन्दोलन को भी राजद्रोह कह कर दबाया जायेगा। पर ऐसे मामलों में समन वाले मामलों की प्रक्रिया काम में लाई जायेगी। वैसे तो मूल धारा ११७ के अधीन समन वाले मामलों की सी कार्यवाही की जाती है पर धारा १०८, १०९, ११० के अधीन वारंट वाले मामलों की सी कार्यवाही होती थी। धारा १९ उन लोगों पर लागू होती है जिनके पास जीविका का कोई नियमित साधन नहीं है। पर आज के बेकारी के युग में बहुत से लोगों के पास जीविका का कोई साधन नहीं है और उसका दायित्व सरकार की आर्थिक नीति पर है। यदि वे बेकार हैं या बेकारी से दुखी हो रहे हैं तो सरकार को ही उसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। और यदि वैसे व्यक्तियों के लिए समन वाले मामलों की ही प्रक्रिया रही तो कितना अन्याय होगा। आप को प्रत्येक बेकार के लिए नौकरी की व्यवस्था करनी होगी। मेरा यह भी निवेदन है कि कार्यकारी प्राधिकारी इन उपबन्धों को सत्तारूढ़ दल के विरोधी व्यक्तियों पर भी लागू करेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रजातन्त्र की गतिविधियों में मैं विश्वास करता हूं। सरकार के बहुत से असैनिक कर्मचारी अपने मालिकों को, वे किसी दल के अथवा कोई भी क्यों न हों, प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे असैनिक कर्मचारियों की प्रवृत्ति ऐसी है। ये कर्मचारी अपने मालिकों को उनके विरोधी दल के व्यक्तियों के विरुद्ध इन विशेष उपबन्धों के अधीन प्रयत्न करके प्रसन्न करते हैं। आलोचना को दबाने तथा विरोध को छिन्न-भिन्न करने के लिए ही इन खंडों के उपयोग की अधिक सम्भावना है। सत्तारूढ़ दल, अपने अनुशासन, तथा अन्य विचारों की दृष्टि से अपने ही आलोचक रखता है जो इसके प्रशासन की बुराइयों तथा कमियों की स्पष्ट रूप से आलोचना करते हैं।

सत्तारूढ़ शक्ति की आलोचना करना एक अच्छा कार्य है और सराहनीय है। मुझे खेद है कि अब इन प्रतिक्रियावादी खंडों का उपयोग, जो ब्रिटिश लोगों ने अपनी सत्ता जमाने की दृष्टि से बनाये थे, विरोधियों को दबाने, उन्हें तंग करने तथा अप्रत्यक्ष रूप से विरोध को नष्ट करने के लिए ही किया जायेगा।

अब मैं खंड १८, १९, २० लेता हूं। इनके बारे में प्रवर समिति ने जो संशोधन किये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि ये संशोधन बहुत ही वांछित एवं उपयुक्त हैं, और न्याय करने के लिए ठीक हैं।

श्री वेंकटरामन् का कहना है कि विशिष्ट सहायता अधिनियम के खंड ९ के अधीन दावा दायर करने वाले व्यक्तियों की राह

में यह परन्तुक बाधक होगा। किन्तु मेरे विचार से ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इसमें किसी विशेष प्रकार के दावों को वर्जित घोषित करने का प्रयत्न नहीं किया गया है केवल यही कहा जा सकता है कि इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि यह परन्तुक केवल ऐसे ही दावों की अनुज्ञा देता है जो स्वामित्व करने के लिए दायर किये गये हैं, इसलिए अन्य दावे जो केवल कब्जे के प्रश्न से सम्बन्धित हैं तथा स्वामित्व के प्रश्न भी उनके साथ मिले हुए हैं अपने आप ही वर्जित हो जायेंगे। किन्तु इस परन्तुक के बारे में मेरा ऐसा विचार नहीं है। फिर भी मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कोई सुसंगत संशोधन ढूंढें।

खंड १९ के उपखंड (१क) में "take such further evidence" ["और ऐसी गवाही मांगेगा"] शब्द बेकार हैं। मेरा निवेदन तो यह है कि व्यवहार न्यायालय को यह अधिकार मिलना चाहिए कि दण्डाधीश के समक्ष जो गवाहियां पेश की गई हैं उनके आधार पर वह अपना निर्णय दे सके क्योंकि इन शब्दों के आधार पर तो दोनों पक्षों को इस बात की छूट मिल जायगी ताकि वे और गवाहियां पेश कर सकें। इससे यह भी कठिनाई हो जायगी कि न्यायाधीश निश्चित अवधि के भीतर उस मामले को समाप्त नहीं कर सकेगा अथवा दंडाधीश के पास वापिस नहीं भेज सकेगा। इसलिए यह मामला व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश के स्वविवेक पर छोड़ देना चाहिए। अतः इस दृष्टि से खंड में निहित शब्द "और ऐसी गवाही मांगेगा" बेकार हैं। और मेरा विचार है कि ऐसा करने से किसी पक्ष को कोई हानि नहीं होगी।

श्री टेकचन्द : मुझ से पहले के वक्ता ने खड १६ की जो आलोचना की है उसके मूल तत्वों से मैं सहमत नहीं हूं। खंड १६ में अब केवल यही परिवर्तन किया गया है कि एक व्यक्ति के विरुद्ध जिसने कि शांन्ति भंग की है उसी दण्डाधीश को कार्यवाही करने का अधिकार होगा जिसके क्षेत्राधिकार में वह है अथवा वह स्थान स्थित है जहां कि शान्ति भंग होने की सम्भावना है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अपराधी व्यक्तियों के अपराधों का पता चल सके, और उसी स्थान पर पता चल जाय जहां कि वह व्यक्ति है तो यह उचित एवं उपयुक्त है कि उस क्षेत्र के दण्डाधीश के क्षेत्राधिकार में वह आवें।

खंड १८ के बारे में श्री वेंकटरामन् ने आपत्ति की है। उनका कहना है कि शपथ पत्र के द्वारा गवाही लेना एक प्रकार की त्रुटि है। मेरा विचार है कि उन्होंने खंड १४५ के उपबन्धों का वास्तविक अर्थ नहीं समझा है। खंड १४५ (१) के अनुसार दंडाधीश के सामने लिखित बयान देने होते हैं। इस वर्तमान खंड के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि लिखित बयानों के साथ साथ कुछ अन्य कागजात, कुछ शपथ पत्र भी पेश किये जा सकते हैं। नये उपखंड (४) के अनुसार दंडाधीश पक्षों की बात सुनते हैं और उसके बाद जांच का कार्य समाप्त कर देते हैं। जांच के समय दोनों पक्षों की बात सुनने का अधिकार दंडाधीश को दिया गया है। पहले परन्तुक के अनुसार यदि दंडाधीश चाहे तो किसी भी व्यक्ति को जिसने कि शपथ-पत्र दिया है बुला कर उससे पूछताछ कर सकता है। साक्षी ने जो शपथ पत्र दिया है यदि उसमें दी गई जानकारी अपर्याप्त है तो उसे पूरा करने के लिए उसे बुलाया जा सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद यदि दंडाधीश सन्तुष्ट हो जाता है तो वह जांच कार्य समाप्त कर देता है। दंडाधीश अगर सन्तुष्ट नहीं हो पाते तो ऐसी स्थिति में ही खंड १९ (१क) लागू होता है। और उसके बाद यह मामला व्यवहार

[श्री टेकचन्द]

न्यायालय को भेज दिया जाता है क्योंकि व्यवहार न्यायालय को दोनों पक्षों से अलग अलग से और भी गवाहियां लेने की छूट है। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहिए अर्थात् व्यवहार न्यायालय को ही यह मालूम करना चाहिए कि उसे किन किन तथ्यों की आवश्यकता है । जैसा कि इस उपखंड में व्यवस्था की गई है कि दोनों पक्षों को इस बात की स्वतन्त्रता दी जाय कि वे अपने अपने विचार से ऐसी गवाहियां पेश करें जिससे कि उनके मामले सही प्रमाणित हो सकें ।

श्री एस० एस० मोरे : प्रवर समिति के प्रतिवेदन में और इस विधेयक के उपबन्ध में विरोध है क्योंकि प्रवर समिति के अनुसार व्यवहार न्यायालय उस गवाही पर विचार कर सकता है जो कि रिकार्ड पर मौजूद है तथा और अधिक गवाही भी ले सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझें परन्तु विधेयक में बताया गया है कि "जैसा कि दोनों पक्ष आवश्यक समझते हों ।"

श्री टेकचन्द : यह तो बहुत अच्छा है क्योंकि विधेयक के उपबन्ध के अनुसार व्यवहार न्यायालय उस गवाही पर विचार कर सकता है जो कि रिकार्ड पर है, और अधिक गवाही मांग सकता है तथा दोनों पक्ष यदि कोई और प्रमाण देना चाहते हों तो उस पर भी विचार कर सकता है इस प्रकार दोनों ही बातें पूरी हो जाती हैं ।

जहां तक खंड १९ के उपखंड (१घ) का सम्बन्ध है, जो उपबन्ध बनाया गया है वह उचित है और माननीय सदस्यों ने जो भय प्रकट किया है वह निराधार है । वास्तव में व्यवहार न्यायालय ने जो निर्णय दिया है तथा जिसके लिये दंडाधीश ने उपधारा १ के अन्तर्गत मामले को व्यवहार न्यायालय में भेजा था उसी को अन्तिम रूप से मान्य समझना चाहिए ।

इस झगड़े से सम्बन्ध रखने वाली अन्य बातों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को जो अधिकार प्राप्त हैं वे उसी प्रकार बने रहेंगे परन्तु कठिनाई परन्तुक से ही उत्पन्न होती है क्योंकि इस परन्तुक से भ्रम ही अधिक उत्पन्न होता है । यदि परन्तुक इसलिए रखा गया है कि यह बात कही जाय कि दोनों पक्षों को व्यवहार विधि के अनुसार जो अधिकार प्राप्त है उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो दूसरी ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए था । केवल "सम्पत्ति के प्रति अपना अधिकार प्रमाणित करने के लिए" कहना पर्याप्त नहीं है । ऐसा जान पड़ता है कि शब्द 'अधिकार' से काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है । अधिकार का मतलब हर प्रकार के अधिकार से है । यह अधिकार स्वामी का अधिकार भी हो सकता है, पट्टे पर जमीन को लेने वाले का भी अधिकार हो सकता है, किरायेदार का अधिकार भी हो सकता है, बन्धक-कर्ता का भी अधिकार हो सकता है तथा बन्धक ग्रहीता का भी अधिकार हो सकता है । इसलिए मेरा विचार है कि इस परन्तुक को हटा देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : चार खंडों के सम्बन्ध में विवाद हो रहा है । खंड १६ के सम्बन्ध में मैंने भी एक संशोधन भेजा था किन्तु माननीय मंत्री की बातों को सुनने के बाद मुझे यह विश्वास हो गया है कि किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है । मैं यह चाहता हूं कि निवारक निरोध सम्बन्धी धारा का क्षेत्र और अधिक न बढ़ाया जाय ।

परन्तु इसके साथ ही खण्ड १६ पर मुझे कोई आपत्ति दिखाई नहीं पड़ती। यदि विधि का यह अभिप्राय है कि शान्ति भंग न हो तो हमें ऐसे सभी सम्भाव्य उपाय करने पड़ेंगे जिससे इस बात का निश्चय हो कि विधि तथा व्यवस्था में विघ्न न पड़े। मेरे माननीय मित्र श्री मोरे को यह आपत्ति है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर सत्याग्रह करता है और देश के कोने कोने से व्यक्ति वहां आ सकते हैं तो उन्हें जाने तथा अपनी देश-भक्ति को निर्दोष सिद्ध करने की अनुमति होनी चाहिये। उन सब व्यक्तियों को वहां जाने की अनुमति होनी चाहिये। इसके पश्चात् ही उन्हें बन्दी बनाया जा सकता है। मैं सम्मानपूर्वक श्री मोरे से पूछता हूं कि क्या शान्ति का भंग होना किसी अन्य अधिकार का प्रयोग करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मान लीजिये कि मैं दिल्ली में किसी ऐसे स्थान को जाता हूं जहां सत्याग्रह हो रहा है। तो क्या मैं बन्दी बनाया जा सकता हूं? यदि मैं बन्दी नहीं बनाया जा सकता और सत्याग्रह हो रहा हो, तो मैं यहां या और कहीं भी बन्दी नहीं बनाया जा सकता। परन्तु यदि यह डर है कि शान्ति भंग हो जायेगी तो वह यहां भी बन्दी बनाया जा सकता है और मुझे इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता कि वह उस स्थान में बन्दी क्यों नहीं बनाया जा सकता जहां आरम्भ में ही कुचक्र को दबाया जा सकता है। इससे केवल दण्डाधीश के अधिकारों में वृद्धि होती है।

श्री एस० एस० मोरे : समस्त दण्डाधीश अखिल भारतीय दण्डाधीश होंगे और समस्त स्थान उनके क्षेत्राधिकार में होंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि ज़िला दण्डाधीश एक अखिल भारतीय दण्डाधीश है और अखिल भारतीय दण्डाधीश होगा, तो यह दण्डाधीश भी अखिल भारतीय दण्डाधीश हो सकता है। मेरा निवेदन है कि यदि आप वास्तव में यह चाहते हैं कि शान्ति भंग न हो, तो दण्डाधीश को यह अधिकार देने में कोई हानि नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : यह सतारूढ़ पक्ष का तर्क है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उद्देश्यों को आरोपित करना सर्वथा अशुद्ध है। धारा १०७ में समस्या का समाधान कुछ भिन्न ढंग से किया गया है। अस्थायी उपबन्ध वही है। जब तक कि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह सिद्ध न हो कि उसने यह विशेष कार्य किया है अथवा उसके अनुचित कार्य करने की सम्भावना है, तब तक वह बन्दी नहीं बनाया जा सकता। अतः खण्ड १६ के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कुछ समय पूर्व हमारे माननीय गृहकार्य मंत्री ने कहा था कि उन्होंने जेलों का भ्रमण किया था तथा देखा था कि जेलें व्यक्तियों से भरी थीं और उन्हें इस बात से बहुत क्रोध हुआ था कि जेलों में इतने व्यक्ति क्यों हैं। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। पुलिस वाले एक सप्ताह मनाते हैं जो १०९ उत्सव सप्ताह कहलाता है। इस सप्ताह में वे १०९ के अधीन व्यक्तियों को बन्दी बनाते हैं ताकि बन्दियों की संख्या में वृद्धि हो जाय और अन्ततोगत्वा पुलिस यह सिद्ध कर सके कि उसने बहुत परिश्रम किया है। अधिक व्यक्तियों को बन्दी बनाने का पुलिस का उद्देश्य यह होता है कि उनकी पदोन्नति हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पुलिस को यह सप्ताह मनाने में सहायता देना चाहते हैं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं माननीय गृहमंत्री को जानता हूं, यदि उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्यवाही करने की अनुमति होती

तो वह पुलिस को ऐसा उत्सव न मनाने देते। अतः मेरा निवेदन है कि धारा १०८, १०९ और ११० में समन के मामलों की प्रक्रिया लागू नहीं होनी चाहिये अपितु वारंट वाले मामलों की प्रक्रिया लागू होनी चाहिये। इसके विपरीत, मैं चाहता हूं कि धारा १०७ के लिए भी, जिसका सम्बन्ध निवारक निरोध से है, वारंट वाले मामलों की प्रक्रिया ही होनी चाहिये।

अब मैं खण्ड १८, १९ तथा २० पर आता हूं। धारा १४५, १४६ तथा १४७ के बारे में मेरा मत है कि उनमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। परन्तु खण्डों सम्बन्धी टिप्पणियों से मुझे विदित होता है कि शीघ्रता की दृष्टि से अब इस धारा में कुछ संशोधन किया जा रहा है। इस धारा के सम्बन्ध में मेरी कुछ कठिनाइयां हैं। गृह-कार्य मन्त्री का प्रथम प्रस्ताव कि सम्पत्ति पर अधिकार किया जा सकता है और सम्पत्ति का मामला व्यवहार न्यायालय में भेजा जा सकता है, मुझे पूर्णतया मान्य नहीं है। इसका कारण यह है कि दण्ड न्यायालय को अधिकारों का निर्णय नहीं करना चाहिये क्योंकि इस बारे में व्यवहार न्यायालय अधिक दक्ष है। धारा १४५ और विधेयक के उपबन्धों में यह अन्तर है कि धारा १४५ के अधीन दण्ड न्यायालय भी पुनः अधिकार दे सकता है बशर्ते कि वह यह स्पष्ट निर्णय करे कि अमुक व्यक्ति का विवाद की तारीख से दो मास पूर्व तक अधिकार था। यदि इसका कोई स्पष्ट निर्णय न हो तो वह पक्षों का व्यवहार न्यायालय में जाने को कहेगा। परन्तु वर्तमान प्रक्रिया कुछ अधिक पेचीदा है और उठाई गई अनेकों विधानीय आपत्तियों के कारण यह और भी पेचीदा बना दी गई है।

प्रथम बात, जबकि दण्ड न्यायालय स्पष्ट रूप से यह निश्चित नहीं कर सकता कि अधिकार किसका था, तो वह न्यायालय मामला व्यवहार न्यायालय में भेज देता है। मान लीजिये कि ज़मींदार और कृषक के बीच भूमि के बारे में कोई झगड़ा है, तो कोई भी व्यवहार न्यायालय ऐसे झगड़े का विचाराधिकार नहीं ले सकता और केवल राजस्व न्यायालय ही ऐसे झगड़े का निर्णय कर सकता है।

डा० काटजू : मैं समझता हूं अब कोई ज़मींदार नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रायः पंजाब में ज़मींदार तथा कृषक के झगड़ों का निर्णय राजस्व न्यायालय करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य पंजाब की किसी विशेष पद्धति का उल्लेख कर रहे हैं? यदि किसी मामले में धारा १४५ के अधीन दण्डाधीश को क्षेत्राधिकार दे दिया जाता है, तो क्या माननीय सदस्य के कहने का अभिप्राय यह है कि राजस्व न्यायालय में एक साधारण वाद चलाना पड़ेगा? जिस व्यक्ति से अधिकार छीन लिया गया है, उसे उस आदेश के खण्डन के लिए एक वर्ष के भीतर यह वाद चलाना होगा। क्या उसे व्यवहार न्यायालय में नहीं जाना पड़ता? मैं ऐसे विशेष झगड़े का उल्लेख कर रहा हूं जो ज़मींदार तथा कृषक के बीच हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : धारा १४६ में 'क्षम्य क्षेत्राधिकार' शब्दों का प्रयोग किया गया है। मेरा सविनय निवेदन यह है कि यदि इस प्रकार का मामला हो, तो मामले का निर्णय केवल राजस्व न्यायालय में होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं असाधारण वाद के बारे में कह रहा हूं। यदि कोई विरोधी आदेश न हो, तो शेष भारत में प्रचलित पद्धति

के अनुसार ऐसे आदेश का खण्डन करने के लिए व्यवहार न्यायालय की घोषणा की आवश्यकता होती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : साधारण वाद में, जब जमींदार ने कृषक अधिकार छीन लिया हो, ऐसे मामले राजस्व न्यायालय में जाते हैं और यदि नगर में सम्पत्ति का वाद हो तो वह व्यवहार न्यायालय में जाता है परन्तु परिसीमन का प्रश्न मामले को जटिल बनाता है । नये उपबन्धों के अनसार दो मास के भीतर अधिकार लेना पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दण्ड प्रक्रिया संहिता में अब ऐसा ही उपबन्ध है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परन्तु मैं एक सर्वथा भिन्न बात का उल्लेख कर रहा हूं । मान लीजिये कि धारा १४५ के अधीन कार्य-वाही होती है, तो क्या मैं व्यवहार न्यायालय में नहीं जा सकता ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें कौन रोकता है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कोई अन्य मामला ग्राह्य नहीं है । शब्द ये हैं "उस सम्पत्ति पर अपना अधिकार सिद्ध करना, जिस पर झगड़ा है और उसका कब्ज़ा लेना ।"

श्री गाडगील : इसका अर्थ है अधिकार सम्बन्धी कब्ज़ा, और विशिष्टता सहायता अधिनियम के अधीन कब्ज़े से अभिप्रेत है अधिकार न होते हुए भी कब्ज़ा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री गाडगील ने मेरा समर्थन किया है । यदि उन्होंने केवल कब्ज़े के बारे में कहा है, तो मैं समझ सकता हूं कि धारा ९ सुरक्षित है । जब इसका सम्बन्ध अधिकार तथा कब्ज़े की पुनः प्राप्ति से है तो मेरा यह मत है कि अधिकार के आधार पर वाद युक्तिपूर्ण होता है जबकि कब्ज़े के आधार पर वाद युक्तिपूर्ण नहीं होता ।

श्री गाडगील : यह बात नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वाद दो प्रकार के होते हैं । धारा १४५ का सम्बन्ध कुछ मामलों से है । धारा १४७ सर्वथा भिन्न है । मैं केवल धारा १४६ के बारे में कह रहा हूं । इस धारा के सम्बन्ध में मेरी कठिनाई यह है कि यदि आप इसमें संशोधन करना ही चाहते हैं तो वह ऐसा संशोधन होना चाहिये कि धारा ९ के अधीन अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके । यदि आप ऐसा भी करते हैं तो मेरी कठिनाई यह है कि वादों का बाहुल्य होगा और मैं नहीं जानता कि वहां क्षेत्राधिकार का भी झगड़ा होगा या नहीं । यदि वर्तमान उपबन्ध को ज्यों-का-त्यों रहने दिया जाता है तो धारा ९ के अधीन किसी भी कब्ज़े पर वाद की अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि अन्य वाद को आगे बढ़ने दिया जाता है तो वादों का बाहुल्य हो जायेगा और जनता को परेशानी होगी । । मेरा निवेदन यह है कि मूल धारा १४५ बहुत ही सरल है । यदि अमुक व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता तो वह उस पक्ष को क्षम्य न्यायालय के पास भेज देगा ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : इसमें तीन बातें उत्पन्न होती हैं । मुख्य, खण्ड ६ के अधीन वे उप क्षेत्रीय दण्डाधीश के अधिकारों में वृद्धि करना चाहते हैं । दूसरे खण्ड का सम्बन्ध धारा १०७ और १०९ से है । इन दोनों प्रस्तुत संशोधनों पर मैं दो-एक बात कहना चाहता हूं । सर्वप्रथम, हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि साधारण परिस्थितियों में उनका ठीक उपयोग होता है; परन्तु जब सरकार तथा जनता में कोई तनाव होता है, तो इन धाराओं को कठोरता से लागू किया जाता है । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यदि इन्हें प्रक्रिया संहिता में रखा जाता है तो ऐसे अवसर आ सकते हैं जबकि कुछ लोगों के लिए उनका प्रयोग खतरनाक हो । अतः जब आप

[श्री राघवाचारी]

एक प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया का भेद समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं, उसमें अवश्य कुछ खतरा सन्निहित है।

खण्ड १६ में कहा गया है कि उप क्षेत्रीय दण्डाधीश को भी उन सारे वादों में कार्यवाही करने का अधिकार होगा जिनमें ज़िला दण्डाधीश और प्रेज़ीडेंसी दण्डाधीश विद्यमान विधि के अधीन कार्यवाही कर सकते हैं। जहां तक खण्ड १८ तथा १९ के संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं साधारणतया उनका समर्थन करता हूं। अब उन्होंने वाद की अवधि पांच मास निर्धारित कर दी है, मैं इसका स्वागत करता हूं। व्यवहार न्यायालय में मामला भेजने की प्रक्रिया सर्वथा अनावश्यक प्रतीत होती है। क्योंकि यह केवल संक्षेप कार्यवाही होती है। यह सदैव ही व्यवहार न्यायालय के निर्णय के अधीन थी। अतः यही सर्वश्रेष्ठ उपाय होता।

खंड १९ को पुरःस्थापित करने का प्रयोजन यह है: खंड १८ में कहा गया है कि यदि दंडाधीश आवश्यक समझेगा तो उनमें से कुछ ऐसे साक्षियों को बुलायेगा जिनके शपथ पत्र प्रस्तुत हो चुके हैं। इसीलिये यह उपबन्ध है कि व्यवहार न्यायालय अभिलेख के साक्षियों तथा अग्रेतर ऐसे साक्षियों का अध्ययन करेंगे जो कि दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये जायं।

मैंने एक संशोधन यह दिया है कि पृष्ठ ५, पक्ति ८ में "conclude the inquiry and" ["जांच समाप्त करे तथा"] शब्दों को हटा दिया जाय। इसका यह तात्पर्य होगा कि जांच तथा जांच का परिणाम तीन महीनों के अन्दर हो जाना चाहिए। इसका कोई अन्य निर्वचन नहीं हो सकता। इसलिये इन शब्दों को हटा देना लाभदायक होगा।

जहां तक उपधारा (१घ) के परन्तुक का सम्बन्ध है, मैं यह सुझाव दूंगा कि भाषा वही होनी चाहिये जो कि धारा १४७ में है। यदि आप इस प्रकार की संविधि में यह उपबन्ध करें कि "परन्तु यह उपबन्ध किसी भी व्यक्ति को सम्पत्ति, विवाद के विषय, तथा कब्ज़े को पुनः प्राप्त करने के विषय पर वाद करने से विवर्जित नहीं कर सकता" तो इसका निर्वचन इस प्रकार भी किया जा सकता है कि दंडाधीश द्वारा निश्चित कब्ज़ा तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि विषय के लिये वाद न किया जाय।

जहां तक खर्चे का सम्बन्ध है, इस कार्यवाही का इसलिए नितान्त विरोध नहीं होगा, क्योंकि इसमें उसकी अदायगी का उपबन्ध रखा गया है।

श्री साधन गुप्त : खंड १६ और १७ दंड प्रक्रिया संहिता की महत्वपूर्ण धाराओं के सम्बन्ध में हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि अब हमारी राष्ट्रीय सरकार में इन खंडों का दुरुपयोग नहीं होगा। किन्तु मुझे इस तर्क से सन्तोष नहीं हुआ है।

मैंने अपनी वकालत के दौरान देखा है कि इन धाराओं को संघों तथा किसान आन्दोलनों के विरोध में स्वतन्त्रतापूर्वक काम में लाया गया क्योंकि कांग्रेसी सरकार उनका विरोध करती थी।

श्रीमान्, यह धारा दमनकारी है तथा इसे और अधिक दमनकारी बनाया जा रहा है। यह बहुत बुरा है कि लोगों को केवल पुलिस की रिपोर्ट पर ही कारण बताना पड़े तथा फिर उन्हें छः या आठ महीने तक तंग किया जाय। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि कोई भी, डाधीश यदि, धारा १०७ के अधीन कार्यवाही करेगा, तो वह किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी कोने से अपने न्यायालय में उपस्थित होने के लिये बुला सकेगा।

डा० काटजू : यह ठीक नहीं है। उसे दंडाधीश के अधिकार-क्षेत्र में रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि त्रिवेन्द्रम् का ज़िला दंडाधीश, दिल्ली के किसी निवासी द्वारा शान्ति भंग होने की सम्भावना देखता है तो वह उस व्यक्ति को बुला सकता है। और उस व्यक्ति को दंडाधीश के सम्मुख उपस्थित होना पड़ेगा। अन्तर केवल इतना ही है कि पहिले केवल ज़िला दंडाधीश अथवा प्रेजीडेन्सी दंडाधीश ही ऐसा कर सकता था, किन्तु स उपबन्ध के अधीन अब कोई भी दंडाधीश इस तरह का अधिकार रख सकता है। इसलिये यह कोई नई धारा नहीं है।

श्री साधन गुप्त : मैं कहूंगा कि पहली स्थिति भी असन्तोषजनक थी। इस प्रकार तंग किये जाने के विरुद्ध कुछ संरक्षण होना चाहिये। यह वाद उस स्थान पर चला जाना चाहिये जहां या तो वह व्यक्ति रहता हो अथवा जहां उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध मामला चल रहा है, पहुचने की सुविधायें हों। किन्तु पूर्व धारा में ऐसा कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। इसीलिये मैंने अपने संशोधन में कहा है कि ऐसी आवश्यकता होने पर पहिले उस क्षेत्र के सत्र न्यायाधीश की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जानी चाहिये।

ऐसे देश में जहां न्यायपालिका तथा कार्यपालिका सम्मिलित है, जहां दंडाधीशों को अपनी पदवृद्धि के लिये सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, इस प्रकार का अधिकार देना भयंकर बात है। विशेष कर यह बात ध्यान में रखते हुए कि इसका व्यापार संघों, तथा सार्वजनिक संगठनों के नेताओं के विरुद्ध निरन्तर उपयोग किया जा सकता है।

धारा ११७ के संशोधन के सम्बन्ध में मझे यह कहना है कि यह सरकार के अलोकप्रिय रवैये का दूसरा उदाहरण है। अंग्रेजी शासन के समय भी अच्छे आचरण के लिये सुरक्षा मांगते समय, मामले की प्रक्रिया अधिपत्र (वारंट) के मामले के रूप में होती थी। किन्तु अब समन के मामले की प्रक्रिया के अनुसार होगी। गृह-मंत्री यह चाहते हैं कि आचरन के मामले में व्यक्ति पर उसके विरुद्ध शिकायत बतलाये बिना ही कार्यवाही की जा सके और जब तक उसके विरुद्ध सारे साक्षियों का परीक्षण न हो जाय तब तक उसके वाद को स्थगित न किया जाय। यह स्थिति असहनीय है। इसलिये हमने खंड १७ के लिये यह संशोधन रखा था कि अधिपत्र (वारंट) के मामलों की-सी प्रक्रिया अपनाई जाय जिसमें जिरह को तब तक स्थगित रखा जाय जब तक कि उस व्यक्ति के सभी विरोधी साक्षियों से जिरह न कर ली जाय।

हम खंड १८, १९, २० की अन्तर्निहित भावना से सहमत हैं किन्तु इसका मसविदा बनाने में कुछ त्रुटियां रह गई हैं जिन्हें शुद्ध करना चाहिये।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के इन विचारों से सहमत नहीं हूं कि मंत्री जी के विधेयक में जो उपबन्ध शामिल किया गया है वह अधिक अच्छा है। क्योंकि उस विधेयक में खंड १७ में एक बहुत विचित्र उपबन्ध है कि जब कभी भी कब्जे के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो दंडाधीश उसका व्यवहार न्यायालय में निर्देश करे। मैं मानता हूं कि दंडाधीश के द्वारा निर्देश किये जाने पर व्यवहार न्यायालय जिस व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय करता है उसका यह अधिकार होना चाहिये कि वह केवल विषय के सम्बन्ध में ही नहीं किन्तु कब्जे के सम्बन्ध में भी मुकद्दमा कर सके।

यह एक दंड कार्यवाही है जिस पर कि व्यवहार न्यायालय निर्णय देता है। मैं नहीं

[श्री साधन गुप्त]

समझता कि दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन से हमें व्यवहार प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यवहार उपचारों को नहीं छेड़ना चाहिये। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिये कोई उपयुक्त संशोधन पुरःस्थापित कर।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : श्री मोरे ने खंड १६ के अधीन इस संशोधन को प्रतिगामी कहा है। क्योंकि उनका विचार है कि इससे सत्तारूढ़ दल विरोधी पक्ष का दमन कर सकता है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि यदि उन्होंने किसी न्यायालय में वकालत की होगी तो उन्हें ज्ञात होगा कि धारा १०७ के अधीन मामला चलाने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि अपराधी की ओर से कोई प्रत्यक्ष कार्य हुआ हो। तो यहां प्रत्यक्ष शब्द का यह तात्पर्य है कि कोई हिंसापूर्ण कार्य हुआ हो।

श्री वी० जी० देशपांडे : बहुत से निर्णयों में यह बात लिखत में आ चुकी है कि भाषण देना भी एक प्रत्यक्ष कार्य है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इसका अर्थ है कि आपने किसी न्यायालय में काम नहीं किया है।

श्री वी० जी० देशपांडे : हमें इसी बात के लिए अपराधी बनाया गया है। इसमें न्यायालय में काम करने की कोई भी बात पैदा नहीं होती।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यदि आप न्यायालय का विनिर्णय देखें तो आप को पता चलेगा कि इसमें कोई भी प्रत्यक्ष कार्य नहीं।

तो मैं निवेदन करता हूं कि श्री मोरे की यह आशंका बिल्कुल अनुचित है।

श्री गुप्त ने इसे एक दमनकारी उपबन्ध कहा है उनकी भी गलत धारणा है। यह तो इसलिए बनाया गया है कि विधि तथा व्यवस्था बनी रहे, और यही कारण है कि दण्डाधीशों को इस हेतु के लिए अधिकार दिये गये हैं। बिना अधिकार के वे किस प्रकार शान्ति स्थापित कर सकते हैं। धारा १०७ के अधीन जो भी परिवर्तन हुए हैं उनसे एक धांधली पैदा होती है इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों की यह आशंका अत्यधिक अनुचित है। दण्डाधीश को इस प्रकार के अधिकार देना एक आवश्यक बात थी, नहीं तो शान्ति और व्यवस्था के भंग होते समय वह बिल्कुल बेकार सिद्ध होता। मेरे विचार में यह उपबन्ध अत्यावश्यक है, और यह विचार गलत है कि इसे राजनीतिक दलों के दमन के लिए ही बनाया गया है। किसी भी राजनीतिक दल के दंगा-फसाद करने वाले, बलवाई या शान्ति भंग करने वाले व्यक्ति पर इसको लागू किया जा सकता है।

श्री नम्बियार : इसे अन्य राजनीतिक दलों को सत्तारूढ़ होने से रोकने के लिए ही बनाया गया है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : विरोधी दल के सदस्यों की यह एक अनुचित आशंका है, और यही कारण है कि वे ऐसा कह रहे हैं।

अब मैं धारा १०८, १०९ और ११० के अधीन होने वाले अभियोगों को लूंगा। इस समय उपबन्ध यही है कि वारंट (अधिपत्र) मामलों की सी ही कार्यवाही की जाएगी, किन्तु प्रयत्न यह है कि इन्हें समन के मामलों (आह्वान मामलों) में परिवर्तित किया जायगा। मैं सका विरोध करता । कुख्यात धारा १०९ के अधीन लोगों पर बिना किसी कारण चालान किया गया है, और यदि पुलिस

किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहती हो तो वह भी इसी धारा का आश्रय लेती है। वे कहते हैं कि इसके जीविकोपार्जन का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है। एक, या दो साक्षी आते हैं और उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। अतः इस मामले में यदि आप अभियुक्तों को बचाव का अवसर नहीं देते और इसे समन अभियोग बनाना चाहते हैं, तो अभियुक्त की अवस्था और भी संकट में पड़ जायेगी।

इसके बाद धारा ११० है। इस धारा में तथ्यों को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार के अभियोजन की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी शपथ-पत्र की आवश्यकता है। समें केवल यही कहना पड़ता है कि एक व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी है और इतना ही पर्याप्त है। यदि कुछ व्यक्ति आकर यह बयान दे दें कि एक व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी है तो उसे जेल भेज दिया जावेगा। इन मामलों को समन अभियोग बनाने से अभियुक्त के लिए कोई संरक्षण नहीं रह जाता है। अभी अधिपत्र के अभियोग में तो उसे कई अवसर मिलते हैं। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो मेरे विचार में इससे अभियुक्त के पक्ष पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

सी प्रकार से धारा १०८ का मामला है। यह राजनैतिक मामलों से सम्बन्धित धारा है। इस धारा के अन्तर्गत जो भी मामले हों, उनमें अधिपत्र के अभियोग चलाना ही सर्वोच्च तरीका है और इसे ऐसे ही करना चाहिए।

इसके बाद धारायें १४५ और १४६ हैं। इनमें किये जाने वाले संशोधनों का उद्देश्य अभियोग चलाने में शीघ्रता लाना है। धारा १४५ के अन्तर्गत जब एक दंडाधिकारी शान्ति भंग की आशंका करता है तो उसे तत्क्षण कार्यवाही करनी पड़ती है, किन्तु वैसे देखने में आता है कि ऐसे मामले एक वर्ष तक खिंच जाते हैं।

एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कभी कभी तीन वर्ष तक ऐसे मामले चलते रहते हैं, किन्तु सामान्य अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ष तक चलते रहते हैं। यदि ऐसे मामले भी इतने लम्बे काल तक चलें तो मुकद्दमेबाज़ी की क्या स्थिति होगी और इसी प्रकार से पक्षों अथवा सम्पत्ति का क्या होगा ? इन संशोधनों का प्रयोजन अभियोग को शीघ्र समाप्त करने से है। किन्तु मैं नहीं समझता कि समय इन संशोधनों से कैसे कम हो जायगा। मेरी शंका का आधार यह है कि आप शपथ-पत्र भी लेंगे, फिर दंडाधिकारी साक्ष्य भी लेंगे और इसके पश्चात् कहीं जाकर दंडाधिकारी एक निर्णय पर पहुंचेंगे अतः इसमें समय-सीमा नहीं है।

श्री रघुवीर सहाय : दोनों मामलों में समय-सीमा है। व्यवहार न्यायालय में तीन मास और दंड न्यायालय में दो मास।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यदि डाधिकारी यह निर्णय करता है कि एक वस्तु एक पक्ष के अधिकार में है तो थोड़ा जल्दी निर्णय हो सकता है। किन्तु यदि दंडाधिकारी किसी विशिष्ट निर्णय पर न पहुंच पाय तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वह लम्बी है। दंडाधिकारी को वह मुकद्दमा व्यवहार न्यायालय में भेजना पड़ता है और वहां पर साक्ष्य लिये जाते हैं और पर्याप्त समय लगता है। यद्यपि समय-सीमा तो दो मास की निश्चित है किन्तु परिस्थितिवश लम्बा समय लग सकता है। इसी प्रकार व्यवहार न्यायालय में मुकद्दमे के आने तथा वहां से जाने में ही दो मास लग सकते हैं और फिर दंडाधिकारी निर्णय देगा। व्यवहार न्यायालय की शरण लेने पर भी हम केवल अधिकार का ही निश्चय कर सकते हैं किन्तु हक का प्रश्न तो रह ही जाता है। अधिकार के प्रश्न का निर्णय होने पर भी कोई बात अन्तिम नहीं हो पाती क्योंकि पीड़ित

[पं० मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

पक्ष फिर व्यवहार न्यायालय में जा सकता है और इस प्रकार मामला लम्बा हो जाता है।

श्री बी० एन० मिश्र (बिलासपुर---दुर्ग---रायपुर) : क्या यही अवस्था आजकल नहीं है। धारा १४५ के अधीन आप केवल अधिकार ही सिद्ध करते हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : हमें फिर व्यवहार न्यायालय जाना पड़ता है और वहां अन्तिम निर्णय होता है। यदि व्यवहार न्यायालय तथा दंड-न्यायालय अधिकार के मामले में ही सात-आठ मास लगा दें और फिर इतना ही समय व्यवहार न्यायालय लगाये तो निबटारा शीघ्र नहीं हो सकता।

मेरे विचार में यह नई प्रक्रिया समय घटायेगी नहीं, किन्तु कतिपय मामलों में यह समय को बढ़ायेगी ही। यदि मामला शीघ्र निबटाया जाना हो तो डाधिकारी ही अधिकार के बारे में अन्तिम निर्णय दे और केवल हक जानने का मामला ही व्यवहार-न्यायालय में ले जाया जाये।

मुझे एक और सुझाव देना है। दंडाधिकारी को कोई निश्चय करना ही चाहिये। उसे प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णय करना चाहिये। यदि कोई मुन्सिफ निर्णय नहीं कर पाता तो उसे तीसरा तरीका अपनाना चाहिये जो मेरे विचार में न्यायोचित नहीं है।

यह उपबन्ध धारा १४६ के अन्तर्गत किया गया था। इसका कारण यह था कि हक का प्रश्न व्यवहार न्यायालय ही निबटा सकता है। अतः इसके द्वारा सम्पत्ति कुर्क की जाती है। मेरा सुझाव यह है कि धारा १४६ को बिल्कुल निकाल ही दिया जाय। यह सुझाव अत्यधिक कठोर प्रतीत होगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यदि दंडाधिकारी निर्णय न कर पाये, तब यह उपाय किया जाये।

श्री रघुवीर सहाय : यह अवस्था उत्पन्न हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि दंडाधिकारी यह निर्णय करे कि किसी का अधिकार नहीं है अथवा वह निर्णय न कर पाये तो क्या होगा ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मेरी प्रार्थना यह है कि साक्ष्य को संतुलित करके उसे कोई निर्णय करना ही चाहिये।

श्री टेकचन्द : यदि साक्ष्य न हो तो ?

डा० कृणस्वामी (कांचीपुरम्) : नयी धारा के अनुसार भी दंडाधिकारी की यही अवस्था रहती है। यही कमी है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यदि किसी हत्या के अभियोग में सत्र न्यायाधीश किसी निर्णय पर न पहुंच पाये तो क्या वह उसे किसी अन्य न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है ? प्रत्येक न्यायालय को प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णय करना ही चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भूलते हैं कि वह दंड न्यायालय है, व्यवहार न्यायालय नहीं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यह व्यवहार न्यायालय नहीं है, किन्तु जब किसी मामले का अन्तिम निर्णय न हो सके तो उसके लिये यह किसी व्यवहार न्यायालय को भेजा जा सकता है। (**अन्तर्बाधा**)

दीवानी अदालत को स्वत्व के प्रश्न पर भी निर्णय करना है। दंडाधीश स्वत्व के प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकता है।

मेरे विचार से, मेरे माननीय मित्र श्री वेंकटरामन् द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक का प्रश्न इसलिये बहुत आवश्यक है कि क्योंकि दीवानी अदालत द्वारा कब्जे का निर्णीत

प्रश्न वास्तव में फौजदारी अदालत में दंडाधीश के निर्णय में सम्मिलित किया जाता है। अतः वह निर्णीत विषय के रूप में नहीं हो सकता है। वह किसी अन्य मुकदमे के लिए बाधा नहीं उपस्थित कर सकता है। वह दीवानी अदालत का निर्णय नहीं है, वह अन्तिम रूप में फौजदारी अदालत के निर्णय में सम्मिलित है। अतः उसे निर्णीत विषय के रूप में क्रियाशील नहीं किया जा सकेगा। इस दशा में मेरा सुझाव है कि स्पष्टीकरण के लिए परन्तुक आवश्यक है।

मैं धारा १४५ के मामलों में निकाले आदेश के विषय में भी एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता था। उपबन्ध यह है कि प्रारम्भिक आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि के अन्दर कब्जा किये हुए पक्ष को कब्जा दे दिया जाय। कभी कभी दंडाधीश धारा १४५ के अधीन पुलिस को इस शिकायत को निर्देशकर देते हैं। तब पुलिस की रिपोर्ट और उसके बाद कभी कभी अन्य रिपोर्टें भी ली जाती हैं। कभी कभी बेदखली की तारीख के दो महीने बाद आदेश जारी किया जाता है। अतः मेरा यह निवेदन है कि यदि यह उपबन्ध बनाया जाय कि दावा दायर करने के दो महीने के भीतर चाहे जो भी पक्ष कब्जा किये हो, उसे कब्जा दे दिया जाय तब तो स्थिति बहुत सुरक्षित होगी। अन्यथा कभी कभी आदेश में बहुत विलम्ब हो सकता है और स्थिति पेचीदा हो सकती है। बस, मुझे इतना ही कहना है।

श्री गाडगील: मेरे विचार से, खड १६ में जो प्रस्थापित है वह लोकतन्त्र के हित में अत्यन्त आवश्यक है। सर्वप्रथम, विधि व्यवस्था ऐसी पर्याप्त होनी चाहिये जो वर्तमान स्थिति और भावी स्थिति का, जिसकी हम उचित रूप से कल्पना कर सकते हैं, ठीक मुकाबला कर सके। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, गत सात वर्षों के अनुभव से हमें यह दिखायी पड़ता है कि सत्याग्रह, जो वास्तव में एक आध्यात्मिक हथियार था, अब सभी प्रकार के आन्दोलनकारियों के हाथों में एक मामूली हथियार बन गया है। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को पर्याप्त शक्तियां दी जायं। उदाहरण के लिए गोवध के विरुद्ध आन्दोलन करने वाले स्वयंसेवक अनेक स्थानों पर इकट्ठा हो जाते हैं और सारा संगठन इस प्रकार कार्य करने लग जाता है जैसे कि वह कोई सैनिक संगठन हो।

जहां तक किसी विशिष्ट सिद्धान्त पर विचार धारा के प्रचार का सम्बन्ध है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लोकतन्त्रात्मक देश के प्रत्येक नागरिक को स्वेच्छानुसार विचार करने और कतिपय सीमाओं के भीतर अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, किन्तु यदि उसकी अभिव्यक्ति देश की विधि के विरुद्ध हो तो वह उसके परिणाम को सहन करे, और तब उसे अपने विश्वास की घोषणा करने का अग्रेतर अधिकार है, किन्तु जनता में आन्दोलन करने का नहीं। आज की सरकार किसी विशेष कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचित हुई है। यदि साधारण जनता असंतुष्ट हो तो यह मार्ग खुला है कि संवैधानिक ढंग से जनमत को संगठित किया जाय और उचित समय पर अर्थात् साधारण निर्वाचन के समय सरकार को दंडित किया जाय। जिस तरीक़े से सामाजिक विचार धारा बनायी जा रही है, उसी तरीक़े से सत्याग्रह नहीं किया जाता है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग यह है कि संवैधानिक रास्ते से आगे बढ़ना चाहिये। जहां भी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है वहां प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार प्राप्त हैं और कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व है। अतः मेरा यह दृष्टिकोण है कि जहां सत्याग्रह, आध्यात्मिक सन्तोष अथवा अपने सच्चे विश्वास की

[श्री गाडगील]

घोषणा के लिए नहीं वरन् राजनैतिक क्षेत्र में जनता में एक विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वहां वह एक अपराध है।

शान्ति भंग की दशा में स्थिति का सामना करने के लिए खंड १६ में क्या है ? मैं तो बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक आन्दोलन के भी विरुद्ध हूं क्योंकि हमारा गत अनुभव हमें यह बताता है कि अधिकतर वह अत्यन्त हिंसात्मक रूप धारण करता है। अतः यह अधिक अच्छा है कि समय पर हम उचित कार्यवाही करें और जनता को एक बड़ी हानि से बचायें। अतः किसी स्थान पर यदि शान्ति भंग की सम्भावना हो, तो जिलाधीश, वहीं के नहीं वरन् किसी भी स्थान के व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर सकता है। लोकतन्त्र के लिए इस नये प्रकार के खतरे के विरुद्ध वह उपबन्ध आवश्यक हैं और मेरे विचार से सरकार बिल्कुल ठीक है।

शान्ति भंग तथा सम्पत्ति के क़ब्ज़े सम्बन्धी अन्य उपबन्धों के विषय में, मेरा यह मत है कि विधेयक में जो भी उपबन्ध सम्मिलित किये गये हैं उनसे काफ़ी सुधार हुआ है। आखिर किसी सम्पत्ति विशेष के स्वामित्व अथवा कब्ज़े पर अधिक ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिये बल्कि समाज में अथवा किसी विशेष क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने पर ज़ोर देना चाहिये। अतः यदि आवश्यक हो तो शान्ति भंग को रोकने के लिए सम्पत्ति कुर्क की जानी चाहिये। मैं श्री उपाध्याय के इस कथन से कि सारी धारा १४६, जो सम्पत्ति की कुर्की के सम्बन्ध में है, निकाल दी जानी चाहिये, सहमत नहीं हूं। यहां जो उपबन्ध किया गया है वह एक नयी योजना है। पुरानी योजना में दीवानी अदालत का निर्देश नहीं है और दंडाधीश जांच किया करते थे और आदेश जारी किया करते थे। नयी योजना में दंडाधीश स्वतः साक्ष्य लेता है, गवाहों का परीक्षण करता है और तब कब्ज़े के तथ्य का निर्णय करता है। इसी कारण जब कोई दंडाधीश यह मालूम करने में असमर्थ हो कि वास्तव में किस का क़ब्ज़ा था, तो वह इस उपबन्ध के अनुसार सबसे निकट की दीवानी अदालत को निर्देश कर सकेगा। अतः दीवानी अदालत को स्वत्व से कोई मतलब नहीं होगा और वह केवल उस तारीख पर कब्ज़े के प्रश्न की जांच करेगी जब वास्तव में शान्ति भंग हुई थी। तब दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, यदि दीवानी अदालत यह निर्णय दे कि अमुक व्यक्ति का कब्ज़ा था, तो वह निर्णय दंडाधीश के पास जायगा और उसका आदेश उस निर्णय के अनुरूप होगा। जब यह सब किया जायगा, तो हम यह मान लें कि सारी योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थात् शान्ति बनाये रखना, प्राप्त हो गया है।

किन्तु इस पर भी यदि किसी पक्ष को इसलिए आपत्ति हो कि उस समय पर्याप्त अवसर नहीं था अथवा पर्याप्त उपलब्ध साक्ष्य नहीं था, तो उसके लिए खंड १९ में किया गया उपबन्ध पर्याप्त होगा। यह प्रश्न उठाया गया था कि इस परन्तुक में कुछ उपबन्ध किये जाने पर, भारतीय विशिष्ट उपशमन अधिनियम (इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट) की धारा ९ के अधीन प्राप्त अधिकार नियमानुकूल होंगे अथवा नहीं। मैं श्री मोरे की व्याख्या से सहमत हूं कि जो कुछ निश्चित रूप से नियम-विरुद्ध नहीं है, वह मान्य होता है। मेरे विचार से सभा को श्री वेंकटरामन का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : उस उपबन्ध को पूरे तौर से निकाल ही क्यों न दिया जाय ?

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं माननीय मित्र पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि प्रवर समिति ने जिस रूप में धारा १४५ तथा १४६ को यहां भेजा है उससे किसी प्रकार शीघ्रता नहीं होगी। अब नयी योजना के अन्तर्गत उस विषय में अधिक से अधिक छः महीने लगेंगे—दो महीने मामलतदार की अदालत में, तीन महीने दीवानी अदालत में और सम्भवतः एक महीना जिलाधीश की अदालत में। यह इसलिये है कि सारे विषय में शीघ्रता हो। हम ऐसे मामलों को जानते हैं जहां धारा १४५ के अधीन कार्यवाहियों में दो वर्ष से अधिक समय लगा हो। बात यह है कि दंडाधीश प्रतिदिन यह कह कर कि अभी हम इस विषय में उचित रूप से निर्णय देने की स्थिति में नहीं हैं, मामले को स्थगित करते जाते हैं। यहां अब यह उपबन्ध किया गया है कि यदि वह निर्णय देने की स्थिति में हों तो वे दो महीने के भीतर निर्णय दे सकते हैं। मामला पेचीदा होने के कारण यदि वे इस स्थिति में हों कि निर्णय न दे सकें तो वे उसे दीवानी अदालत में भेज देंगे। वहां दो या तीन महीने के अन्दर निर्णय हो जायगा क्योंकि वहां सारा साक्ष्य होता है, और यदि अधिक साक्ष्य और गवाहों का परीक्षण अपेक्षित हो, तो दीवानी अदालत वह काम भी करेगी और उस विषय का निर्णय किया जायगा। किन्तु मुझे यह आशंका है कि अधिकतर मामलों में दंडाधीश यह समझेंगे कि तुरन्त उस विषय का निर्णय करना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और सम्भवतः वे सारा विषय दीवानी अदालत के पास भेज देंगे। फिर भी दीवानी अदालत कब्जे के प्रश्न सम्बन्धी विषय का दो या तीन महीनों में निर्णय कर सकेगी : अतः मेरे विचार से यहां किये गये उपबन्ध से अवश्य ही शीघ्रता होगी। उस दृष्टि से मैं इसे एक उपयोगी उपबन्ध समझता हूं।

इस प्रश्न की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया था कि क्या केवल स्वत्व के प्रश्न पर किसी दंडाधीश द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध किसी दीवानी अदालत में मामला अग्रेतर चलाया जा सकता है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में कोई सन्देह दूर करने के लिए श्री वेंकटरामन् द्वारा प्रस्थापित संशोधन आवश्यक है। अतः मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं। उससे वर्तमान स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। अतः वह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये। इसी प्रकार वर्तमान उपबन्ध जो धारा १४६ के अधीन उपबन्धित है स्वीकार किया जाना चाहिये।

अब खंड १६ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केवल हिंसात्मक प्रकार से कार्य करने वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा उपद्रव खड़ा किये जाने पर शान्ति बनाये रखने के लिए है। ऐसी दशा में, जो सुझाव यहां पर दिया जा रहा है वह एक नया अपराध नहीं है वरन् पुराने अधिनियम की ही एक परिभाषा है जिसे अधिक क्रियात्मक रूप में अब यहां रखा गया है। इस प्रकार वह कोई नया उपाय अथवा किसी शक्ति का अग्रेतर विस्तार नहीं है वरन् स्थिति का और अच्छी तरह सामना करने के लिए एक उपबन्ध है जो पहले ही वहां था। इस प्रकार हिंसात्मक और अवैध कार्यवाहियों को रोकने के लिए यह उपाय बहुत क्रियात्मक होगा। उस दृष्टिकोण से धारा १६ में प्रस्तावित परिवर्तन बहुत उचित और सभा के समर्थन के योग्य है।

श्री अमहद अली : खंड १९ (१ख) के लिए दिये गये संशोधन से मैं ये शब्द "conclude the enquiry" ["जांच समाप्त करे"] निकाल देना चाहता हूं। जैसा कि प्रतीत होता है सारी योजना शीघ्र गति के लिए है और मेरा भी यही आशय है कि वह इस समय से अधिक गतिशील हो। उसके अनुसार मामला निबटाने के लिए दंडाधीश को दो महीने मिलते हैं, तब मामला और तीन

[श्री अमजद अली]

महीने के लिए दीवानी दंडाधीश के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार कुल पांच महीने लग जाते हैं। यदि दीवानी अदालत पक्षों के उपस्थित होने की तारीख से दो महीने के भीतर जांच समाप्त कर अपना निर्णय दे दे, तब मुकदमे में कुछ समय लगेगा और उसके बाद निर्णय भेजने में फिर कुछ समय लगेगा। इसका अर्थ यह होगा कि उसका कोई अन्त ही नहीं होगा और हम नहीं जानते कि वह कब समाप्त होगा। यह उस विषय का एक पहलू है जिसके लिए मैंने यह संशोधन दिया है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें, क्योंकि यह मुकदमों को और अधिक शीघ्रता से निबटाये जाने के लिये है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूंव यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की वर्तमान धारा १४६ कई अर्थों में प्रस्थापित धारा से कहीं अधिक अच्छी है क्योंकि उसके द्वारा दीवानी अदालत को निर्देश करने के पूर्व दावेदार को कब्जा दिया जाता था।

तीसरी बात यह है कि खंड १७ के अधीन धारा ११७ (२) को इस प्रकार से संशोधित करने की प्रस्थापना है :

> "ऐसी जांच, जहां तक सम्भव हो, अब उस प्रकार की जायगी जैसे कि समन वाले मामलों में साक्ष्य लेने और मुकदमे चलाने के लिए निर्धारित की गयी है।"

मैंने माननीय मंत्री के भाषण और उद्देश्य तथा कारणों को सुना है। मैं नहीं जानता कि इन मामलों को अर्थात् धाराओं १०८, १०९ तथा ११० को वारंट प्रक्रिया के बजाय समन्स प्रक्रिया क्यों बना दिया गया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

अन्त में मैं इन शब्दों के साथ, सभा की स्वीकृति के लिए अपने संशोधन की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री रघुबर दयाल मिश्र भाषण प्रारम्भ कर सकते हैं।

श्री आर० डी० मिश्र: अध्यक्ष महोदय।

श्री वी० पी० नायर: अंग्रेजी में बताइये।

श्री आर० डी० मिश्र: मैं आपको हिन्दी में ही समझाये देता हूं।

पहली बात दफ़ा १०७ के मुताल्लिक है। उसके मुताल्लिक़ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट जो इस बिल में रखा गया है निहायत मुनासिब है और इसकी ज़रूरत थी। श्री मोरे ने यह बात कही कि हम पीछे हटते जा रहे हैं। सन् १८८२ में पहले यह चीज मौजूद थी, पर सन् ८८ में इसको हटा दिया गया। मेरा कहना यही है कि अंग्रेज़ ने अपने ज़माने में जो सन् १८८८ में ख़राबी की थी उसको आज हम दूर कर रहे हैं। पहले सन् १८५७ के बाद अंग्रेज ने अमन रखने के लिय अपना कानून बनाया और उस वक्त सन् ८२ में क़ानून में यह बात रखी कि कहीं अमन में ख़राबी न पड़ने पावे। लेकिन बाद में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई कि जो पुराने ज़मींदार थे कलकता वगैरह में, वे उत्तर प्रदेश के गांवों में फ़िसाद करवाते थे। ख़ुद तो कलकत्ते में रहते थे पर उत्तर प्रदेश में फ़िसाद करवाते थे और काश्तकारों पर मुकदमे चलवाते थे। उस मौक़े पर मजिस्ट्रेटों ने देखा कि जो आदमी जुर्म करवा रहा है वह तो कलकत्ते में एक बड़ा ज़मींदार बैठा है और यहां के आदमियों को लड़ा रहा है। उन मजिस्ट्रेटों ने उन लोगों को अपने यहां बुलाना शुरू किया और उन पर मुक़दमे चलाने शुरू किये। उस वक्त चूंकि ज़मींदारों का ज़ोर था इसलिये उन्होंने

गवर्नमेंट पर दबाव डाला और सन् ८८ में यह तरमीम हुई कि जब तक ज़मीन या आदमी उस इलाक़े में न हो उस वक्त तक मुक़दमा न चलाया जाय। अंग्रेज़ों ने अपने उन ज़मींदारों की बात मान कर सन् ८८ में उस क़ानून में तरमीम कर दी और क़ानून यह हो गया कि अगर आदमी फ़िसाद की जगह पर उस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में हो तभी उस पर मुक़दमा चलाया जाय, और इस तरह से जो बाहर के आदमी थे वे इस कानून की ज़द से बाहर चले गये। अब जब कि हिन्दुस्तान आज़ाद हो गया है तो इस बात की ज़रूरत है कि किसी लाक़े के आदमी किसी दूसरी जगह फ़िसाद करने के लिये न जाने पावें। हमारा यह तजुर्बा रहा है कि खाकसार मूवमेंट में और जगहों से लखनऊ में आदमी आते थे और गड़बड़ करते थे। वे सत्याग्रह करने नहीं आते थे, बल्कि फ़िसाद करने के लिए आते थे। हम देखते हैं कि कभी लोग लखनऊ आ रहे हैं, कभी दिल्ली आ रहे हैं। इस लिये ऐसी हालत में जहां पर ब्रीच आफ दी पीस का अंदेशा हो उसको सब जगह पर रोक देना चाहिये। तो अगर हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में आदमी जमा होकर दिल्ली आ कर बलवा करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का यह फ़र्ज़ हो जाता है कि उन को रोके और उन इलाक़ों के अफ़सरों को इत्तला कर दे कि तुम अपने आदमियों को रोको और कोई यहां फ़िसाद करने के लिये न आने पावे। अगर यह देखा जाय कि कुछ आदमी त्रावनकोर-कोचीन में माला पहिने जलूस निकालते हैं और कहते हैं कि हम दिल्ली जाकर मूवमेंट करेंगे तो उनको वहां रोका जाना चाहिये। ऐसा होने पर वहां के मजिस्ट्रेटों को उन लोगों के खिलाफ़ कार्यवाही करनी चाहिये ताकि वे दिल्ली में आकर फ़िसाद न कर पायें, यां किसी दूसरे इलाक़े में जा कर फ़िसाद न कर पायें। आज जब कि आल इंडिया बेसिस पर पार्टियां आर्गेनाइज़ हो रही हैं तो गवर्नमेंट को भी एलर्ट रहना चाहिये कि इस तरह के मूवमेंट न चलने पावें। यह कहना कि सत्याग्रह के लिये सज़ा दी जाती है तो यह बात गलत है। इस तरह का फ़िसाद सत्याग्रह नहीं है। सत्याग्रह में आज तक इस कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में किसी को सज़ा नहीं की गयी। अगर कहां ऐसी दिक़त पेश आती है कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और कोई उनके आगे जा कर लेट जाता है तो वहां पर दफ़ा १०७ इस्तेमाल नहीं की जाती है। वहां पर ब्रीच ऑफ़ पीस नहीं है। वहां पर इस क़िस्म का हुक्म जारी कर दिया जाता है कि लेटो मत, वहां पर जाओ मत। और अगर कोई उस क़ानून की खिलाफ़वर्ज़ी करता है तो उसको उस क़ानून तोड़ने के लिये सज़ा दी जाती है। सत्याग्रह के नाम पर किसी को सज़ा नहीं दी जाती। तो यह तरमीम जो की गयी है वह निहायत मुनासिब है और ठीक की गयी है।

इसके बाद मुझे दफा १४५ और १४६ के बारे में कहना है। जहां तक १४५ का ताल्लुक़ है लोग बाज क़ानूनी बातों में गड़बड़ किया करते हैं। असली चीज़ यह है कि चाहे किसी का टाइटिल हो या न हो, चाहे कोई ट्रेसपासर ही क्यों न हो, अगर वह ज़मीन पर क़ाबिज़ है तो उसको उस ज़मीन पर से हटाने के लिए हर एक को अदालत में जाना होगा और वहां से कब्ज़ा लेना होगा उस ज़मीन पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए दूसरी पार्टी को सिविल कोर्ट में जाना चाहिये और वहां से वह अपनी ज़मीन ले सकता है। लेकिन कोई शख्स किसी को लाठी या डंडे के ज़ोर से ज़बरदस्ती बेदखल नहीं कर सकता। इसीलिये दफ़ा १४५ रखी गयी है। अगर कोई आदमी अपनी ताक़त का इस्तेमाल करके उस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहता है तो उसके लिये यह दफ़ा है। यह ठीक है। मजिस्ट्रेट शहादत और एफीडेविट ले कर यह तै कर देगा कि इस आदमी का कब्ज़ा है और तुम इसकी ज़मीन पर नहीं

[श्री आर० डी० मिश्र]

जाओगे, तुम्हारे लिये दीवानी का दरवाजा खुला है। अगर कोई मुझ को मेरे मकान से बेदखल कर देता है और पैसे की कमी की वजह से मुझे अदालत में जाने में दस पन्द्रह रोज़ लग जाते हैं तो मजिस्ट्रेट का यह फ़र्ज़ होगा कि वह देखे कि दखल किसका था और उसको दखल दिलवा दे। यह बात इस दफ़ा १४५ में साफ़ कर दी गयी है । इससे कोई वास्ता नहीं कि वह आदमी ट्रेसपासर है या उसका टाइटिल है या नहीं, उसको ज़बरदस्ती नहीं हटाया जा सकता। उसको हटाने के लिये दीवानी में मुकदमा दायर करना होगा ।

उसके बाद दफ़ा १४६ के बारे में यह कहना है कि इस दफ़ा के मातहत अंग्रेजों के ज़माने में दो दो बरस मुकदमे चलते रहते थे और उसके बाद कोई इश्यू बना कर दीवानी में भेज दिया जाता था। साल डेढ़ साल वहां मुकदमा चलता था। मकान या ज़मीन एटेच करके किसी साहब को दे दिया जाता था। अब वह उस मकान या जमीन का जैसे चाहे इस्तेमाल करे, ज़मीन को जोते या न जोते। इसमें बड़ा झगड़ा पड़ता था और झगड़े तै नहीं होते थे। गवर्नमेंट के पास यह शिकायत आयी कि जायदाद के मुकदमे बहुत लम्बे चौड़े चलते हैं, उनमें जल्दी होनी चाहिये। यहां यह बड़ी मुनासिब तरमीम रखी गयी है कि दो महीने में मजिस्ट्रेट यह तै कर दे कि कौन आदमी क़ब्ज़े में था, चाहे वह ट्रेसपासर था, उसका टाइटिल था या नहीं इससे कोई गरज़ नहीं। वह कुछ भी हो। इसको तय नहीं करना है कि कौन किस का लायसेंसी है, मोर्टगेजर है, रेंटी है या लैंडलार्ड है उसको तो सिर्फ़ यह देखना है कि उस पर पज़ेशन किस का था। और इस बात को देखने में उसको तय कर देना है कि यह किस के पंजेशन में था और दूसरी पार्टी को कहना है कि तुमने ज़बरदस्ती की है, तुम उस ज़मीन पर मत जाना नहीं तो सज़ा पाओगे। इसमें दिक्कत यह पड़ गयी कि आपने इसके तरमीम करने में यह बात लिख दी कि अगर मजिस्ट्रेट यह तय नहीं कर सकेगा कि कौन कब्ज़े में था तो दीवानी फ़ैसला होने के लिये भेज दिया जायगा। ऐसा हो सकता है कि किसी मजिस्ट्रेट की समझ में न आये तो उस केस को दीवानी भेज दे। मैंने अपनी तरमीम दफ़ा १४६ के बारे में रखी है। मजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त दी, मजिस्ट्रेट साहब को छुट्टी नहीं मिली, इसमें दो महीने की आपने मियाद रख दी कि वह उसको डिसाइड करे अगर दो महीने में मजिस्ट्रेट किसी वजह से उसको तै न कर सके तो उसको ख्याल होगा कि अगर तै नहीं किया तो जवाब तलब हो जायगा। अब बतलाइये मैं मालिक हूं कोई आदमी मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने लगा और मुझ से लड़ने लगा। मैंने मजिस्ट्रेट के वहां दरख्वास्त दी कि फलां आदमी मेरे मकान पर ज़बरदस्ती झगड़ा करता है, मेरा है लेकिन झगड़ा करता है, उसको इस हरकत से रोका जाय या पुलिस ने रिपोर्ट कर दी कि फलां फलां आदमियों का मकान के बाबत झगड़ा है। मजिस्ट्रेट के यहां दो महीने मुकदमा चला, मजिस्ट्रेट को फ़ुरसत नहीं मिली। यह जो नया क़ानून बना है इसके मुताबिक मजिस्ट्रेट को उस डिस्प्यूट को दो महीने में तय करना है, नहीं तो जवाब तलब हो जाता है, इसलिए मजिस्ट्रेट के लिए सीधा रास्ता निकल आता कि वह फ़रमा दे कि "मैं यह निर्णय करने में असमर्थ हूं कि क़ब्ज़ा किसका है। मामला दीवानी अदालत को भेज दिया जाये।"

ऐसी हालत में क्या होगा, मेरा मकान बिला वजह अटैच हो जायगा। अब आप ही बतलाइये कि मैं मकान में काबिज़ हूं, मेरे मकान का अटैचमेंट बिला वजह क्यों हो जाय। दफ़ा १४६ में यह रखना कि मजिस्ट्रेट को

यह राय हो कि ज़मीन पर किसी फ़रीक़ का क़ब्ज़ा नहीं है या वह तै नहीं कर सकता कि किस का क़ब्ज़ा है तो झगड़े की ज़मीन को अटैच करके मुकदमा सिविल कोर्ट को भेज दे, ठीक नहीं है। उसको तै करना चाहिये कि उसकी राय में ज़मीन पर क़ब्ज़ा किस का है, उसके सामने एफ़ीडैविट है वह फैसला करे कि मेरी अकल के मुताबिक़ यह फ़रीक पज़ेशन में है और दूसरे फ़रीक़ को हिदायत करे कि तुम उसके पज़ेशन में डिस्टरबेंस नहीं करोगे और चूंकि केस डाउटफुल है इसलिये पूरे रेकार्डस् सिविल कोर्ट को भेज दे कि वह फ़ैसला दे और सिविल कोर्ट से जब तय हो कर आ जाय तब दूसरा आर्डर दे। सिविल कोर्ट जिस पार्टी के फ़ेवर में डसाइड करे कि उसका पज़ेशन होना चाहिये उसको पज़ेशन दिलाये। इस दफ़ा के सम्बन्ध में श्री वेंकटरामन का जो अमेंडमेंट है मैं उसको पसन्द करता हूं और जैसा कि बहुत से वकील मैम्बर साहबान ने बहस करके दिखलाया कि दफ़ा १४६ के प्रोविज़ो के रहने से लोगों के हुकूक को नुक़सान पहुचने का अंदेशा है वह श्री वेंकटरामन की तरमीम के मंजूर करने से दूर हो जायगा यह मामला चूंकि सिर्फ़ पज़ेशन का है सरसरी तौर का है इसलिये इसका असर रेगुलर मुकद्दमात पर दीवानी में पड़नेवाला नहीं है। फिर भी इसको साफ़ कर देना चाहिये। जो मैंने अपनी तरमीम रखी है उस तरमीम को अगर हाउस मान ले तो कुछ मामलात ठीक तौर पर तय हो सकते हैं। यह मजिस्ट्रेटों पर छोड़ देना कि अगर वे यह तै नहीं कर सकें कि ज़मीन पर किस का क़ब्ज़ा है तो वे ज़मीन को अटैच कर लें। मजिस्ट्रेट तय नहीं कर सके यह ठीक नहीं लगता। उनको कागज़ात दे कर अपना फैसला देना चाहिये। अगर मेरी तजवीज़ २८७ जो मैंने रखी है, १४६ के बजाय उसे आप रख लें तो वह ज्यादा मुनासिब होगी। यह देखना मजिस्ट्रेट का काम है कि कोई आदमी किसी के पज़ेशन में डिस्टरबेंस न करे, ट्रेसपास न करे। मजिस्ट्रेट का काम है लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करना। सिर्फ़ इतनी बात है। मैं चाहता हूं कि लॉ एंड आर्डर मेंटेन रहे। ज़मीन पर किस को क़ब्ज़े का हक़ हो, इसका फ़ैसला करना सिविल कोर्ट का काम है और मजिस्ट्रेट को यह देखना भी ज़रूरी है कि कहीं किसी सूरत में डिस्टरबेंस न हो और लॉ एंड आर्डर मेंटेन रहे।

दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि यह जो दफ़ा ११७ में आप तरमीम कर रहे हैं कि वारेंट केस का प्रोसीज्योर न रहे और समन केस हो तो मेरी समझ में यह बात गलत है। दफ़ा ११० में तीन वर्ष की सज़ा होती है। १०९ में एक वर्ष की सज़ा होती है। १०८ में एक वर्ष की सज़ा होती है। अव्वल में तो इन १०८, १०९ और ११० दफ़ाओं के क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड में क़ायम रहने के ही खिलाफ़ था लेकिन इस वक्त तो हम उन दफ़ाओं पर गौर नहीं कर रहे हैं, और अगर इन दफ़ाओं को रहना ही है तो वह भले ही रहें लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जैसी कि तरमीम की जा रही है वह न की जाये। इनका वारंट केस के प्रोसीज्योर के मुताबिक ट्रायल होना चाहिये। वारेंट केस का जो प्रोसीज्योर है इस तरमीम के साथ जो इस वक्त किया जा रहा है वह निहायत अच्छा है। सब जानते हैं समंस केसेज़ में क्या होता है। वारंट केस के प्रोसीज्योर के मुताबिक़ किसी अदालत से न्याय हासिल किया जा सकता है। आप इन प्रोसीडिंग्स में से वारंट प्रोसीज़्योर को न निकालिये, उसको रखिये।

तीसरी चीज़ मुझे यह अर्ज़ करनी है कि मैंने यह अकसर देखा है कि आज कल दफ़ा ११७ के अन्दर अगर थानेदार साहब किसी से नाराज़ हो गये तो उस बेचारे बेगुनाह आदमी पर दफ़ा ११० का मुकद्दमा चला देते हैं,

[श्री आर० डी० मिश्र]

हालांकि कोई उसके ख़िलाफ़ पिछला कनविक्शन नहीं है लेकिन शहादत में काफ़ी लोग पेश कर दिये जाते हैं और कह दिया जाता है कि यह आदमी बदमाश है। कोई चोरी उसने नहीं की, किसी का माल नहीं चुराया और न कोई चोरी का माल ही ख़रीदा लेकिन २५ आदमियों की शहादत गुज़ार दी जाती है कि यह आदमी चोरों की संगत करता है और नतीजा यह होता है कि एक शरीफ़ आदमी को बदमाश बना दिया जाता है। इस तरह की एक चीज़ इसमें रखी हुई है। मेरा कहना यह है कि किसी क़ानून में इस तरह का अफ़ेंस नहीं क़रार दिया जाता है। हाईकोर्ट की रूलिंग्स मौजूद हैं कि जब तक स्पेसिफ़िक इसटान्सेज़ मौजूद न हों तब तक ऐसी बात नहीं करनी चाहिये लेकिन होता यह है कि थानेदार साहब अगर किसी से नाराज़ हो गये तो उस बेचारे के ख़िलाफ़ ११० में पचास गांवों में से दो दो मुखिया लोगों को बुलवा कर उसके ख़िलाफ़ शहादत गुज़रवा दी, और उस बेचारे बेगुनाह आदमी को अपने बचाव में गवाह जुटाने में बड़ी मुश्किल पड़ती है कि वह कहां से पच्चीस गवाह लाये जो थानेदार साहब के ख़िलाफ़ गवाही दें कि नहीं यह आदमी बदमाश नहीं है। थानेदार साहब को वे आसानी गवाहियां मिल जाती हैं और नतीजा यह होता है कि वह शरीफ़ आदमी बदमाश हो जाता है। मेरी तरमीम इस पर जो है वह २८५ है उसमें मैंने मांग की है कि १८९८ के ऐक्ट में से दफ़ा ११७ के सब-सेक्शन ४ को ज़ाब्ता फ़ौजदारी में से निकाल देना चाहिये।

जनरल रेप्यूट की शहादत क़ानून में किसी जगह पर लागू नहीं है, सिर्फ़ ११० के मुताबिक़ लागू है लिहाज़ा उसको ज़ाब्ता फ़ौज़दारी में से निकाल देना चाहिये, बस यही मेरा आशय है।

श्री रघुवीर सहाय : खण्ड १६ के सम्बंध में आपत्ति उठाई गई है कि जो शक्तियां अभी तक ज़िलाधीश तथा चीफ़ प्रेसीडेंसी दण्डाधीश को प्राप्त थीं वे अब अन्य दण्डाधीशों को दी जा रही हैं।

हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य में, जहां न्यायिक दण्डाधीश नियुक्त किये गये हैं तथा अन्य वैतनिक दण्डाधीश भी काम कर रहे हैं, लगभग सभी ज़िलों में ज़िलाधीश न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं। वे अन्य कार्यों में लगे रहते हैं और मुकद्दमों की सुनवाई का सारा काम न्यायिक दण्डाधीश तथा अन्य वैतनिक दण्डाधीश कर रहे हैं। शान्ति रक्षा के लिये चलाये जाने वाले यह सारे मुकद्दमे भी उन दण्डाधीशों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इससे कोई हानि होने का भय नहीं है।

धारा १४५ तथा १४६ के अन्तर्गत चलाये जाने वाले मुकद्दमों के सम्बन्ध में बहुत से तर्क यह प्रमाणित करने के लिये दिये गये हैं कि विधेयक के संशोधन करने वाले उपबन्धों से इन कार्यवाहियों में जो समय लगता है उसमें कोई बचत नहीं होगी, शपथ-पत्रों से कोई लाभ नहीं होगा, व्यवहार (दीवानी) न्यायालयों को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार न सौंपा जाये और दण्डाधीश ही हमेशा के लिये कब्ज़े के झगड़ों को तै कर दे। मूल विधेयक में उपबन्ध यह था कि यदि सम्पत्ति सम्बन्धी किसी झगड़े के कारण शान्ति भंग होने की आशंका का कोई मामला न्यायालय के सामने आये तो दण्डाधीश उक्त सम्पत्ति को कुर्क कर ले और दोनों पक्षों के नाम आदेश जारी करे कि वे व्यवहार न्यायालय से अपना झगड़ा तै करावें। यह तो वास्तव में बहुत ही क्रान्तिकारी प्रस्थापना थी। परन्तु जब संयुक्त प्रवर समिति में इस पर विचार किया गया तो सब के मत का सारांश यह निकला कि बेईमान व्यक्ति

इसका अनुचित लाभ उठायेंगे और वास्तविक स्वामी अपनी सम्पत्तियों से वंचित हो जायेंगे। इस लिये बीच का रास्ता यह निकाला गया कि दण्डाधीश सरसरी तरह से जांच कर ले और यदि वह कब्जे के झगड़े का कोई निर्णय न कर सके या उसे कोई सन्देह हो तो वह इस मामले को व्यवहार न्यायालय के सपुर्द कर दे। अब भी होता यही है। अन्तर केवल इतना है कि अब यह संशोधन किया गया है कि दण्डाधीश दो मास से अधिक समय इस काम में न लगाये और यदि यह मामला व्यवहार न्यायालय भेजा जाये तो वहां भी तीन मास से अधिक समय न लगाया जावे। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन उचित ही है।

श्री वेंकटरामन के संशोधन के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि इस संशोधन की प्रासंगिकता मेरी समझ में नहीं आई है। उनका कहना है कि इन धाराओं के अन्तर्गत वही मामले आ सकेंगे जिन में कब्ज़ा सम्बन्धी झगड़ा दो मास से अधिक पुराना न हो। दो मास से अधिक पुराने क़ब्ज़ा सम्बन्धी झगड़े इसमें नहीं आ सकेंगे। मेरा कहना है कि यह झगड़े तो व्यवहार न्यायालय से भी तय कराये जा सकते हैं। इस लिये इस धारा का जो संशोधित रूप विधेयक में है उस में और अधिक संशोधन नहीं होना चाहिये।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यह खण्ड १६ एक निवारक धारा है, दण्डिक धारा नहीं है। क्या माननीय मंत्री नहीं जानते हैं कि राजनीतिक कारणों से इसका प्रयोग बहुत से व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया है ? आप जानते हैं कि १८८२ की संहिता में जो धारा थी उसमें परगनाधीशों तथा प्रथम श्रेणी के दण्डाधीशों की शक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। उन को वही शक्तियां प्राप्त थीं जो ज़िलाधीश तथा चीफ़ प्रेसीडेंसी दण्डाधीश को प्राप्त थीं। परन्तु १८८८ में जो परिवर्तन किया गया उससे जान बूझ कर इस प्रकार के दण्डाधीशों की शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। उनमें से एक प्रतिबन्ध यह था कि दण्डाधीश उसी अवस्था में धारा १०७ के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था जब कि उक्त स्थान दोनों ही उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर हों। अब हम इसका निराकरण कर रहे हैं। श्री गाडगिल के अनुसार सत्याग्रह हो रहे हैं, या होने वाले हैं इसलिये इस प्रकार की विधि की आवश्यकता है। उन्होंने गोवध विरोधी आन्दोलन या सत्याग्रह का उल्लेख किया था। आप जानते हैं कि मध्यभारत राज्य में धारा १०७ का प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये किया गया है। एक विशेष राजनैतिक दल के २० सदस्यों को इसी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसी प्रकार का एक सत्याग्रह राम मनोहर लोहिया ने उत्तर प्रदेश राज्य में आरम्भ किया था। इसी प्रकार आंध्र राज्य में भी एक सत्याग्रह नशाबन्दी के विषय में आरम्भ किया गया था। इसी प्रकार का एक और आन्दोलन जम्मू में किया गया था। जब कभी हम उचित शिकायतों की ओर शासकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वे किसी प्रकार भी ध्यान नहीं देते हैं तो सत्याग्रह के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं रह जाता है।

एक राज्य में एक व्यक्ति के विरुद्ध धारा १०७ के अन्तर्गत इस लिये मुकद्दमा चलाया गया था कि उसने अपनी स्त्री की जीवन निर्वाह याचिका का जो लिखित उत्तर दिया था उसमें एक सर्किल अफ़सर के आचरण पर आक्षेप किया था। मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीज़ें बन्द की जायें। मैं संसद् तथा गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि १८८८ में इस कानून में जो सुधार किया गया था उसको बदल कर इस उपबन्ध को फिर वही १८८२ वाला रूप देना अत्यन्त प्रति-

[श्री एन० सी० चटर्जी]

गामी कार्य होगा और संसद् किसी भी दशा में इस के लिये स्वीकृति नहीं देगी।

डा० काटजू : पिछले वक्ता ने इस साधारण से विवाद में सत्याग्रह का ज़िक्र करके व्यर्थ ही गर्मागर्मी उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। धारा १०७ का सत्याग्रह से कोई सम्बन्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में ज़िलाधीश तथा परगनाधीश ज़िले के मुख्यालय में निवास करते हैं इसलिये ज़िलाधीश १०७ सम्बन्धी कोई भी आदेश स्वयं जारी कर सकते हैं, परन्तु बंगाल में जिले बहुत बड़े बड़े हैं। जिलाधीश मुख्यालय में रहता है किन्तु परगनाधीश अपने अपने परगनों में ही रहते हैं, इसलिये यह कहना कि हर बात के लिए आपको नदिया, मुर्शिदाबाद, या किसी अन्य ज़िले के ज़िलाधीश के पास ही जाना होगा और स्थानीय परगनाधीश यह कार्य नहीं कर सकता कहां तक ठीक है। कभी कभी हम बहस की गर्मागर्मी में यह भूल जाते हैं कि किसी उपबन्ध विशेष में कौनसी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस धारा में कहा गया है कि इसके अन्तर्गत होने वाली कार्यवाही किसी ऐसे दंडाधीश के द्वारा की जा सकती है जिसको कि इसकी शक्तियां दी गई हों। विचार यह किया गया है कि ये शक्तिय किसी ऐसे दंडाधीश को दी जायें जिसे दस वर्ष बारह वर्ष या पन्द्रह वर्ष के काम का तजुर्बा हो। उसका काम केवल इतना होगा कि वह शान्ति भंग होने की आवश्यकताओं के उत्पन्न होने पर उचित कार्यवाही कर सके।

यदि वह कहता है कि मैं कर नहीं दूंगा तो उसे न देने दीजिये किन्तु दिल्ली में दो वर्ष पहले क्या हुआ था? उसे हम सब जानते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जयपुर जोधपुर और अन्य स्थानों से सैकड़ों लोग स्टेशनों को जाते थे और वहां उनको बिदाई दी जाती थी ताकि वे दिल्ली में आवें और यहां की शान्ति भंग करें। उन्हें इसके लिये मालायें पहनाई जाती थीं।

श्री वी० जी० देशपांडे : वे किस सम्बन्ध में आते थे?

डा० काटजू : रेलवे स्टेशनों पर बड़ी भीड़ रहा करती थी। अतः यदि दंडाधीश देखें कि लोग इस प्रकार प्रतिदिन जा रहे हैं तो वह उनसे इस सम्बन्ध में पूछताछ कर सकता है और उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। (**अन्तर्बाधा**)।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे इस विधि के शब्दों पर कोई आग्रह नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कलकत्ते का दंडाधीश मुझे दिल्ली या जयपुर या इलाहाबाद में सूचना भेजे कि तुम कलकत्ते में शान्ति भंग करने आ रहे हो अतः जल्दी आओ ताकि तुम्हें बन्दी बना लिया जाय। प्रश्न यह था कि स्थानीय ज़िलाधीश को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उचित्त कार्यवाही कर सके। चाहे वह दंडाधीश द्वितीय श्रेणी का हो या तृतीय श्रेणी का हो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे माननीय मित्र यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि ज़िलाधीश को यह अधिकार दिया जा सकता है और प्रेजीडेन्सी दंडाधीश को भी यह अधिकार दिया जा सकता है किन्तु वे सब-डिवीज़नल दंडाधीश या प्रथम श्रेणी के दंडाधीश को यह अधिकार दिये जाने के पक्ष में नहीं है। ऐसा अजीब तर्क मैंने कभी नहीं सुना।

श्री वी० पी० नायर : यदि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें तो क्या होगा?

डा० काटजू : सभा को इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि हम १८८२ और १८८८ की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि संहिता का उस समय से सम्बन्ध है किन्तु

हमें १९५४ पर अपनी दृष्टि रखनी है और हमने स्वयं देखा है कि दिल्ली में क्या हुआ था। (**अन्तर्बाधा**) कई महीनों तक हमें संकट का सामना करना पड़ा था और इसीलिये हम ने यह उपबन्ध किया है। मुझे आशा है कि यह सभा मेरे माननीय मित्र की प्रभावशाली भाषा से भयभीत नहीं होगी (**अन्तर्बाधा**)।

श्री अमजद अली : मैं जानना चाहता हूं कि खंड १७ में मूल धारा ११७ को वारंट के बजाय सम्मन का विषय क्यों बनाया गया है ?

डा० काटजू : मैं उस प्रश्न को अभी लेता हूं। वारण्ट और सम्मन के विषय की चर्चा लम्बित कर दी गई थी।

सभापति महोदय : उस प्रश्न को इसके बाद लिया जायगा।

डा० काटजू : क्या आप अभी खंड १६ को लेंगे और उस पर मतदान लेंगे ?

सभापति महोदय : यह सभा की इच्छा पर निर्भर है।

डा० काटजू : अभी मैं धारा १४५ के विषय में कह रहा हूं और भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं धारा १०७ को भी लूंगा।

मैं श्री गाडगील और श्री रघुवीर सहाय का आभारी हूं जिन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया है। इस बात को प्रत्येक सदस्य ने अनुभव किया है कि दीवानी के मामलों से पूरी तरह से परिचित न होन के कारण दंडाधीश कभी कभी उचित न्याय नहीं कर सकता है, इसलिये जैसा कि मूल विधेयक में प्रस्तावित था, उचित यही है कि दंडाधीश शान्ति बनाये रखने के लिये सम्पत्ति को कुर्क कर सकता है और दीवानी में उस मामले को भेज सकता है। इस पर यह आपत्ति की गई थी कि इससे अदालत की फ़ीस देने की समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि प्रत्येक राज्य में अदालती फ़ीस असाधारण रूप से बढ़ गई है। यदि दो हज़ार रुपये की सम्पत्ति का मामला हो तो आप को पांच सौ रुपये देने पड़ेंगे। यदि विशेष अभियोजन का मामला हो तो आधी फ़ीस देनी पड़ती है और बड़ी लम्बी चौड़ी कार्यवाही होती है उसके लिये आवेदन करना पड़ता है और छः महीने से भी अधिक समय लग जाता है। इसलिये सबसे अच्छा ढंग यही है कि दीवानी से फ़ैसले जल्दी होने लगें जिससे कि दोनों पक्षों को सन्तोष हो सके। न्यायाधीश उनकी गवाही की जांच कर सके और शीघ्र ही निर्णय कर सके। ऐसा करने से व्यय नहीं होगा और अदालत की फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी।

अब यह होगा कि दंडाधीश कहेगा—"मैं इस मामले को दीवानी न्यायाधीश के पास भेज रहा हूं अतः आप १५ दिसम्बर को आ जाइये और बयान दे दीजिये।" कोई सम्मन जारी करने की आवश्यकता नहीं है और सम्बन्धित व्यक्ति १५ दिसम्बर को आ जायेंगे।

किन्तु श्री रबुबर दयाल कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रारम्भ में सम्पत्ति पर अधिकार रखता है, उससे उस सम्पत्ति को लेकर उस व्यक्ति को दी जाये जिस को अदालत नियुक्त करे। इससे तो विषमता और बढ़ जायेगी। वह कहते हैं कि दंडाधीश भले ही मामले को दीवानी न्यायाधीश के पास भेजे किन्तु इस बीच उसे स्वयं भी कोई निर्णय कर लेना चाहिए। वह समझते हैं कि दंडाधीश सदैव उचित अधिकारी के पक्ष में ही निर्णय करेगा अतः उसे उचित व्यक्ति को सम्पत्ति का कब्ज़ा सौंपने का अधिकार होना चाहिये और बाद में यदि दीवानी न्यायाधीश विपक्ष में निर्णय करे तो दंडाधीश उस के अनुसार कार्य करे। किन्तु मैं इस बात को दूसरे रूप में

[डा० काटजू]

लेता हूं। मान लीजिये कि दीवानी न्यायाधीश यदि अनधिकारी व्यक्ति को अधिकारी घोषित करता है, और दंडाधीश भी तद्नुसार उस व्यक्ति को कब्ज़ा सौंप देता है तो समस्या बनी ही रहती है।

श्री आर० डी० मिश्र: मैं आपके दंडाधीश को योग्य व्यक्ति समझता हूं।

डा० काटजू: मेरा तो यह कहना है कि श्री रघुवीर सहाय ने सारे मामले को स्पष्ट कर दिया है।

जहां तक श्री वेंकटरामन के संशोधन का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। वह केवल 'न्यायालय' शब्द के विषय में कहते हैं। यह कहा गया था कि बम्बई में राजस्व न्यायालय हैं, या हो सकता है कि भिन्न भिन्न राज्यों में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय भिन्न भिन्न हों। मुझे उनके संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय: वे तो "civil" (व्यवहार) शब्द को हटाना चाहते हैं।

डा० काटजू: मैं अधिपत्र सम्बन्धी मुकदमों की प्रक्रिया और समन सम्बन्धी मुकदमों की प्रक्रिया के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं। समन वाले मुकदमों की प्रक्रिया में क्या बुराई है? यदि मुझ पर कोई मुकदमा चले तो मैं तो समन वाली कार्यवाही पसन्द करूंगा अधिपत्र वाले मुकदमे साठ-सत्तर वर्ष पहले से चले आ रहे हैं और उनमें दो तथा तीन-तीन बार भी जिरह करने का अधिकार दिया गया है। मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। मुझे इस विषय में तना ही कहना है और मेरा निवेदन है कि सभा इन सब खंडों को पारित कर दे।

मेरा सुझाव है कि खण्ड १९ और २० को आज इकट्ठा ही समाप्त कर दिया जाये और कल खंड १९ को लिया जाये।

सभापति महोदय: खंड २० पर तो अभी चर्चा भी नहीं हुई है। मैं उसे अभी मतदान के लिये नहीं रख सकता।

संशोधन संख्या ३५८ तथा ४१७ सभापति महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड १६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

संशोधन संख्या २८५, ९९, ३६० तथा २०९ सभापति महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड १७ विधेयक का अग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

संशोधन संख्या ४१९ सभापति द्वारा मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

"कि खंड १८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

५ म० प०

सभापति महोदय: अब मैं श्री वेंकटरामन के संशोधन संख्या ४२४ को मतदान के लिये रखता हूं--जिस में से

"court" (न्यायालय) से पूर्व 'civil' (व्यवहार) शब्द हटा दिया गया है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५ में पंक्ति १९ से २१ के स्थान पर ये शब्द रखे जायें :—

"(1e) An order made under this section shall be subject to any subsequent decision of a court of competent jurisdiction."

[(१क) इस धारा के अधीन जो आदेश दिया जायेगा वह सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय के अनुवर्ती विनिश्चय द्वारा बदला जा सकेगा ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या २८६, ३६२, ३६३, ३६४ ४२१, ४२२, ४२३ तथा ३६५, सभापति महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १९ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPD—505LSD—16-5.55—240